राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 22वां दिवस [संख्या 18

सोमवार,

दिनांक 30 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, सिंचाई, आबकारी एवं कर, पंचायत, राजस्थान नहर परियोजना, शिक्षा, योजना, चिकित्सा, यातायात, वन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 376

श्री हीरा भाई ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० 377

श्री जगन्नाथ पटेल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बाल सिंह।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फलोदी-चाड़ी सड़क

378. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फलोदी-चाड़ी सड़क का गत कई वर्षों से अकाल सहायता विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है ? अगर हां, तो किस वर्ष में प्रथम निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और किस वर्ष में कितना खर्च इस सड़क पर किया गया है। आज तक कुल कितना खर्च हुआ है? वर्षवार खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) चाड़ी-नागौर सड़क अकाल सहायता विभाग द्वारा प्रथम किस वर्ष में प्रारम्भ की गई और आज तक कितना इस सड़क पर खर्च हुआ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। इस सड़क का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा और प्रति मील कितना खर्चा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सड़क पर किस वर्ष में रिलीफ केम्प्स किस किस जगह रखे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम चाड़ी में हर वर्ष रिलीफ केम्प चलता ही रहा है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

Page No 2

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये स्थगित किये जाने की कृपा करें।

श्री बलसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बराबर मैं 4 सत्र से पूछ रहा हूं। इस सड़क पर भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री महोदय का गांव है फिर सूचना प्राप्त क्यों नहीं हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विभाग को 18 मार्च को प्राप्त हुआ था उसके बाद से बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। दो डिस्ट्रिक्टस् नागौर और जोधपुर का सवाल है इसका उत्तर आना था।

श्री अध्यक्ष: इसी सत्र में लिये जाने का प्रयास किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रश्न में बात है कि इसका उत्तर सरकार के लिये हील और हुज्जत हो रहा है ? माननीय प्रश्नकर्त्ता ने निवेदन किया है कि उन्होंने चार दफा इस प्रश्न को पूछा है। उसका उत्तर लगातार नहीं आ रहा है तो मैं आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा ट्रेजरी बेन्चेज को ताड़ना होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ताड़ना तो मैं यदा कदा देता रहा हूं। अत्यधिक ताड़ना देने का असर विपरीत हो जाता है इसलिये मैं इसी सत्र में लेने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई कार्य के लिये आवंटित धनराशि

379. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिंचाई विभाग को कुल कितनी धनराशि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सन् 68-69 तथा 69-70 में सिंचाई कार्य करने हेतु आवंटित हुई ?

(2) कितने सिंचाई कार्य कहां कहां किये गये और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? कार्यवार विवरण दिया जाय।

(3) क्या यह सही है कि अकाल सहायता के अन्तर्गत चलने वाले सिंचाई कार्यों के लिये औजार और वाहन भी सिंचाई विभाग द्वारा खरीद किये गये है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि इस पर व्यय की गई ? उसमें कितने मूल्य के कितने, कौन से औजार, कितने मूल्य के कितने ट्रक और कितनी राशि की कितनी जीपें खरीद की गई हैं ? क्या ये उपरोक्त राशि में से ही खरीदी गई ?

(4) इस खरीद का निर्णय कब किस स्तर पर किसके द्वारा लिया गया ? खरीद हेतु किस कम्पनी को किसके द्वारा कब आदेश दिये गये, माल की डिलीवरी कब किसके द्वारा कहां ली गई ? क्या सब कार्य खरीद की शर्तों और नियमों के अनुसार हुआ है ?

(5) ये वाहन और औजार कहां कहां किन किन अधिकारियों को कब दिये गये ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय इसकी सूचना मुकम्मिल तौर पर प्राप्त नहीं हुई है। मैं इसी सत्र में इस प्रश्न को लेने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसी सत्र में लें।

श्री दौलतराम सारण: क्या आधार है, अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेकॉर्ड उपलब्ध होने की बात है। शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री दौलतराम सारण : प्रावधान है, प्रावधान से खरीद है और विवरण है इसलिये......

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का नसरडापन है।

श्री अध्यक्ष : है।

नेक्स्ट। श्री राम नारायण चौधरी।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत झुंझुनू जिले में कार्य

380. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनू जिले में गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में कितने रुपये सरकार ने खर्च किये तथा सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों का कितना भुगतान करना बाकी है? अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) गत वर्ष में अकाल सहायता के बजट से कितनी कितनी खरीद किस किस मद में की गई तथा कहां कहां से किस किस फर्म से की गई?

(3) क्या उपरोक्त खरीददारियों का भुगतान समय पर कर दिया गया? यदि नहीं, तो अब तक कितना भुगतान किया जाना बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) गत वर्ष झुंझुनू जिले में अकाल राहत कार्यों पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय की गई :-

(क)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	90,35,991.23 पैसे
(ख)	राजस्व विभाग	6,56,560.00 रुपये
(ग)	भू-संरक्षण विभाग	18,579.73 पैसे
(घ)	सिंचाई विभाग	48,388.00
		96,95,518,96 पैसे

इनमें से सड़क कार्यों पर लगे हुये मजदूरों के 35,972.13 पैसे बकाया सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त हुये थे जिनमें 20,771.08 वितरित किये जा चुके हैं। शेष मजदूरी का भुगतान इसलिये नहीं किया गया है कि मजदूर लोग कहीं अन्यत्र चले गये हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(क) खेतड़ी व उदयपुरवाटी में कोई खरीद नहीं की गई।

(ख) भू-संरक्षण विभाग 350.35 पैसे।

(ग) सिंचाई विभाग—सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से खरीद कार्यों में 10 प्रतिशत भुगतान बकाया है जिनको अब भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व विभाग के अभिकरण से तहसील चिड़ावा में 1,425 रु० श्री हनुमानसिंह व श्री हंसराज अग्रवाल के देने शेष हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

भू-संरक्षण विभाग के अभिकरण से की गई खरीद में कोई बकाया नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न सं 381

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री राम किशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

गांव खींवाड़ा में श्री रामदेवजी बाबा के पगलिये हटाने के आदेश

382. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गांव खींवाड़ा, तहसील देसूरी, जिला पाली में श्री रामदेव जी बाबा के पगलिये ग्राम पंचायत के कतिपय पंचों ने बिना पंचायत के कोरम के हटाने का आदेश दिया ?

(2) क्या यह सही है कि एडीशनल कलेक्टर, पाली द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बाद भी दिनांक 13-2-70 को ग्राम पंचायत के उप-सरपंच ने श्री रामदेवजी बाबा के पगलिये हटवाने हेतु पुलिस इमदाद के लिये पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, पाली को पत्र लिखा और फलस्वरूप पुलिस मौके पर पहुंची ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस मुन्शी, श्री जाहिद हुसैन ने मौके पर हजारों की तादाद में जनता को इकट्ठा देखकर व एडीशनल कलेक्टर, पाली का स्थगन आदेश की जानकारी मिलने पर पगलिये नहीं हटाये ?

(4) क्या यह सही है कि मौके पर पुलिस ने पगलिये टूटे हुये पाये और इन पगलियों को उप-सरपंच, श्री बख्तावर मल, वार्ड पंच, श्री उस्मान, श्री घीसूलाल द्वारा तोड़ना पाया गया ?

(5) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही गांव वालों की दरख्वास्त पर की है ?

उप-मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी नहीं। पंचायत द्वारा सरपंच सहित 6 पंचों द्वारा निर्णय लेना पाया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। पुलिस ने मौके पर पगलिये टूटे हुये पाये। मामले की पुलिस द्वारा तफ्तीश जारी है। इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस किसने ये पगलिये तोड़े।

(5) विभागीय जांच चालू है और जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा भी अनुसन्धान किया जा रहा है।

श्री शंकरलाल : विभाग की जांच की क्या स्टेज है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्यों नहीं है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: आई नहीं है, इसलिये नहीं है।

श्री शंकरलाल : आपने बताया है प्रश्न सं० 2 में स्टे ऑर्डर कलेक्टर के होने के बाद तोड़े गये हैं। यहां पर यह सूचना दी गई है तो पंचों ने अपने पद का दुरूपयोग किया है और दुरूपयोग करके घृणित कार्य किया है। 8 फरवरी को ऐप्लीकेशन दी थी आज 30 मार्च हो गई क्या विभाग में इसके बारे में प्रगति हुई ?

श्री अध्यक्ष : कुछ जानकारी है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय....यह मुकदमा पहले से ही...(श्री शंकरलाल माननीय सदस्य के साथ बोलते रहने पर, अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि पंचायतों के पंच....

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही में क्यों देरी हुई ?

श्री शंकरलाल : कौन कार्यवाही कर रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय सदस्य प्रश्न को ध्यान से देखते तो मैं समझता हूं शायद यह बात नहीं होती। फरवरी इसी साल में जब कम्पलेन्ट राज्य सरकार के पास आती है और हमने उसको जांच के लिये भी भिजवा दिया है। जांच जेर तजवीज है। इसमें कहीं देर हुई है, ऐसा राज्य सरकार नहीं मानती है।

श्री शंकरलाल : डी० डी० ओ० को आप ने जांच के आदेश नहीं भेजे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत बात है..

श्री शंकरलाल : वकील की बात को मैं स्पष्ट कर दूं....

श्री मूलचन्द डागा : यह ऑब्जेक्शनेबिल है। यह मुकदमा ऐडीशनल कलेक्टर, पाली की कोर्ट में जेर तजवीज है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप (श्री शंकर लाल) इसमें वकील हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने समझ लिया है, ऑर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : ऐडीशनल कलेक्टर के यहां कोई मुकदमा.....

श्री अध्यक्ष आप वकील हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं रेकॉर्ड पेश कर सकता हूं।

श्री शंकरलाल : मेरे क्षेत्र के लोगों ने इसके लिये रिप्रेजेन्टेशन किया है और उस रिप्रेजेन्टेशन के साथ में मैं था। अगर आप साथ होने से ही वकील समझते हैं तो दूसरी बात है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो इसमें वकील हूं।

श्री शंकरलाल : प्रश्न तो यह है कि ऐडीशनल कलेक्टर के पास मुकदमा पेन्डिंग नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह मामला बड़ा गम्भीर है। दो वकील आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं ये वकील हैं और ये कहते हैं वे वकील हैं तो अध्यक्ष महोदय, तथ्यों की जानकारी करके व्यवस्था दी

(श्री दौलतराम सारण)

जाय क्योंकि अगर वाकई इसमें कोई वकील है तो बड़ा गम्भीर मामला बन जाता है।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य (श्री मूलचन्द डागा) तो मंजूर कर रहे हैं। क्या यह उनके लिये उचित है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने एक प्रश्न उठाया है...

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है प्लीज।

एक व्यवस्था का प्रश्न है आप (श्री बिरदाराम) बैठिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य के लिये आपत्ति की कि जिस प्रश्न के संबंध में वह जानकारी ले रहे हैं उसमें वह वकील हैं। उन्होंने स्पष्टतया इसको स्वीकार किया है कि वह वकील नहीं हैं केवल कलेक्टर के पास रिप्रेजेन्टेशन लेकर गये थे लेकिन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि वह इस मुकदमे में वकील हैं। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि कोई भी वकील क्या प्रश्न के संबंध में किसी भी गलत तथ्यों के आधार पर इस सदन में इस प्रकार की चर्चा उठा सकते हैं कि इस प्रश्न को पूछा नहीं जाये और क्या प्रश्न के पूछे जाने में वकील का कोई इन्टरेस्ट इनवॉल्व्ड है ? यह मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा है कि यह मुकदमा जेर तजवीज है और एडीशनल कलेक्टर की कोर्ट में निगरानी चल रही है और मैं वकील हूं। मैंने यह बात कही है। मैंने तो क्वेश्चन नहीं किया है। I have not put any question.

श्री भैरोंसिंह : यही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एक आदमी ने इन्कार कर दिया कि मैं वकील नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जब पंचायत ने रेज्योल्यूशन पास किया तो उसके खिलाफ एडीशनल कलेक्टर के पास में कानून के अन्तर्गत उन्होंने निगरानी की। उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर की पालना में पुलिस को आदेश दिया गया कि यह पगलिये नहीं हटाये जायें और जिसन तोड़े हैं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। तोड़ने के संबंध में आई० पी० सी० की धारा 295 के अन्तर्गत पुलिस ने 21-2-70 को मुकदमा दर्ज कराया पंचायत के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें अपनी पावर्स को एक्सीड किया है। एक कम्पलेन्ट राज्य सरकार के पास मिली, मुझे मिली और मैंने विभाग को भेजी। उसको 7-3-70 को डिप्टी डी० डी० ओ० के पास भेजी है और वह जांच हो रही है। पुलिस में केस रजिस्टर हो गया है और एडीशनल कलेक्टर ने स्टे दे दिया है। यह फैक्ट्स हैं इस केस में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न मैं सॉल्व कर देता हूं। जहां तक यह प्रश्न है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी मामले में वकील हैं तो हमारे नियमों के अंतर्गत उस विषय पर वह सदस्य कोई प्रश्न नहीं रख सकता, न पूरक प्रश्न ही पूछ सकता है। पूरक प्रश्न का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिये इस मामले में माननीय सदस्य वकील हैं या नहीं इस तथ्य के प्रश्न नहीं होते। उन्होंने स्वयं ने इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में जो प्रश्न उठाया गया है माननीय सदस्य श्री मूलचन्दजी डागा द्वारा वह ऐन्टरटेन नहीं होता। अब प्रश्न रहता है क्या माननीय श्री मूलचन्दजी डागा इस प्रश्न में.....

श्री भैरोंसिंह : जिसमें वकील हैं।

श्री अध्यक्ष : वह वकील हैं या नहीं..

श्री भैरोंसिंह : वह हां भर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर हैं तो भी प्रश्न यह है कि उन्होंने कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने इस आसन को जानकारी दी है। इसलिये जानकारी किसी प्रश्न पर देना प्रश्न के संबंध में पूरक प्रश्न नहीं होता। इसलिये ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं है। मैं इसको यहीं समाप्त कर देता हूं।

श्री शंकरलाल : मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। स्टेज चली गयी।

श्री शंकरलाल : एक स्पष्टीकरण करना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : एक स्पष्टीकरण करना है कि जो पैरवी की जा रही है वह निःशुल्क की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मामला फिर आप पेचीदा बना रहे हैं।

नक्स्ट, श्री केदारनाथ।

लूणकरणसर लिफ्ट योजना

363. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर बीकानेर में पानी लाने के लिये जो लिफ्ट योजना बनाई गई थी उसकी स्वीकृति योजना आयोग से नहीं ली गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी कारण योजना आयोग ने इस स्कीम को अस्वीकृत कर दिया है ?

(3) यदि नहीं तो इस स्कीम की क्या स्थिति है और कब तक पूरी हो जायेगी ? उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है ?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री मनफूलसिंह) : (1) लूणकरणसर लिफ्ट योजना राजस्थान नहर परियोजना का ही एक अंग है। इस कारण अलग योजना आयोग से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

(2) योजना आयोग ने इस संबंध में ऐतराज किया है। उन्हें सही स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(3) इस योजना पर कार्य जुलाई सन् 1968 में चालू हो गया था और वर्ष

Page No 8

(श्री मनफूल सिंह)

1971-72 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस योजना के लिये धनराशि राजस्थान नहर परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि में से ही दी जा रही है।

श्री केदारनाथ : आपने पार्ट (2) में कहा है कि प्लानिंग कमीशन ने ऐतराज किया, वह ऐतराज किस नेचर का था एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या फाइनेन्शियल मेटर में?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : ऐतराज तो कोई खास नहीं था। फण्ड्स एलॉटमेन्ट के समय में लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम नहीं दिखती थी कि यह योजना आयोग से स्वीकृत नहीं हुई है लेकिन हमने बता दिया कि 63 में जो एस्टीमेट्स इस प्रोजेक्ट के भेजे थे उसी का यह पार्ट एण्ड पार्सल है और 69 की रिवाइज्ड एस्टीमेटस का भी पार्ट एण्ड पार्सल है। इसका एग्जेक्यूशन जारी है इसलिये उस फण्ड को लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए यूटीलाइज कर रहे हैं और नये सिरे से कोई ऐतराज नहीं उठाया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : जब भारत सरकार के वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ऑन स्पॉट इन्सपेक्शन पर गये तो उन्होंने ऑन स्पॉट पर इसका ऐतराज किया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑन स्पॉट पर ऐतराज तो नहीं किया था लेकिन उनसे हमने अधिक फण्ड्स की मांग की थी। उसके बारे में उन्होंने कोई केटेगारीकली 'यस' रिप्लाई नहीं दिया था।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इसमें कितना खर्चा होगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 8 करोड़ 26 लाख।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि इसमें टेक्निकल ऑब्जेक्शन किया गया था कि लिफ्ट योजना टेक्निकली ज्यादा कास्ट करती है इसलिये उसको नहीं लिया जाये?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई ऐतराज नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इससे सिंचाई शुल्क कितना आयेगा पर एकड़?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह केवल सिंचाई की योजना ही नहीं है माननीय अध्यक्षजी। लूणकरणसर एरिया में जो पीने के पानी की समस्या है वह भी मद्देनजर रखी है और साथ ही साथ बीकानेर के इन्डस्ट्रियल और ड्रिंकिंग वाटर के यूज को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया है 1 लाख 39 हजार एकड़ की सिंचाई होगी बाकी पीने के काम में आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि जितनी जमीन की सिंचाई होगी उसके पर एकड़ इर्रीगेशन चार्जेज कितने आयेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये हमने अभी जो तय किया है वह नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कितना रुपया आयेगा पर एकड़?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करीब 70 रुपया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि

(श्री भैरोंसिंह)

इरिगेशन रेट्स का नेशनेलाइजेशन करने के नाम से 70 रुपया यहां से वसूल नहीं किया जाये बल्कि समस्त राजस्थान केनाल के काश्तकारों में बांट कर रेट्स को रिवाइज किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: नहीं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मूल योजना में यह योजना छोटी करके मन्जूर की गयी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस योजना के बारे में कोशिश तो इतनी की है कि पहले करीब 2½ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने की व्यवस्था 63 के एस्टीमेट्स में थी उसके बाद में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की कमेटी ऑफ डाइरेक्शन में यह मामला गया और एक एक्सपर्ट्स कमेटी बैठी और यहां भी स्पेशल हाई पावर कमेटी बैठी और उसने जो रिकमन्ड किया वह टैक्निकली 600 क्यूसेक्स के लिए था।

श्री दौलतराम सारण: जो पहले मूल योजना थी उसको कट करने के क्या कारण बताये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मूल योजना में कट करने का कोई कारण नहीं। कारण यही है कि हम इस योजना का कोई सारा पानी राजस्थान केनाल का इधर ही डाइवर्ट कर दें ऐसा जरूरी नहीं था।

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या यह योजना अपनी तरह की प्रथम और एक ही है राजस्थान में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में भी अपने किस्म की पहली ही योजना है।

श्री हरजीराम बुरड़क: मूल योजना कितने रुपये की थी और कहां तक पानी ले जाने की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एरिया ज्यादा था। कैपेसिटी उसकी 800-900 क्यूसेक्स की थी और यह 600 क्यूसेक्स की है। तो आइन्दा इससे अधिक लेना चाहेंगे तो उसकी क्षमता है।

श्री रामनारायण चौधरी: इस लिफ्ट योजना में कितना पानी पीने में और कितना सिंचाई के काम में आयेगा ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर जिले के लिए शिक्षा के प्रसार के लिये प्रावधान

384. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में सबसे कम है ?

(2) राज्य सरकार ने जिले की शिक्षा संबंधी इस पिछड़ेपन और असंतुलन को मिटाने

(श्रीमती मदन कौर)

के लिये वर्ष 1970-71 में और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां।

(2) अभी तक चौथी पंचवर्षीय योजना एवं 1970-71 की योजना का जिलेवार विवरण तैयार नहीं किया गया है।

श्रीमती मदन कौर : क्या राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में और चौथी पंचवर्षीय योजना काल में बाड़मेर जिले में शिक्षा की मद में प्राथमिकता देने को तैयार है ?

राव श्री धीरसिंह : जो कम है प्रतिशत उस दृष्टिकोण से जिलेवार विवरण तैयार किया जायगा तब इस बात का भी ध्यान रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

सरकारी बीड़

385. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान भर में किस किस जिले में कितने कितने सरकारी बीड़ हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आजादी के पूर्व सरकारी बीड़ों के घास से गंजियें लगाई जाती थीं जो अकाल के दिनों में बड़ी रक्षा करती थीं ? अब घास की गंजियें नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जब से घास के बीड़ पंचायतों को दिये जाने लगे हैं पूरे राजस्थान का बड़ा नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में घास के बीड़ पंचायतों को नहीं देने का विचार रखती है ?

(4) क्या बार बार अकाल की स्थिति को देखकर फिर से फोडर बैंक्स बनाने का सरकार विचार रखती है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) वन विभाग के अधीन बीड़ों की संख्या जिले वार संलग्न सारिणी में दी हुई है।

(2) जी हां। पूर्व में घास की गंजियाँ सरकारी पुलिस, रिसाले आदि के घोड़ों के लिए लगाई जाती थीं। घास की गंजी अकाल सहायतार्थ अब भी लगाई जाती हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार घास बीड़ों का ठेका ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। इस नीति में परिवर्तन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(4) फोडर बैंक का प्रावधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय जो मुझे फहरिस्त मिली है उसके अनुसार चित्तौड़गढ में 20, भीलवाड़े में 75, चुरू में 36, कोटा में 7, झालावाड़ में 97, इतनी बीड़ें होते हुए भी घास की गंजियां नहीं लगा रहे हैं इसलिये महंगा घास बाहर से मंगाना पड़ता है। मुझ बचपन का किस्सा याद है कि हमारे यहां दरबार महाराणा साहब थे.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर! किस्सा नहीं, आप प्रश्न पूछियेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता: वे घोड़ों को घास खिलाते थे लेकिन गायों के लिए भी मुफ्त घास गंजियों से मिलता था.....

श्री अध्यक्ष: क्या यह ठीक है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: आप हर साल गंजियां क्यों नहीं लगाते हैं जब कि अकाल पड़ते रहते हैं ?

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): मसूदा में भी ऐसा होता था ।

श्री नारायणसिंह: गत वर्ष में और इस वर्ष में दो लाख क्विन्टल घास फेमीन डिपार्टमेंट को दे चुके हैं तो इस वक्त जो घास की गंजियां लगाई जाती हैं उनसे ही यह दिया जाता है । कोटा की तरफ और इधर और फोडर बैंक रखने का विचार इसलिये किया गया है और जो खपत बढ़ी हुई है उसका सामना किया जाता है । खपत जो बढ़ी है तो माननीय सदस्य परिचित हैं कि आबादी बढ़ने से और मवेशी ज्यादा होने से और अकाल पड़ने से घास जहां होता था वहां....

श्री अध्यक्ष: नमी की कमी से ।

श्री मनोहरसिंह मेहता: मेरे अपने ही क्षेत्र में जो 200 बीघा का बीड़ है उसमें क्या आज एक भी पूला गंजी के रूप में रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष: वह फहरिस्त में है क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: जी हां ।

श्री अध्यक्ष: नाम ।

श्री मनोहरसिंह मेहता: भीलवाड़ा जिले में नन्दराय का बीड़ ।

श्री नारायणसिंह: प्रत्येक बीड़ में घास की बागर नहीं लगाई जाती है ।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता महोदय, विरोधी पक्ष ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या मंत्री महोदय यह अनुभव नहीं करते हैं कि इन बीड़ों को पंचायतों को देकर इन बीड़ों का सत्यानाश करा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: क्या यह ठीक है ?

श्री नारायणसिंह: बीड़ों को पंचायतों को देना सारी जनता की मांग पर किया गया था और अब तक जो बीड़ घास के हैं इससे उनके उत्पादन में कमी नहीं पड़ रही है ।

श्री अध्यक्ष: सत्यानाश भी नहीं होता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वे खुद ही नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: क्या यह बात सच नहीं है कि आज जो राजस्थान की परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए दुबारा फोडर बैंक को दे सकते हैं, और बीड़ों को पंचायतों को सुपुर्द करने के पश्चात् यह फोडर बैंक बिल्कुल असम्भवसा हो चुका है ? क्या यह बात सही है कि पंचायतें इन बीड़ों को पर्सनल प्रापर्टी समझती हैं ? क्या पंचायतों को पर्सनल प्रापर्टी समझकर, जनता के लिये अहितकर कदम उठाकर, गलत एलॉटमेंट

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करके लाखों मवेशियों का इसके अन्दर अहित करते हैं? क्या सरकार का यह एक्शन अहितकर नहीं है? क्या सरकार इस संबंध में कि पंचायतों को बीड़ दिये गये हैं यह अनुभव नहीं करती है कि यह बिल्कुल गलत नीति है और जनता के लिए अहितकर नीति है? ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय और सरकार यह उचित नहीं समझती कि इन बीड़ों को पंचायतों के अधीनस्थ से हटाकर सरकार अपने अधीनस्थ ले ले?

श्री अध्यक्ष : क्या ये सभी प्रश्न याद रहेंगे?

श्री नारायणसिंह : ये सारे प्रश्न बुनियादी तौर से प्रजातन्त्र के विस्तार से सम्बद्ध होते हैं। प्रजातन्त्र को कितना संतुलित किया जाय-यह प्रश्न पहले विधान सभा को सोचना है और उसके पश्चात् यह सारा हो सकता है। फिर भी मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि पंचायतों को घास के बीड़ देने से कोई क्षति होती हो ऐसी बात नहीं है।

श्री जुझारसिंह : एक मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दें पूरा।

श्री नारायणसिंह : मवेशियों की चराई के नियन्त्रण से घास के उत्पादन पर फर्क पड़ता है। घास के बीड़ों को बजाय ठेकेदार के देने के तीन वर्ष के औसत पर पंचायतों को दे दिया गया तो उससे कोई उत्पादन पर फर्क पड़े यह मैं नहीं मानता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सादा प्रश्न था कि आपने एक भी गंजी नहीं लगाई इस वजह से लाखों मवेशी मौत के घाट उतरे, क्या इसकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है कि आपने गंजियां नहीं लगाई तो इसके कारण से मवेशी मरे हैं?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि घास की गंजियां लगाई गई हैं। जहां पर अधिक बीड़ हैं और अधिक घास का उत्पादन होता है वहां पर अब भी लग रहे हैं। इसीलिए तो 2 लाख क्विन्टल घास दिया जा चुका है और 75 मवेशियों को जब्त किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : नकस्ट।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण है ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है इस बात से तो मुझे कुछ हद तक सहानुभूति है, किन्तु मुझे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है कि राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों में क्या वह सचमुच दो लाख क्विन्टल घास इकट्ठा करना जखीरे में पर्याप्त समझते हैं?

श्री नारायणसिंह : मैंने अर्ज किया था मेरे भाषण में कटौती-प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलते हुए कि कम से कम 8 लाख, 9 लाख क्विन्टल घास की आवश्यकता पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अपर्याप्त है।

श्री नारायणसिंह : जितनी उपलब्ध भूमि है उस पर जितना उत्पादन हो सकता है उतना हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : यथाशक्ति है।

श्री नारायण सिंह : यदि जनता सहयोग दे...

Page No 13

श्री अध्यक्ष : तो ज्यादा हो सकता है ।

श्री जुझारसिंह : यह जो बीड़ हैं.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, Where there is a will, there is a way. अगर सरकार की इच्छा नहीं है करने की तो कुछ नहीं कर पायेगी, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि अगर सरकार 5 लाख क्विन्टल घास इकट्ठा करना चाहे तो 6 महीने में नहीं कर सकती है ? Where there is a will, there is a way.

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी जगह में होता तो मैं करके बता देता।

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता इकट्ठा करके बता सकते हैं परन्तु प्रजातन्त्र का दबाव है उस पर कुछ करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : क्या अपना स्थान देने को तैयार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, Greatest good of the greatest number के प्रिन्सिपल को मद्देनजर रखते हुए थोड़े बहुत वोट जा सकते हैं लेकिन Greatest good of the greatest number ही डेमोक्रेसी है यह मेरा मंत्री महोदय से निम्रतापूर्वक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि जो बीड़ पंचायतों को दे रहे हैं तो क्या वे बीड़ जो पंचायतों की सरहद से लगे हुए हैं या पंचायतों को दूसरी जगह पर बीड़ या दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पंचायतों को वहां पर देते हैं ?

श्री नारायणसिंह : अधिकांश में जो बीड़ दिये जाते हैं वे पंचायतों से लगे हुए ही दिये जाते हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया गया है। कोटा में 60 और बूंदी में 36 बताये हैं तो ये सब बीड़ या तो सेन्टीनेरीज में हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर के बीड़ हैं, और इनमें झालावाड़ के बीड़ों को कोटा की पंचायतों को दिये जा रहे हैं और कोटा के बीड़ झालावाड़ की पंचायतों को दिये जा रहे हैं। 30-30 मील तक की दूरी के बीड़ों का एलॉटमेंट किया गया है। यह कहां तक सही है ?

श्री नारायणसिंह : इस विषय में माननीय सदस्य तालिका देंगे तो.....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण कर दूंगा ।

श्री नारायणसिंह : मैं स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री जुझारसिंह : मैं कितनी ही बार तालिका दे चुका हूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार को पंचायत सीमा से बाहर के बीड़ पंचायतों को एलॉट करने का अधिकार नहीं है ?

श्री नारायणसिंह : अधिकार का जहां तक प्रश्न है तो जब ठेके दे सकते हैं तो उनको भी अधिकार दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : ठेका देने का सवाल नहीं है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में देने का सवाल है और

(श्री दौलतराम सारण)

आप पंचायतों को अधिकार क्षेत्र पंचायत की सीमा के बाहर के बीड़ का नहीं दे सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, योजना मंत्रीजी।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि दो तरह का ठेका देते हैं। एक तो पंचायत समिति....

श्री अध्यक्ष : योजना मंत्री, ऑर्डर।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जालोर जिले के लिये प्रावधान

386. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अन्तिम मसविदा तैयार किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना में पिछड़ा जिला जालोर के लिये अलग से प्रावधान रखा है ? अगर हां, तो कितनी धनराशि व किन किन कार्यों हेतु ?

(3) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रावधान हेतु पिछड़ेपन की पुनः जांच करवा ली है ? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पिछली तीन पंचवर्षीय योजना व उसके बाद वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत जिला जालोर में पर कैपिटा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उप-मंत्री, योजना (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) पिछड़े जिलों के विशेष प्रावधान 1966-67 से 1970-71 तक के लिये बनाई गई चतुर्थ योजना के प्रस्तावों में किया गया था। चतुर्थ योजना को स्थगित कर देने के निर्णय के फलस्वरूप इन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया गया। तत्पश्चात् 1969-70 से 1973-74 तक की नई चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह निर्णय लिया गया कि किसी जिला विशेष को पिछड़ा घोषित न कर, सभी जिलों के विभिन्न विकास मदों में पिछड़ेपन को ध्यान में रख कर वार्षिक योजनाओं में उनको प्राथमिकता दी जावे। इस निर्णय के फलस्वरूप विभिन्न जिलों के कुल पिछड़ेपन की पुनः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) द्वितीय, तृतीय व वार्षिक योजना 1966-69 में जालोर जिले में व्यय का प्रति व्यक्ति औसत रु० 75.22 आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत व्यय का जिलेवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

श्री आईदानसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, 1961-62 से 1964-65 और 1969-70, 71 के जो इकॉनॉमिक इन्डिकेटर हैं उनमें कोई फर्क है या वही के वही हैं?

श्री खेतसिंह : इन्डिकेटर के आधार पर आपके जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए ही पिछड़ा हुआ घोषित किया गया था। सवाई माधोपुर और जालोर जिले पिछड़े जिले हैं।

श्री आईदानसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इंडिकेटर चेंज कर दिये हैं या वही के वही हैं?

श्री खेतसिंह: जी नहीं, वह अब चेंज कर दिये हैं, जैसा मैंने प्रश्न के जवाब में निवेदन किया है अब इंडिकेटर का आधार है नहीं।

श्री आईदानसिंह: क्या यह सही है कि इंडिकेटर के आधार पर जिन सेक्टर में पहले पिछड़ा हुआ माना था अब उन सेक्टर्स में विकास हो गया है?

श्री खेतसिंह: जी नहीं, यह मैं नहीं कहता कि इंडिकेटर के आधार पर सभी मदों में विकास हो गया है। यह आधार चेंज कर दिया गया है—यह मैंने निवेदन किया।

श्री आईदानसिंह: अध्यक्ष महोदय, 16 इंडिकेटर इन्होंने दिये हैं और 1961-62 में जो इंडिकेटर का आधार माना है वह अभी चेंज नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि वहां कोई विकास नहीं हुआ है और जो पर कैपिटा एक्सपेंडीचर है जालोर का वह 75.22 है, तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, राजस्थान का पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर कितना है?

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री खेतसिंह: 210.49 पैसे।

श्री आईदानसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां 75.22 पैसे और कहां 210.49 पैसे, फिर आप कहते हैं कि इंडिकेटर चेंज कर दिये हैं। मैं कहता हूं कि इंडिकेटर क्यों चेंज किये जब कि वहां विकास नहीं हुआ है?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज! क्यों चेंज किये गये?

श्री खेतसिंह: मैंने निवेदन किया वह क्राइटेरिया नहीं माना है, जैसा प्रश्न के जवाब में कहा है वह आधार बदल के दूसरा आधार माना है। कोई जिला किसी बात में पिछड़ा हुआ है, कोई किसी बात में पिछड़ा हुआ है। सवाई माधोपुर जिला चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): आपका जिला कौनसी चीज में पिछड़ा हुआ है?

श्री खेतसिंह: जैसलमेर जिला सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है...

एक माननीय सदस्य: जोधपुर?

श्री आईदानसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक अतारांकित प्रश्न मैंने पूछा था पिछले सत्र में, 23-3-68 को उसका जो उत्तर मिला है उसका एक अंश में पढ़ कर सुना दूं। मैंने पूछा था—"इस जिले के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये?" तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया—"रुपये 323 करोड़ की अस्थाई तौर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1966 में उसमें जालोर व सवाई माधोपुर के विकास के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान अलग से किया गया था".....

श्री विजयसिंह (मकराना): वह एक करोड़ कहां गया?

श्री आईदानसिंह: परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने से वह कार्यवाही नहीं की जा सकी जो अभी कहा गया, नई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण कराते समय अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन की पुनः जांच करायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जांच कराई है?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया, यह बात सही है पहले इकॉनॉमिक इंडिकेटर के आधार पर जब जांच करवाई तो उसमें आपका जिला पिछड़ा हुआ जिला था, पिछड़े हुए जिलों में से एक था, उस वक्त यह प्रावधान रखा गया था कि एक करोड़ रुपया दो जिलों के अंदर खर्च किया जाय ताकि यह आगे बढ़ सकें। उसके बाद आधार चेंज कर दिया गया......

श्री अध्यक्ष : (श्री आईदानसिंह के खड़े होने पर) पहले उत्तर आने दीजिये।

श्री खेतसिंह : इसलिये पहले जो आधार था उसका अब सवाल पैदा नहीं होता है। अब सवाल रहा कि पिछड़ेपन की जांच करवाई गई तो इस जांच के आधार पर अलग अलग मदों में अलग अलग जिले पिछड़े हुए हैं। आप चाहें तो मैं उसकी लिस्ट अर्ज कर सकता हूं।

श्री आईदानसिंह : आपने कहा कि जांच कराई गई है तो आप बतायें कि हमारा जिला किस किस मद में विकसित हुआ है? और इंडिकेटर के आधार पर कौनसी मदों में विकास नहीं हुआ है?

श्री खेतसिंह : यह मंत्री महोदय जवाब देंगे।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य को जो कन्फ्यूजन है, स्थिति इस प्रकार से है कि सबसे पहले जैसा कि उप मंत्रीजी ने जवाब दिया है, वन फोर्थ फाइव ईअर प्लान वाज ड्राफटेड ओरिजिनली उस वक्त फोर्थ फाइव ईअर प्लान के ड्राफ्ट में जो इकॉनॉमिक इंडिकेटर उस वक्त उपलब्ध थ, उसके आधार पर जो दो जिले राजस्थान में पिछड़े हुए थे उनका विकास करने के लिए स्पेशली एलोकेशन एक करोड़ रुपये का रखा था। बाद में फोर्थ फाइव ईअर प्लान दुबारा बना उस वक्त इंडिकेटर एनुअली बदलते रहते हैं और उनके आधार पर कभी कोई जिला बैकवर्डनैस की दृष्टि से सबसे पीछे हो जाता है तो कभी दूसरा हो जाता है...

श्री रामनारायण चौधरी : वह झुंझुनू है।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये हमने कहा था कि फोर्थ फाइव ईअर प्लान में एक करोड़ रुपया रख देते हैं। जब दूसरा एनुअल प्लान बना और देखा कि एक साल में इंडिकेटर बदल जाता है तो उस स्कीम को ड्रॉप कर दिया गया। अब योजना बनाई गई है उसके अन्दर सारे जिलों को, जो किसी न किसी सेक्टर में बैकवर्ड हैं, धनराशि दी जायगी। शिक्षा में पिछड़ा हुआ है तो शिक्षा के लिए धनराशि दी जायगी, मेडिकल में पिछड़ा हुआ है तो मेडिकल के लिये धनराशि दी जायगी और इर्रिगेशन में कम है तो इर्रिगेशन में ज्यादा धनराशि देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट! श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री आईदानसिंह : एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि आपने इसकी जांच करवा ली है? अगर जांच करवाली है कि सब जिले किस किस मद में पिछड़े हैं तो जालोर जिले को किस मद में पिछड़ा हुआ मानते हैं? आपने इसकी सूची नहीं दी है।

श्री मथुरादास माथुर : जालोर जिला किसमें बैकवर्ड है—यह अलग से प्रश्न है। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो जालोर रोड्स के मद में पिछड़ा हुआ है....

श्री दौलतराम सारण : पोलिटिकली एडवान्स्ड है ।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे यह अलग से प्रश्न हो जाता है जिसका इससे संबंध नहीं है, कई जिले कई सीगों में पिछड़े हुए हैं । यह रोड्स एण्ड काम्युनिकेशन के मीन्स में बैकवर्ड है, यह आप जानते हैं । यही नहीं, इरिगेशन पोटेंशियेलिटी होते हुए भी लिफ्ट इरिगेशन में यह पिछड़ा रह गया है । इसके लिए स्पेशल योजना बनाई है—यह भी आप जानते हैं । अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से अलग अलग सेक्टर पर प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो आप अलग से प्रश्न करें—में बताने के लिए तैयार हूं ।

श्री आईदानसिंह : मैंने सूची मांगी है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी ने यह बताया कि हर जिला किस किस बात में पिछड़ा हुआ है—इसकी सर्वे करा ली गई है । वह सूची देने के लिए तैयार हैं । तो मेरा निवेदन है कि वह सूची सदन की मेज पर रखवा लें ताकि हम उससे जानकारी कर सकें कि कौनसा जिला किस बात में पिछड़ा हुआ है और किस पंचवर्षीय योजना में किस जिले के लिए क्या व्यवस्था की गई—इसकी जानकारी कर सकें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये नेता महोदय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर अमुक एलोकेशन आपने किया, वह एलोकेशन आपने इंडिकेटर के आधार पर किया । माननीय प्रश्नकर्ता ने यह पूछा है प्रश्न कि आपके लेटेस्ट एलोकेशन के अनुसार, इंडिकेटर और एलोकेशन के अनुसार जालोर की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालिये । तो जो इन्फार्मेशन मांगी गई है, सूचना मांगी गई है वह माननीय मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री आईदानसिंह : जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख देंगे—यह आश्वासन नहीं दिया है ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि जो जो माननीय सदस्य जिस जिस क्षेत्र के हैं उनसे उनके क्षेत्र की एक सूची मांगें कि आपके यहां कौन कौनसी चीज हुई है, क्या क्या चीजों की कमी है ताकि आपको सहूलियत हो सके ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री ओमदत्त भाटी !

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी है, वह रिपोर्ट की कापी मुझे मिली नहीं है । इसका मतलब यह है कि इन्होंने कोई जांच नहीं कराई है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास दस पन्द्रह माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं, जिनमें दस पन्द्रह माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है ।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न ऐसा है जिसमें सब माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है ।

श्री अध्यक्ष : यह ऐसा नहीं है जिसमें सब प्रश्न समाविष्ट हो जायं ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न के उत्तर से सब माननीय सदस्यों की इच्छा पूर्ति हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : आप देना चाहते हैं ? (श्री खेतसिंह से) उप-मंत्रीजी, आप उधर पॉइन्टआउट मत करिये, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने प्रश्न प्रारम्भ किया है ।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया, यह चाहते हैं तो चूरू जिले में कौन कौनसी चीज बाकी है उनकी सूची दे दूंगा ।

श्री आईदानसिंह : जालोर की सूची मांगी है मैंने ।

श्री दौलतराम सारण : मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में कौन कौनस जिले पिछड़े हुए हैं और उनके लिए राजस्थान सरकार ने क्या प्रावधान करने की व्यवस्था की है । यह जानना चाहता हूं, केवल चूरू से संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे जिलों के बारे में विचार कर सकते हैं ?

श्री विजयसिंह : यह सब जिलों के बारे में है ।

श्री मदनसिंह : आयोजन जिस वक्त होगा उस वक्त....

श्री दौलतराम सारण : अभी आप बता रहे थे कि सूची तैयार है । यह सूची तैयार है तो सदन की मेज पर रखने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 388.

श्री आईदानसिंह : इसका मतलब तो यह हुआ अध्यक्ष महोदय, कि अभी जो उप-मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि हमने सर्वे करा ली है और सब हमारे पास तैयार है, यह मंत्री महोदय का जवाब बिल्कुल गलत है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न में पूछा गया डेटा सप्लाई नहीं होता है तो. . .

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है, नेता महोदय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों का सप्लीमेंटरी करने का अधिकार ही समाप्त हो जाता है ।

श्री आईदानसिंह : मैंने जांच रिपोर्ट अपने प्रश्न में मांगी है, वह तो दे दें ।

श्री मथुरादास माथुर : कौनसी ?

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री ।

श्री दौलतराम सारण : तो क्या यह मान लिया जाय कि सरकार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं करवाई है और झूटी जानकारी सदन को दी है कि हमने इस प्रकार की सर्वे करा ली है ? क्या सरकार की ओर से दिया गया उत्तर तथ्यहीन, निराधार और झूठा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मोस्ट अनसेटिस्फेक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 387

श्री कृष्णकुमार गोयल
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये).

उदयपुरवाटी-रींगस रूट की बसें

388. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किस साल के बाद की मोडल की बसें रूट पर चलाई जा सकती है ?

(2) उदयपुरवाटी से रींगस रूट पर चलने वाली बसों के मोडल क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि आर० जे० बी० 443 बस उपरोक्त रूट पर चलती है ?

(4) क्या यह सही है कि आर० जे० बी० 443 बस की एक आगे की बत्ती नहीं है और हुड भी टूटा हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि बस की हालत खराब होते हुए भी उसमें नियमित जगह से कहीं ज्यादा सवारी भर दी जाती हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) :

(1) राजस्थान में जिन मोडल्स की बसें चलाई जा सकती हैं उनकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें बसों के मोडल्स अंकित किये हुए हैं ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । अलबत्ता बस की आम हालत ठीक नहीं है ।

(5) बस नम्बर आर०जे०बी० 443 को दिनांक 18-3-70 को मोटर वाहन उप-निरीक्षक, सीकर द्वारा रूट पर चैक करने पर बस में 24 सीट के स्थान पर 40 सवारियां बैठी हुई पाई गई एवं गाडी का 10-1-70 के बाद फिटनैस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया हुआ था । फलस्वरूप मोटर मालिक को परमिट केन्सिल करने का नोटिस धारा 60 के तहत दिया गया है एवं मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष निर्णय हेतु आगामी बैठक दिनांक 16-4-70 में प्रस्तुत होगा ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी : आपने प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में 'जी नहीं' कहा, यह किसकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : किसकी रिपोर्ट पर कह रह हैं "जी नहीं" ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : "जी नहीं" यह तो टैक्निकल खराबियों के लिये है । पर वैसे इस बस की हालत ठीक नहीं है, यह बतला दिया गया है ।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने खुद ने उस बस में ट्रेवल किया है, उसके आधार पर मैंने यह प्रश्न दिया है, उसके आगे की एक बत्ती नहीं है और हुड भी टूटा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : हुड लटका हुआ होगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका हुड ठीक है ।

श्री ओमदत्त भाटी : चैक करने का क्या आधार है ? तीन महिने में करते हैं, 6 महिने में चैक करते हैं, या कब होना चाहिए ? या हम याद दिलायें तभी चैक होगें ?

श्री रामप्रसाद लढ़ा : इसका सर्टिफिकेट 10-1-70 को समाप्त हुआ। 18-3-70 को मैकेनिकल इन्सपेक्टर ने चैकिंग किया और जो इसमें छः, सात खराबियां पाईं, उन्हें अंकित किया और मैकेनिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं होते हुए भी गाड़ी चलाई इसलिए लाइसेंस कैंसिल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा !

काबिल काश्त भूमि पर नाजायज कब्जे

389. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में वन विभाग की काबिल काश्त भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां और कितनी कितनी भूमि पर ?

(2) क्या सरकार इस भूमि को काश्त के लिए, कृषकों को देना चाहती है जब कि इसमें कोई पेड़ पौधे आदि नहीं हैं और न वन विभाग की ओर से इस भूमि में जंगल ही उगाये जाते हैं ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि ऐसी जमीन रेंज बकानी, रेंज असनावर, रेंज झालावाड़ व रेंज अकलेरा में काफी तादाद में है, और अगर उन्हें खेती के लिए दे दिया जावे तो उत्पादन बढ़ने और खाद्य समस्या का हल होने में मदद मिल सकती है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। अतिक्रमण द्वारा नष्ट हुए वन क्षेत्रों के पुनर्वास की योजना विभाग के विचाराधीन है।

(3) इन रेंजों के वन क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि अधिक नहीं है। जो थोड़ी बहुत भूमि कहीं कहीं है वह वन क्षेत्र के अन्दर है जिसके कारण उसे कृषि हेतु देना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस सूची के मुताबिक 4,450 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है झालावाड़ जिले में और आपने कहा है कि वह भूमि खेती योग्य नहीं है तो वहां खेती कितने साल से हो रही है और विभाग की ओर से उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायणसिंह : खेती तीन चार साल से हो रही है और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है और वे केसेज चल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : लगभग 4 हजार बीघा भूमि पर अतिक्रमण का तो आपने इस सूची में बताया है पर और भी बहुत सी फोरेस्ट की भूमि पर लोगों ने झालावाड़ जिले के गोगुन्दा, धनवार आदि में कर रखा है और लगभग 500 बीघा जमीन पर खेती हो रही है, अतिक्रमण किया गया है, पर उसके संबंध में आपने नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

क्या यह आंकड़े पूरे नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह : इस समय मेरी सूचना के मुताबिक यही आंकड़े हैं।

Page No 21

श्री रामप्रसाद बोहरा : लगभग 10 हजार बीघा भूमि पर अतिक्रमण हुआ हैं, वहां पेड़ पौधे नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये। क्या लगभग 10 हजार बीघा भूमि पर अतिक्रमण हुआ है ?

श्री नारायणसिंह : मेरी जानकारी के अनुसार 4,450 बीघा पर अतिक्रमण हुआ है, वह बता दी गई है। अभी यह भूमि गलत तौर पर काश्त हो रही है। इन्सपेक्टर जनरल, फोरेस्ट ने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को मेमोरेन्डम में लिखा है कि जो इस प्रकार के फौरेस्ट्स हैं जहां पेड़ पौधे कम हैं, उनको फिर से एमिलियोरेट करने का प्रयत्न करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ये अतिक्रमण करने वाले काश्तकार भूमिहीन काश्तकार हैं या भूमि वाले काश्तकार हैं ?

श्री नारायणसिंह : यह जानकारी करने की कोशिश नहीं की, केवल उन पर केसेज चला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अगर भूमिहीन किसान हैं तो उनको यह भूमि क्यों नहीं अलोट कर दी जाती है ?

श्री नारायणसिंह : अलोटमेंट का सवाल नहीं, फोरेस्ट्स की भूमि का अतिक्रमण किया है.....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है मन्त्री महोदय !

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : यह जो 4,450 बीघा भूमि पर आपने अतिक्रमण का बताया है, क्या अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों पर मुकदमे चला रहे हैं ?

श्री नारायणसिंह : सब पर चल रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : कब से ?

श्री नारायणसिंह : 65-66 से चलाये हुए हैं।

श्री जुझारसिंह : आपके नेताओं ने जमीनें फाड़ रखी हैं, आपके उप-मंत्री ने जमीन फाड़ रखी है, फिर उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? आपके उप-मंत्री का हाथ होता है। इस प्रकार के अतिक्रमण में इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री अचलाल (हिन्डौन) : 4,450 बीघा वनों की भूमि पर अतिक्रमण किया है और आपने स्वीकार किया है कि चार पांच साल से कब्जा है तो क्या आप यह उचित नहीं समझेंगे कि जब काश्त हो रही है तो इस भूमि को काश्तयोग्य मान कर भूमिहीनों को इस भूमि का अलोटमेंट कर दिया जाय ?

श्री नारायणसिंह : इस बात को सोचा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दुर्गालाल वाढ़दार !

विद्यार्थियों का परीक्षा स्थल

390. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि बोर्ड आफ सैकेन्डरी एज्यूकेशन, राजस्थान ने जयपुर नगर के विद्यार्थियों का परीक्षा स्थल जयपुर नगर न रख कर अन्य स्थानों पर रखा है ?

(श्री दुर्गालाल बादवार)

(2) क्या यह भी सच है कि जयपुर नगर में बाहर के विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र रखा गया है ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि सैकेन्डरी परीक्षा में बैठने वाले छात्र प्रायः अल्पवयस्क होते हैं और उनके लिए परीक्षा के दिनों में अपने घर से दूर रह कर आवास, भोजन व पढाई की व्यवस्था करना सम्भव नहीं और अभिभावक इतने सम्पन्न नहीं होते कि व्यवस्था कर सकें ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं। जयपुर शहर में परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह निर्णय लिया गया था कि परीक्षा केन्द्र चौमूं व सांगानेर भी रख दिया जावे। पर परीक्षार्थियों की असुविधा को देखते हुए जयपुर शहर में 2 अतिरिक्त सटर प्रारम्भ कर दिये, जिससे समस्या हल हो गई।

(2) यह लड़कों की इच्छा पर यदि परीक्षा केन्द्र पर गुंजायश हो तो ऐसा कर दिया जाता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दुर्गालाल बादवार : भविष्य में भी ऐसा ही ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 391।

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 392 !

श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

टीचिंग स्टाफ के स्वीकृत पद

393. **श्री भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) (क) राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पदों की स्वीकृति का क्या आधार है ? इस आधार पर दिसम्बर, 1969 तक विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(ख) इन स्वीकृत पदों में कितने कितने खाली हैं और कब से और क्यों ?

(ग) विभिन्न विषयों की कक्षाओं में पढने वाले छात्रों की संख्या क्या है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर और उदयपुर के मेडिकल कालेजों में फार्मेकोलोजी विभाग में रीडर के पद कब व किस आधार पर स्वीकृत किये गये ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर पूरा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 394 !

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री !

सरस्वती बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं को तनख्वाह का भुगतान

395. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1969 में सरस्वती बालिका विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा रुकी तनख्वाहों की मांगों के लिए धरना दिया गया था ? यदि हां, तो क्या निरीक्षिका द्वारा सरकार को इसकी शीघ्र सूचना दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रथम धरना अध्यापिकाओं द्वारा निरीक्षिका के आश्वासन पर निश्चित तिथि तक के लिए समाप्त किया था ? यदि हां, तो निरीक्षिका द्वारा क्या आश्वासन पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :
(1) जी हां ।

(2) जी हां । फिलहाल अध्यापिकाओं को वेतन चुका दिया गया है । लेकिन स्थायी रूप से संस्था की समस्या को हल करने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या धरने के संबंध में अक्टूबर में ही राज्य सरकार को सूचित किया गया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : संस्था की तरफ से लिखा तो गया था कि ग्रान्ट कम मिल रही है पर आधार नहीं बताया था ।

श्री भगवानदास शास्त्री : 70 प्रतिशत आप दे रहे हैं, 30 प्रतिशत उनको जुटाना पड़ता है ।

श्री शिवचरण माथुर : मूल समस्या अजमेर की और संस्थाओं के अन्दर भी है कि उनको दिक्कत हो रही है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : टीचर्स की संख्या 40 दी है पर वास्तव में 37 ही हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : यह जानकारी नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : सरस्वती बालिका विद्यालय एडेड स्कूल है, हमने बार बार आपसे निवेदन किया है कि उस पर आप चैक रखें । देखें कि, किस प्रकार का प्रबन्ध हो रहा है, पर आपने इस बारे में क्या जानकारी की है ? इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं आपके और जनता के बीच में, उन्होंने जनवरी तक बच्चों की पढाई खराब हुई, उसके लिए क्या किया ?

श्री शिवचरण माथुर : ग्रान्ट इन एड के रूल्स में है कि इन संस्थाओं की जो त्रुटियां नजर आती हैं तो उनके संबंध में हम कार्यवाही करते हैं केवल सरस्वती बालिका विद्यालय में ही नहीं अजमेर की दूसरी संस्थाओं में भी इस प्रकार की हालत है उनके संबंध में हम जांच कर रहे हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह इतना बड़ा विद्यालय है, इसकी 5 से 10 लाख तक प्रोपर्टी पहुंच गई है । 70 पर्सेंट सरकार एड देती है तो फिर सरकार क्यों नहीं इस विद्यालय को अपने हाथ में ले लेती है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है और नीति का प्रश्न है । केवल सरस्वती बालिका विद्यालय का ही सवाल नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि वह आपके बंगले के सामने धरना लगाकर बैठीं और गुंडों को उन पर छोड़ दिया गया और सरकार की तरफ से उनकी कौनसी सहायता की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे घर के सामने तो कोई धरना नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा ।

ग्राम पंचायत, डाबी के सरपंच के विरुद्ध आरोप

396. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिंडोली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत, डाबी, तहसील बूंदी के सरपंच, श्री हजारीलाल के विरुद्ध कितने आरोप लग रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस सरपंच के विरुद्ध धारा 17(4) की कार्यवाही चलाई गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि शिकायतों की जांच के लिए उप जिला विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-मंत्री पंचायत, (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) अभी कोई जांच नहीं चल रही है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : प्रश्न के खण्ड एक में मैंने सूची मांगी है जो नहीं दी गई ।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जो कुछ कार्यवाही चल रही थी, वह समाप्त हो चुकी है । राज्य सरकार ने उनको आरोपों से बरी कर दिया और फैसला दिया जा चुका है । इसलिए सूची का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मेरे द्वारा सदन में सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 प्रश्न आए और चारों निराधार बता दिए ?

श्री अध्यक्ष : क्या किया जाय ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है संरक्षण देकर, सरकार जागरूक नहीं है और सरपंच जितना भ्रष्टाचार फैला रहा है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट

397. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मेडिकल ज्यूरिस्ट बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता पड़ती है ? यदि हां, तो क्या योग्यता होनी चाहिए ?

(2) इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कौन आसीन है और उनकी योग्यता क्या है तथा कब से उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां । इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव निर्धारित है :-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

योग्यता : फोरेन्सिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रीडर की नियुक्ति के लिए आवश्यक है तथा लेक्चरार नियुक्त किया जाय तो स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मेडिसिन या सरजरी में योग्यता होनी चाहिए।

अनुभव : स्नातकोत्तर के पश्चात् संबंधित विषय में 3 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम एक वर्ष का अनुभव मेडिकल कॉलेज में लेक्चरार के रूप में हो। मेडिको लीगल कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो।

(2) डा० एम० एम० दुगड़ दिनांक 27-9-66 से मेडिकल ज्यूरिस्ट का कार्य कर रहे हैं किन्तु दिनांक 20-6-68 से 10-7-68 तक डा० जगमोहन शर्मा ने यह कार्य किया था। डा० दुगड़ की योग्यता निम्न प्रकार है:—

एम० बी०, बी० एस०, कलकत्ता	1948
डी० टी० एम०, कलकत्ता	1950
डी० एम० जे०, लन्दन	1963

तथा ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास (यू०के०) में 2-314 साल सन् 1960 अक्टूबर से जून, 1963 तक प्राप्त ही है।

श्री विजयसिंह : तो क्या आपके अनुसार वह योग्यता के अनुसार मेडिकल ज्यूरिस्ट बने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न विचाराधीन है और डिस्प्यूटेड है। यहां यूनिवर्सिटी ने इजाजत दे रखी है।

श्री विजयसिंह : यूनिवर्सिटी की इजाजत का तब सवाल नहीं आता है जब कि योग्यता के अनुसार मेडिकल ज्यूरिस्ट बनाया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले प्रश्न था चुका है। मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : विस्तार से उत्तर मिला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस समय इस प्रश्न में जाना ठीक नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि इस बारे में कई रिप्रेजेन्टेशन्स आ रहे है और इनसे ज्यादा क्वालीफाइड व्यक्ति होते हुए भी यूनिवर्सिटी ने इनको प्रोमोशन नहीं दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इनसे ज्यादा भी है और प्रार्थना-पत्र पर विचार जारी है।

श्री विजयसिंह : मैंने कई प्रश्न पूछे, थे। मैंने यह पूछा था कि जब से ये मेडिकल ज्यूरिस्ट बने थे उससे पहले इनकी क्या हालत थी और अब आर्थिक स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : इसका आशय था इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह मेडिकल ज्यूरिस्ट बने उससे पहले इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और बनने के बाद आर्थिक स्थिति......

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। पता लगा लेंगे।

श्री विजयसिंह : मेडिकल ज्यूरिस्ट ने पैसे कमाए हैं और कमाते जा रहे हैं जिससे गरीब लोग मारे जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या 398

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 399

श्री गंगसहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हरजीराम बुरड़क ।

ग्राम पंचायत, चन्द्राई के सरपंच को निर्माण कार्यों के लिए दी गई धनराशि

400. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत, चन्द्राई, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर ने सन् 1965-66 से लेकर अब तक निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति द्वारा दी गई राशि का उपयोग कर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, चन्द्राई, पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के विरुद्ध सन् 1955-56 से लेकर समय समय पर निर्माण कार्यों के लिए पंचायत समिति द्वारा की गई राशि को खर्च न करके पूंजी का फर्जी हिसाब पेश करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी और सरकार ने बाद जांच यह आदेश दिया था कि मय दंडनीय ब्याज के राशि सरपंच से वसूल की जावे ? यदि हां, तो कब कितने रुपये वसूल करने का आदेश दिया गया था और कब वसूली हुई ?

(3) उक्त अवधि में उपरोक्त सरपंच ने कौन कौन से निर्माण कार्य के लिए कब कब कितने कितने रुपये दिए या प्राप्त किए और कौन कौन कार्य कहां कहां पर कब कब सम्पन्न करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) मामला जांच में है ।

(2) प्रारम्भिक जांच के पश्चात् 9,102) रु० मय दंडनीय ब्याज वसूल करने के लिए जिलाधीश को आदेश दिनांक 8-1-68 को दिया गया था । राशि अभी वसूल नहीं हुई है, निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच करवाई गई है। उस पर निर्णय लेना है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि प्रारंभिक जांच करते समय ये जो वसूली के आदेश निकाले थे, उससे पहले तकनीकी जांच करवाई गई और उस आधार पर यह वसूली निकाली थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अभी भी जांच करना बाकी है । इसलिए जांच रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जायगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : वसूली के आदेश निकालते समय राज्य सरकार के पास तकनीकी रिपोर्ट थी या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो फिर आदेश कैसे निकाले वसूली के ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मैं पूर्ण सूचना तो नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि ओवरसीयर की कोई रिपोर्ट हो-सरपंच के फैसले को चेलेंज किया हो इसलिये उचित समझा गया कि असिस्टेंट इंजीनियर इसकी पूरी इवैल्यूएशन व असेसमेंट करे । असिस्टेंट इंजीनियर की तकनीकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और उस पर कार्यवाही की जायगी

Page No 27

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें पहले असिस्टेंट इंजीनियर, सामुदायिक विकास योजना, द्वारा जांच की गई थी, राज्य सरकार के आदेश से की गई थी और उसके रिपोर्ट के आधार पर यह वसूली निकाली थी।

दूसरी बात आपने जो सूची दी है उसमें नम्बर 1 को छोड़कर जो 12 आइटम्स सूची में दिए हैं उनमें से 10 में काम नहीं हुआ है और आपने लिखा है कि प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं यह गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : कम्पलीशन सर्टीफिकेट्स हैं, उसका मतलब यह है कि जो पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है कार्यों के अंदर जो पंचायत समिति चलाती है, तो जब अकाल होता है तो वह कन्ट्रीब्यूशन वेव कर देते हैं। राज्य सरकार के पास रिपोर्ट जो है वह यह कि उन दिनों अकाल था इसलिए पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन आवश्यक नहीं था इसलिए राज्य सरकार ने वेव कर दिया। कब वेव किया, क्या स्थिति है, कौनसे गांव हैं, दुबारा हमने पूछा है। पूर्ण जानकारी आने के बाद में इस पर निर्णय लिया जायगा आया उन दिनों अकाल था या नहीं। इसलिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स अकाल के संदर्भ में हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आइटम नं० 1 को छोड़कर बाकी आइट्म्स में एक पैसे का काम नहीं हुआ। आपने सूची में लिखा है कि प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरे कार्य जो आपने बताये जैसे कुंड या सांडशाला, वह भी पूरे नहीं हुए हैं, कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स गलत हैं, दुबारा जांच करवायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : असिस्टेंट इंजीनियर की टेक्निकल रिपोर्ट राज्य सरकार के पास हाल ही में आई है। मैं उसको देखूंगा और फिर राज्य सरकार फैसला करेगी आया जिन कामों के कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं, वाकई गलत हैं क्या। अगर यह तथ्य है तो उसके बाद में कार्यवाही की जायगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : आइटम नं० 1 में किया गया है। आगे के 10 आइटम्स के बारे में जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिए हैं, क्या उनके बारे में जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा !

झालावाड़ मालता मार्ग की बसें

401. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़-मालता रोड पर अभी कितनी बसें चल रही हैं ? इस रूट पर कितने व्यक्तियों को परमिट दिए हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि केवल एक ही बस अभी चल रही है जो समय पर बिलकुल नहीं चलती है तथा बिलकुल नाकारा हालत में है और वह कभी-कभी तो रास्ते में ही रुक जाती है या कभी आती नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि इस रोड पर बसों की कमी के संबंध में काफी शिकायतें मंत्रीजी, आर० टी० ओ० व जिलाधीश झालावाड़ को दी गई परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 28

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(4) क्या यह भी सही है कि यहां के ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो इस रूट पर नये परमिट क्यों नहीं दिए गए हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) : (1) मार्ग झालावाड़-मालता रोड पर दो बसें स्वीकृत हैं । जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. मैसर्स शांतिलाल शिव कुमार झालावाड़ आर० जे० ओ० 478 ।

2. मैसर्स राधेश्याम बनवारी लाल असनावर वाहन सं० आर० जे० ओ० 251 ।

(2) जी हां, एक बस रेगुलर चल रही है और इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि वह रास्ते में रुक जाती है। अब इस संबंध में छानबीन करली जायगी ।

(3) बस नम्बर आर० जे० ओ० 478 की अधिक सवारियों उठाने बाबत शिकायत अवश्य प्राप्त हुई थी जिस पर प्रादेशिक-परिवहन प्राधिकरण, कोटा द्वारा 30-10-69 को रु० 415 से संधान किया गया ।

(4) प्रादेशिक, परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने अपने प्रस्ताव संख्या 77, दिनांक 29-7-69 से इस मार्ग पर स्कोप निर्धारित किया है, जिसमें दो वाहन एवं दो रिटर्न ट्रिप्स निश्चित किया है और इस समय दो ही वाहन इस मार्ग पर हैं ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि 23-11-69 व 5-2-70 को इसकी शिकायतें आईं, दो साल से बसों का समय पर न पहुंचना, ऊपर की सवारियां बैठाना, ऐसी शिकायतें विभाग के पास आ रही हैं, परन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) । शिकायत पहले आना नहीं पाया गया है लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया है तो इसकी छानबीन करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

कई माननीय सदस्य : प्रश्न रह गये है हमारे ।

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्न रह गये हैं ।

श्री महेन्द्रकुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सीमेन्ट की खरीद

386. **श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करग :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा डिवीजन में इरिगेशन विभाग ने अकाल राहत मद से 8 लाख का सीमेन्ट खरीदा जो अभी तक खर्च नहीं हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि यह सीमेन्ट उन स्कीमों के नाम पर व्यय बताकर रख लिया गया है जिसका वास्तविक खर्च नहीं

(श्री हीरा भाई)

हुआ ? यदि नहीं, तो किन किन स्कीमों पर खर्च हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत के नाम से सार्वजनिक निर्माण विभाग (बांसवाड़ा डिवीजन) द्वारा 13 लाख का डामर, 4 लाख का सीमेन्ट व 2 लाख का लोहा खरीदा जो बिना व्यय के पड़ा हुआ है ? यदि व्यय हुआ, तो कितना ?

(4) क्या यह सही है कि यह सब अब अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर आया है ? यदि नहीं, तो किस तारीख में आया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

आकोड़िया बांध का सर्वे

377. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील देवली के आंकोड़िया बन्ध का सर्वे कब हुआ है ? क्या इस पर सन् 1967 के फैमिन में कोई काम हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) इस बन्ध के शेष कार्य को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया तथा यह काम अब कब पूरा होगा ?

उत्तर

(1) आंकोड़िया बांध का सर्वे सन् 1967 में किया गया था । सन् 1967 के फैमिन में इस कार्य पर 6,703/- रु० खर्च किये गये थे ।

(2) तखमीना स्वीकृत होने पर धन उपलब्धि के अनुसार शेष कार्य करवाया जा सकेगा ।

मोदी मिनरल एण्ड ग्राइन्डिंग मिल्स मांवड़ा के जप्त बही खाते

381. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, सन् 1962 या इसके आस-पास राजस्थान के कर विभाग द्वारा नीम का थाना में स्थित मोदी मिनरल एण्ड ग्राइन्डिंग मिल्स, मावंड़ा में मोहनलाल अग्रवाल के स्थित व्यापार लाइम स्टोन व श्री किशनलाल मोदी व मोहनलाल मोदी के रहने के मकान वाके छावनी, नीम का थाना में घेरा डालकर सेल्स टैक्स की चोरी के आरोप में बही खाते जप्त करने की रेड की थी ?

(2) कुल कितने बही खाते व किन किन फर्मों के तथा किस किस साल के जप्त किए गए थे ?

(3) इस रेड के आधार पर कितने सेल्स टैक्स की चोरी की धनराशि सेल्स टैक्स अधिकारी ने प्रथम दौर में बांधी और उसमें से कितनी वसूल हुई ?

(4) कृपया पूर्ण विवरण सदन की पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29-8-62 को सेल्स टैक्स की चोरी के संदेह में नीम क

(आबकारी एवं कर मंत्री)

थाना व मांवडा के निम्नलिखित व्यापारियों के बही खाते हस्तगत किये गये थे।

1. मैसर्स एस० के० दास एण्ड कम्पनी, नीमा का थाना ।

2. मैसर्स न्यू भारत लाइम इण्डस्ट्रीज, मांवडा ।

3. मैसर्स हेमकरण लाइम इण्डस्ट्रीज, मांवडा ।

4. मैसर्स राजस्थान मिनरल सिंडीकेट, मांवडा ।

5. मैसर्स राजस्थान मिनरल एण्ड ग्राइन्डिग मिल्स, मांवडा ।

6. मैसर्स मोहन लाल अग्रवाल, मांवडा ।

7. मैसर्स मोदी मिनरल एण्ड ग्राइन्डिग मिल्स, नीम का थाना ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जप्त किए गए बहीखातों की जांच के फलस्वरूप प्रथम दौर में रु० 2,18,476.52 का कर निर्धारण किया गया। व्यापारियों ने रु० 20,594.12 स्वेच्छा से कर निर्धारण के पूर्व जमा करा दिये थे । बहीखातों के आधार पर रु० 1,97,882.40 की अतिरिक्त मांग कायम की गई तथा रु० 60,030.00 की शास्ती आरोपित की गई। इस प्रकार कुल अतिरिक्त मांग रु० 2,57,912.40 की कायम की गई थी । उक्त पार्टियों की अपील के आदेशानुसार मांग रु० 1,83,818.95 कम कर दी गई। अत: मांग वसूल योग्य रु० 74,093.45 हुई। इसमें से पार्टियों ने रु० 71,842.74 जमा करा दिये हैं तथा शेष राशि रु० 2,250.71 की वसूली उपायुक्त (अपील्स) के आदेश से रुकी हुई है ।

(4) पूर्ण विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नर्सिंग कॉलेज में नियुक्ति का आधार

387. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नर्सिंग कालेजों में पढ़ाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है?

(2) इस समय जयपुर नर्सिंग कालेज में कितने लेक्चरार्स आदि हैं और उनकी क्या 2 योग्यता है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या जयपुर नर्सिग कालेज के किसी कर्मचारी की शिकायतें छात्राओं से छेड़ छाड़ के संबंध में हुई थी? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इनकी नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) वर्तमान में निम्नलिखित

(चिकित्सा मंत्री)

व्याख्याता कार्यरत है जिनकी योग्यता उनके नाम के समक्ष दिखाई गई है :-

नाम	योग्यता
श्री रामस्वरूप व्यास वरिष्ठ व्याख्याता	1. जनरल नर्सिंग परीक्षा 1956 में पास की। 2. सिस्टर टयूटर का डिप्लोमा स्कूल ऑफ नर्सिंग सी० एं० सी० अस्पताल वैलोर से सन् 1959 में पास की। 3. बी० एससी० नर्सिंग केरल यूनीवर्सिटी से जुलाई सन् 1966 में पास की। सिस्टर टयूटर व पढ़ाने का अनुभव ए० एन० एम० व जनरल नर्सिंग छात्रों का दिनांक 1-6-59 से 1-11-66 तक। तथा दिनांक 2-11-66 से नर्सिंग कालेज जयपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं।
2. श्री गोविन्दकान्त शर्मा कनिष्ठ व्याख्याता	1. जनरल नर्सिंग की परीक्षा मार्च, 1954 में पास की। 2. सिस्टर ट्यूटर की परीक्षा जनरल कालेज आफ नर्सिंग दिल्ली से 1960 में पास की। 3. बी० एस०सी० नर्सिंग की परीक्षा चन्डीगढ़ से सन् 1968 में पास की। पढ़ाने का अनुभव 1. जनरल नर्सिंग व मिडवाईफ कोर्स 23-5-60 से अगस्त 1968। 2. लेडी हैल्थ विजिटर्स व ए० एम० एम० ट्रेनिंग प्रोग्राम अगस्त 68 से अक्टूबर, 1968 तक। 3. बी० एस०सी०, नर्सिंग 11-10-68 से अब तक।

(1) जी हां। मामले की जांच कराई गई तो शिकायत निराधार पाई गई फिर भी संबन्धित अधिकारी को एक महिलाओं की संस्था में अपना व्यवहार और आचरण छात्राओं के प्रति सही एवं शुद्ध रखने के लिए लिख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सुविधाएं

391. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री दिग्विजय सिंह)

ने इस वर्ष ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीकृत बैंकों को 7 करोड़ रुपये की गारण्टी देने का निश्चय किया है? यदि हां, तो यह कौन कौन से बैंक है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह सुविधा कौन कौन से जिलों में दिलवाई जावेगी? कृपया उन जिलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभी यह निर्णय ले लिया है कि यह सुविधा फिलहाल उदयपुर, भीलवाडा, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़, बांसवाडा, डूंगरपुर व पाली जिलों में ही दी जावेगी यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

(4) राज्य सरकार इस प्रकार के निर्णय लेते समय क्या आधार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करने हेतु निम्न बैंकों को 7 करोड़ रुपये की गारंटी देने का निश्चय राज्य सरकार ने किया है:–

1. बड़ौदा बैंक	एक करोड़ रु०
2 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	एक करोड़ रु०
3. पंजाब नेशनल बैंक	एक करोड़ रु०
4. राजस्थान बैंक लि०	एक करोड़ रु०
5. युनाईटेड कामर्शियल बैंक	एक करोड़ रु०
6. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक आफ इंडिया	दो करोड़ रु०

(2) राजस्थान के सभी 26 जिलों में यह सुविधा दी जायेगी।

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति केकड़ी के अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

392. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) :– क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी पंचायत समिति के अधिकारियों के विरुद्ध अनेक गंभीर आरोपों की जांच जिलाधीश अजमेर के आदेशानुसार उप-जिलाधिकारी केकड़ी द्वारा की गई थी?

(2) क्या सरकार ने उक्त जांच रिपोट के निर्णय पर किसी तरह की कार्यवाही की? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधीश द्वारा जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी गई और उन्होंने अपने स्तर पर ही आवश्यक निदेश जारी कर दिये।

टोंक–सवाई माधोपुर रूट की गाडियां

394. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक सवाई माधोपुर रूट पर कितनी गाडियां पास हैं।

Page No 33

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह सच है जो गाड़ियां पास हैं उनके अलावा कई गाड़ियां चलती हैं जो सरकार को टैक्स नहीं देती हैं और न उनके पास उस रूट का परमिट ही है? यदि हां, तो ऐसी कितनी गाड़ियां चलती हैं?

(3) गाड़ी नम्बर आर० जे० वी० 1132 जो टोंक से सवाई माधोपुर चलती है किसकी है व कहां के लिये पास है?

(4) क्या यह भी सच है कि टोंक से इन्द्रगढ़ वाया आमली गाड़ियां पास हैं पर आमली एक भी गाड़ी नहीं जाती है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सच है कि टोंक से जितनी गाड़ियां चलती हैं उनमें से टैक्स की वसूली बहुत कम से की जाती है? यदि हां, तो कितनी गाड़िया में टैक्स बाकी है?

उत्तर

(1) टोंक-सवाई माधोपुर रूट पर 22 बसें पास हैं।

(2) टोंक-सवाई माधोपुर रूट पर पास शुदा बसों के अतिरिक्त कोई बस चलती हुई नहीं पाई गई है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) बस नं० आर० जे० वी० 1132 श्री महमूद खां, निवासी टोंक की है एवं यह बस किसी रूट पर पास नहीं है।

(4) जी हां, यह सच है कि टोंक से इन्द्रगढ़ वाया आमली गाड़ियां पास हैं। इन बसों के आमली नहीं जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी नहीं।

रोडवेज कर्मचारियों को बोनस

398. श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को आज तक केवल एक ही बार 6 महीने का बोनस दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार 4 प्रतिशत बोनस दिया जाना अनिवार्य है?

(3) क्या रोडवेज लाभ कमा रही है? यदि हां, तो कितना और उसके अनुसार बोनस क्यों नहीं दिया जाता है?

उत्तर

(1) राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को अक्टूबर, 64 से मार्च, 65 तक एक बार 4 प्रतिशत वेतन के हिसाब से एक्सग्रेसिया 49,060 रु० भुगतान किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सन् 1968-69 में 12,91,000 रु० का शुद्ध लाभ निगम को हुआ और 1969-70 में अनुमानतया 3 लाख रुपये के लाभ की आशा है। यह मामला सरकार के जेर गौर है।

न्यू हायर सेकेन्डरी स्कूल, अलवर में अध्यापकों की व्यवस्था

599. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यू हायर सैकेन्डरी स्कूल, अलवर के जो अध्यापक प्रशिक्षण को गये हुए है, उनके स्थान पर दूसरे अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल में दो शिफ्ट (पारी) में शिक्षण कार्य होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस शाला में बॉयोलोजी (biology) की कक्षायें चालू कर दी गई हैं परन्तु बॉयोलोजी का अध्यापक अभी तक नहीं भेजा गया है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह सही है।

(3) जी हां। बॉयोलोजी का अध्यापन कार्य विद्यालय के प्रयोगशाला सहायक, जो इन्टर मिजियेट हैं, के द्वारा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्टेट लॉटरी से आय

437. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान स्टेट लॉटरी के कुल कितने ड्रॉ हुए और प्रत्येक ड्रॉ में राज्य सरकार को कितनी कितनी आमद हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रत्येक ड्रॉ के इनामों का पूर्ण वितरण हुआ या नहीं ? अगर नहीं तो प्रत्येक ड्रॉ के अनपेड इनामों की ड्रॉ वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ड्रॉ के लाभांश से किस किस विभाग को किस किस विकास कार्य हेतु दिया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट लॉटरी के अब तक कुल दस ड्रॉ हुए हैं प्रत्येक ड्रॉ में टिकटों की बिक्री में नीचे लिखे अनुसार आमद हुई ?

प्रथम ड्रॉ दि० 1-1-69	रु० 15,35,070-00
द्वितीय ड्रॉ दि० 6-4-69	रु० 19,47,108-00
तृतीय ड्रॉ दि० 8-6-69	रु० 11,97,892-00
चतुर्थ ड्रॉ दि० 10-8-69	रु० 16,07,049-00
पंचम ड्रॉ दि० 20-9-69	रु० 14,35,820-00
षष्टम ड्रॉ दि० 31-10-69	रु० 14,68,048-00
सप्तम ड्रॉ दि० 9-12-69	रु० 12,55,800-00
अष्टम ड्रॉ दि० 13-1-70	रु० 12,58,405-00
नवम ड्रॉ दि० 16-2-70	रु० 11,12,500-00
दसम ड्रॉ दि० 26-3-70	रु० 7,85,470-00

इसके अतिरिक्त एजेन्सी शुल्क एवं विविध आय (रद्दी की बिक्री) आदि से क्रमश: रु० 4,800) एवं रु० 1,933) की आमद हुई ।

(वित्त मंत्री)

(2) निर्धारित अवधि में प्राप्त टिकिटों के इनाम की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रत्येक ड्रॉ में सरेण्डर न होने के कारण नीचे लिखे अनुसार इनामें अनपेड रही हैं :-

नाम ड्रॉ	सरेण्डर न होने वाले टिकटों की संख्या		राशि
प्रथम ड्रॉ	10	2,000	20,000)
द्वितीय ड्रॉ	6	2,000	20,000)
	8	1,000	
तृतीय ड्रॉ	8	2,000	28,000)
	12	1,000	
चतुर्थ ड्रॉ	1	1,000	29,550)
	21	500	
	75	100	
	211	50	
पंचम ड्रॉ	127	100	22,150)
	189	50	
षष्टम ड्रॉ	2	1000	15,550)
	48	100	
	175	50	
सप्तम ड्रॉ	2	1,010	16,220)
	142	100	

आठवें व बाद के ड्रा के इनामों को क्लेम करने की अवधि अभी शेष है अत: ऐसी सूची इस समय देना संभव नहीं।

(3) आमद की राशि संचित निधि में जमा है। लाभांश किसी भी विभाग को किसी कार्य हेतु नहीं दिया गया है।

पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

438. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में तीनों पंच-वर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में उक्त योजनाओं पर प्रति व्यक्ति कितना औसत खर्चा हुआ है आंकड़े भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का जिलेवार वितरण उपलब्ध नहीं है। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं 1966-67 से 1968-69 की तीन वार्षिक योजनाओं में जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय व उसके निर्धारण का आधार संलग्न है।

(2) जिलों में वितरण योग्य योजनान्तर्गत व्यय के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति औसत खर्चा रु० 210.49 आता है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि उनका जिलेवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान पुस्तकालय में रखी गई है।)

सवाई माधोपुर जिले में कॉलेज

439. श्री भवरलाल (हिन्डोन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में सरकार इसी वर्ष एक सरकारी कॉलेज खोलने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

तोपखाना हायर सैकण्ड्री स्कूल का भवन

440. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तोपखाना हायर सैकेन्डरी स्कूल, जयपुर जिस सरकारी मकान में चल रहा है वह सरकारी मकान सारा स्कूल के काम आ रहा है या किसी भाग को रिहायश के कार्य में लिया जा रहा है ? यदि रिहायश के कार्य में लिया जा रहा हो तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(2) उक्त मकान के पानी व बिजली का खर्चा किस के द्वारा वहन किया जा रहा है तथा प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है ?

(3) क्या उक्त मकान का कुछ हिस्सा स्कूल के स्टॉफ के अलावा किसी बाहर के कर्मचारी को आवास के लिए बहुत लम्बे अर्से से दे रखा है ? यदि हां, तो किस को किन शर्तों पर किसके द्वारा कब दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस भवन में दरबार हायर सैकण्डरी स्कूल तथा बेसिक मॉडल मिडिल स्कूल चल रहे हैं । इनके अतिरिक्त चार क्वार्टर्स निम्न शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निवास हेतु किराये पर आवंटित किये हुए हैं ।

क्वार्टर नं० 1 श्री नेहपाल सिंह, विद्यालय निरीक्षक, जयपुर ।

क्वार्टर नं० 2 श्री घासीलाल शर्मा, प्रधानाध्यापक, दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर ।

क्वार्टर नं० 3 श्री एस० एम० दास, डिप्टी इन्सपेक्टर, फिजीकल एज्यूकेशन, जयपुर ।

क्वार्टर नं० 4 श्री जानकी वल्लभ व्यास कार्यालय सहायक, कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, जयपुर।

(2) पानी व बिजली का खर्चा भवन में चल रहे विद्यालयों द्वारा वहन किया जा रहा है । क्वार्टर में अलग अलग मीटर होने के कारण उनका खर्चा क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा ही वहन किया जाता है ।

विद्यालय का गत वर्ष का पानी व बिजली का खर्चा निम्न प्रकार था :-

पानी का	बिजली का	योग
1980.21	1717.89	36,198.10

(शिक्षा मंत्री)

(3) जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में बताया गया है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अलावा तीनों व्यक्ति विद्यालय स्टॉफ के तो नहीं है किन्तु शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों को निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की समस्त शर्तों को पूर्ती करते हुए क्वार्टर्स आवंटित किये गये हैं।

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

441. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को दिये जा रहे अनुदान नियमों में संशोधन कर रही है? यदि हां, तो कब से क्या क्या संशोधन किया जा रहा है तथा संशोधन की क्या आवश्यकता हुई?

(2) संशोधित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को क्या क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध होंगी?

(3) उक्त संशोधित नियमों में संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में कोई सुधार किया गया है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। अध्यापकों को सुविधायें दिलाने हेतु संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

(2) अनुदान नियमों में संशोधन होने पर संस्थाओं के कर्मचारियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि वर्तमान समय में इन सुविधाओं से वंचित हैं जैसे उसी वर्ष का व्यय उसी वर्ष स्वीकार किया जाना आदि।

(3) अनुदान नियमों में संशोधन अभी विचाराधीन है।

पटवारी का बांध

442 **श्री गंगा सहाय** (कठूमर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, जिला अलवर के पटवारी का बांध टूटा पड़ा है? यदि हां, तो यह बांध कब टूटा और इस बंधे की मरम्मत अब तक न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। यह बांध सन् 1901 या 1902 में टूटा था। यह बांध सिंचाई विभाग के अधीन न होने के कारण तथा गांव वालों की ओर से मांग न होने के कारण इसकी मरम्मत का कार्य अब तक नहीं किया गया था। मांग आने पर इसकी मरम्मत का काम प्रारम्भ कर दिया गया है जो संभवतः अप्रेल, 70 तक पूरा हो जावेगा।

तहसील बूंदी में बरड़ क्षेत्र के बांध

443. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बूंदी के बरड़ क्षेत्र में बूंदी राज्य के समय के बने हुए कुल कितने बांध हैं?

(2) कुल बान्धों में से कितने ऐसे हैं जो टूटे पड़े हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता तथा यह कब से टूटे पड़े हैं?

(श्री केशरीसिंह द्वारा)

(3) ऐसे कितने बांध हैं जिनकी मामूली मरम्मत हो जाने पर पानी ठहर सकेगा ?

(4) क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि उपरोक्त बान्धों की मरम्मत हो जाने से उस क्षेत्र के मवेशियों को पीने के पानी व पेटा काश्त के लिए बनवासी ग्रामीण जनता को अन्न उपार्जन के लिए एक साधन हो जाता है ?

(5) कुल बान्धों की मरम्मत में कितनी रकम लगने का अनुमान है और क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुल तालाब व पिक अप वियर 47 हैं।

(2) 11 तालाब रियासत के समय से ही टूटे पड़े हैं।

(3) 10 तालाब ऐसे हैं।

(4) बांधों की मरम्मत से ग्रामीण जनता को अन्न उपार्जन का साधन हो सकेगा।

(5) इन बांधों के जीर्णोद्धार व मरम्मत में लगभग 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। समुचित धन राशि उपलब्ध होने पर इनकी मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

राजस्थान केनाल के लिये निर्धारित राशि

444. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 69 से लेकर 31 मार्च, 70 तक के लिए अकाल सहायता की धनराशि के अलावा राजस्थान केनाल के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ?

(2) उपरोक्त धनराशि में से 31 मार्च, 1970 तक कितनी खर्च हो जायेगी और कितनी धनराशि लैप्स होगी ?

(3) राजस्थान केनाल के लिए वर्ष अप्रेल, 69 से लेकर 31 मार्च, 70 तक खर्च करने के लिए अकाल सहायता से कितनी धनराशि दी गई है ? उसमें से कितनी खर्च हो चुकी है और कितनी धनराशि बाकी है ?

(4) दोनों ही प्रकार की धनराशियों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के लिए रु० 8 करोड़ का प्रावधान 1969-70 में रखा गया है।

(2) आशा है कि प्रायः सारा प्रावधान खर्च हो जावेगा।

(3) अकाल सहायता द्वारा रु० 75 लाख दिये गये थे जिसमें से फरवरी, 1970 के अन्त तक रु० 43.52 लाख खर्च हो चुके थे और करीब रु० 31.48 लाख बाकी बचे।

(4) वांछित सूचना प्रश्न के भाग (1) व (3) के उत्तर में दे दी गई है।

कर्मचारियों के तबादले

445. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी०एफ०ओ०, बारां द्वारा बारां डिवीजन के अधीनस्थ कार्य

(श्री प्रेमसिंह सिववी)

करने वाले एल० डी० सी०, फोरेस्ट्स, फोरेस्ट गार्ड्स आदि कई कर्मचारियों के दो-दो, चार-चार माह में ट्रान्सफर किये जाते हैं ? इस प्रकार के कितने कर्मचारियों के पिछले 1 वर्ष में तवादले हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि बाद में उन्हीं लोगों के तवादले कैंसिल भी कर दिये जाते हैं ? क्या सरकार इस संबंध में जांच कर उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पिछले एक वर्ष में केवल एक सहायक वनपाल को जिसे 1-9-69 को छीपावड़ोद से स्थानान्तरित कर चैकिंग नाका कल्याणपुरा पर पदस्थापित किया गया था, नाके पर प्रायः अनुपस्थित रहने एवं नाका इंचार्ज द्वारा शिकायत की जाने के कारण 30-12-69 को उन्हें पुनः शाहाबाद रेन्ज में स्थानान्तरित किया गया ।

(2) जी नहीं ।

सवाई माधोपुर जिले के लिए निर्धारित राशि

446. श्री चुन्नीलाल जेलियां (खण्डार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले को सालाना चिकित्सा विभाग की तरफ से कितना रुपया दिया जाता है तथा उन रुपयों में से हर अस्पताल व डिस्पेंसरी को कितना कितना दिया जाता है ?

(2) क्या जो पैसा हर डिस्पेंसरी को दिया जाता है उससे वहां की डिस्पेंसरी का कार्य अच्छी तरह से चल सकता है ? अगर नहीं चल सकता तो क्या सरकार सवाई माधोपुर जिले को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की चिकित्सा विभाग की ओर से वर्ष 1969-70 में रु० 11,26,775 की धनराशि स्वीकृत की गई है तथा उक्त राशि में से जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रत्येक अस्पताल व डिस्पेंसरी में किये गये आवंटन की सूची संलग्न है ।

(2) प्रावधान, संस्थाओं के स्वीकृत पद सेवाओं एवं दैनिक रोगियों के औसत के आधार को मद्देनजर रखते हुए राशनाइज्ड पेटर्न के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त भी किसी संस्था की मांग पर अतिरिक्त धनराशि भी दी जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

447. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरापाटन नगर, जिला-झालावाड़ के मंदिर श्री नवनीतलाल द्वारकाधीश पर कितने कर्मचारी कौन कौन हैं और इन्हें प्रति माह क्या वेतन मिलता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों ने अपने वेतन वृद्धि के हेतु लगभग 3 वर्ष से सरकार को काफी निवेदन किया,

Page No 40

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

था जिसके पश्चात् दिनांक 1-11-68 से इनकी वेतन वृद्धि की गई ? यदि हां, तो कितनी और किन किन की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि आज तक भी इन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इन्हें वेतन दिनांक 1-11-68 से बढ़ा हुआ वेतन कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वान्छित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) कोई वेतन-वृद्धि नहीं की गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बाड़मेर जिले में किराये पर लिये गोदाम

448. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में राज्य सरकार ने खाद्य के स्टॉक को रखने के लिए कितने गोदाम किन किन व्यक्तियों के कब कब कहां कहां पर गत पांच सालों में किराये पर लिए ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त गोदामों में से कितनों का किराया संबंधित व्यक्तियों को कब कब अदा किया गया और कितनों का कब कब से बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उक्त गोदामों के किराये की अदायगी देरी से करने के क्या कारण हैं और उनके लिये कौन जिम्मेवार है और उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार उक्त बकाया किराये का भुगतान कब तक कर देगी, निश्चित तिथि से अवगत करें।

(स्थगित किया गया)

अकाल राहत क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था

449. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) सन् 1968-69 व 69-70 में अब तक अकाल राहत क्षेत्रों में किस जिले में किन किन मदों पर पीने के पानी की व्यवस्था करने में किस किस माह में कितना कितना व्यय हुआ है ?

(2) किस किस जिले के कितने कितने गांवों में किस किस माह में किस किस प्रकार के यातायात से पानी पहुंचाया गया और उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या पानी के पहुंचाने के लिए टंकियों आदि की खरीद करनी पड़ी है ? यदि हां, तो इस प्रकार की खरीद में किस किस जिले में किस हिसाब से कितना कितना व्यय हुआ है ?

(4) किस किस जिले के कितने कितने गांवों में किस किस हिसाब से पिवाई दी गई और उस पर कुल कितना कितना व्यय हुआ ?

(अकाल-सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) चूरू जिले के अतिरिक्त अन्य किसी जगह कोई टंकियां जल-परिवहन के लिए नहीं खरीदी गई। चूरू जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2,63,425.00 मूल्य की 3,625 टंकियां अलग अलग क्षमता की खरीदी गईं थीं।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राहत कार्यों पर व्यय

450. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस–किस जिले की किस–किस तहसील में कहां–कहां अकाल राहत के लिए किस–किस किश्त के कितनी कितनी धनराशि के कार्य गत एक वर्ष में करवाए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अकाल राहत के लिए करवाए जाने वाले कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो गए और कितने अधूरे हैं सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह अधूरे कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे और इन पर अब कितना अधिक खर्चा आवेगा ?

(4) क्या यह सही है कि इन कार्यों में सड़कों का निर्माण भी हुआ है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और कितनी कितनी लम्बी मील और कौन कौन से गांवों को मिलाने वाली सड़कें बनी हैं और उन पर कितना कितना खर्च हुआ है तथा इसे बरसात में उनकी क्या हालत है ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

मेड़ता तहसील में चारे के डिपो

451. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष नागौर जिले में जिले से बाहर जाने वाले पशुओं के लिये चारा सप्लाई के लिये मेड़ता तहसील में कितने डिपो कहां कहां थे ?

(2) इन डिपो पर किस-किस व्यक्ति से कितना-कितना, किस–किस तारीख को किस–किस भाव से चारा लिया गया ?

(3) क्या इस चारे की खरीद के लिये टेण्डर लिये गये ? यदि हां, तो टेन्डर कब लिये गये ?

उत्तर

(1) इस वर्ष नागौर जिले से बाहर जाने वाले पशुओं के लिए निष्क्रमण डिपो निम्नांकित स्थानों पर थे:—

1. मेड़ता सिटी
2. मेड़ता रोड
3. गोटन
4. लाम्बा
5. रैन
6. चाबंडिया
7. पादूकलां
8. गोग्राड़ा
9. रिणियाड़ी

Page No 42

(अकाल सहायता मंत्री)

इनमें से पादूबड़ी का डिपो दि० 2-11-69 को बन्द कर दिया गया था।

(2) जिन व्यक्तियों [illegible] गया है उनकी सूची [illegible]

[illegible]

1. [illegible]	1000-09
2. [illegible]	600-00
3. [illegible]	710-67
	2300-[illegible]
2. [illegible]	
1. मेड़ता सिटी	1500-00
2. रेन	400-79
3. [illegible]	170-20
4. [illegible]	470-25
5. पादूबड़ी	197-11.50
	2745-41.50
3. श्री राम प्रसाद	
1 मेड़ता सिटी	93-00
4. श्री राम चरण	
1. मेड़ता सिटी	73-20
5. श्री छीतर मल	
1. पादूबड़ी	63-16.50
6 श्री रावत राम	
1. मेड़ता सिटी	246-8[illegible]
2. मेड़ता रोड	200-00
3. रेन	497-02
4 चरांडिया	1022-66
5. रियांबड़ी	2526-81
	4493-33

[illegible] द्वारा दिनांक 24-10-69 से दि० [illegible] तक निम्न भाव से खरीद गया था :

1. [illegible]	24 से 26 रु० प्रति क्वि०
2. [illegible] ज्वार	21 रुपये प्रति क्वि०
3. [illegible]	27 रुपये प्रति क्वि०
4. [illegible] बाजरी [illegible]	20 रु० प्रति क्वि०
5. [illegible]	10 रु० प्रति क्वि०
6. [illegible] ज्वार	30 रु० प्रति क्वि०

(3) ये टेण्डर जिलाधीश नागौर द्वारा जिला स्तर पर लिये थे और इन टेन्डरों के आधार पर ही रेट तय गई थी।

फलसूंड-रातड़िया सड़क कार्य

452. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फलसूंड-रातडिया सड़क जैसलमेर जिला सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर जिलाधीश ने 1968 में अकाल सहायता विभाग द्वारा आरम्भ कर दी थी? अगर हां, तो उसके बन्द करने के क्या कारण ह?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क द्वारा फलसूंड को फलौदी से बस द्वारा जोड़ा गया ह, और आज भी इस रूट पर मोटर चल रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जोधपुर में मंडला गांव तक इस वर्ष अकाल सहायता विभाग ने इस सड़क पर कार्य

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

आरम्भ रखा जो इस सड़क का एक हिस्सा है? अगर हां, तो फलसूंड से आरम्भ सड़क को सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, जोधपुर द्वारा बन्द करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत अधीक्षक अभियन्ता द्वारा किये गये सड़क कार्य को बन्द करने की क्षमता अधीक्षक अभियन्ता को कानूनन नहीं है? अगर हां, तो उपरोक्त मामले में जोधपुर के अधीक्षक अभियन्ता श्री जोशी ने कौनसी शक्ति काम में लाकर इस कार्य को बन्द किया है?

(5) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार इस सड़क को तीन बार बन्द करके आरम्भ किया गया? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(6) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर इस प्रकार से मजदूरों द्वारा भी कभी दो दिन कभी चार दिन काम किया गया और कई मजदूरों को उस समय किये गये कार्य की आज तक मजदूरी नहीं दी गई? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब कब तक इसके भुगतान की व्यवस्था करदी जाएगी?

(7) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार से मजदूरों की जिन्दगी के साथ अधिकारियों द्वारा खिलवाड़ करने के बावजूद भी कोई उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई?

अगर हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां जिला, अकाल सहायता सलाहकार समिति की बैठक दि० 20-2-69 के निर्णय के अनुसरण में जिलाधीश ने राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना रातड़िया फलसूंड का कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दि० 25-2-69 को दी गई थी। चूंकि यह कार्य राज्य सरकार की सहमति के बिना चलाया गया था अतः इसको बन्द करने के आदेश दिये गये थे।

(2) जी हां, इस रूट पर बस चलती है।

(3) मंडला से फलोदी की ओर सड़क कार्य गत वर्ष जोधपुर जिले में स्वीकृत किया गया था। फलसूंड से प्रारम्भ सड़क को अधीक्षक अभियन्ता द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में ही बन्द करवाया गया था।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की अनुमति बिना चालू किये गये किसी भी राहत कार्य को बन्द करवा देने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।

(5) यह कार्य पहली बार दि० 1-3-69 से आरम्भ हुआ था जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा दि० 7-3-69 को बन्द करवा दिया गया। जिलाधीश ने इस कार्य को दि० 11-3-69 को सहायक अभियन्ता को आदेश देकर पुनः आरम्भ करवा दिया जिसे अधीक्षक अभियन्ता ने दि० 15-3-69 को राज्य-आदेशों के अन्तर्गत पुनः बन्द करवा दिया।

(6) जी नहीं, मजदूरों को भुगतान कर दिया गया है।

(7) राज्य आदेशों के अन्तर्गत कार्य बन्द करवाया गया था अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उप-सरपंच ग्राम पंचायत डींगसरी के विरुद्ध कार्यवाही

453. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत डींगसरी, तहसील लाडनूं, जिलानागौर के उप-सरपंच श्री कुशलसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त उप-सरपंच के खिलाफ जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई थी और जांच में क्या क्या आरोप सिद्ध हुए ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस प्रकार के गम्भीर आरोप काबिल पुलिस में सौंपने के हैं ? यदि हां, तो यह मामला पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया ?

(4) क्या अब भी इस की कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के पास और कब से तथा अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(5) इसमें अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जावेगा और अनावश्यक देर के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, पद का दुरुपयोग तथा कर्तव्यपालन में विफल रहने के कारण दो मामलों में जांच की जा रही है !

(2) उप-जिलाधीश डीडवाना से जांच करवाई जारही है। विस्तृत जांच-प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जांच-रिपोर्ट प्राप्त होने पर वचार किया जायेगा।

(4) जी हां। दोनों मामलों में जांच उप-जिलाधीश डीडवाना के पास दि० 4-4-68 तथा 28-9-68 से है। उप सरपंच की उपस्थिति में रेकार्ड देखा जा रहा है।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा किस कारण से जांच में देरी हुई यह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्पष्ट हो सकेगा।

पंचायत रानोली का ऑडिट

454. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1963 के पश्चात पंचायत रानोली, जिला सीकर का एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऑडिट पार्टी को कई बार रानोली सरपंच ने ऑडिट कराने से इन्कार कर दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऑडिट कराने हेतु सरपंच को पंचायत समिति उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर एवं जिलाधीश, सीकर द्वारा कई बार लिखा परन्तु सरपंच ने किसी की भी परवाह नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच के विरुद्ध पंचायत के धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं ?

(5) क्या सरकार रानोली पंचायत के हिसाब का जब से श्री हीरालाल सरपंच कार्य कर रहे हैं, ऑडिट कराने की व्यवस्था करेगी ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1963-64 से ऑडिट नहीं हुआ है।

(2) वर्ष 1964-65 से ऑडिट नहीं करवाया गया है।

(3) जी हां। ऑडिट नहीं करवाया गया।

(4) जी हां। जांच जारी है।

(5) जी हां। ऑडिट करवाया जायेगा।

पंचायत समिति रीयां द्वारा वितरित ऋण

455. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति रीयां ने लोगों को विभिन्न तरह के लोन दे रखें हैं? यदि हां, तो जनवरी, 1965 से दिसम्बर, 1969 तक लोन देने की तारीख व्यक्ति व गांव का नाम वापिस वसूली की तारीख व किस कार्य के लिये इस सारे विवरण का चार्ट कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ऑपरेशनों में गड़बड़ी

456. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या परिवार नियोजन-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नागौर जिले में चलाये गये परिवार नियोजन पखवाडों में किये गये ऑपरेशनों के संबंध में गड़बड़ी की गई है? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) नागौर जिले में पखवाड़ों में आपरेशनों में गड़बड़ियां की गयी ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। इस जिले में सितम्बर एवं दिसम्बर 1969 के पखवाड़ों में 1,572 नसबन्दी ऑपरेशन किये गये थे और इन व्यक्तियों के फॉलो-अप करने के समय पाया गया कि सिर्फ 14 व्यक्तियों के कुछ सूजन आ गयी या टांके पक गये। इनमें से 9 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराकर माकूल इलाज कराया गया और ठीक हो जाने पर छुट्टी दे दी गयी। शेष को उनके स्थान पर ही दवा देकर तथा समय समय पर देख-भाल करके ठीक कर दिया गया।

माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनांक अक्टूबर 29, 1969 में राष्ट्रदूत में प्रकाशित श्री हेमसिंह चौधरी के पत्र का सन्दर्भ देते हुए लिखा था कि इस पत्र में नागौर जिले में हुए नसबन्दी के कार्य में की गयी भयंकर गड़बड़ियां का उल्लेख है लोगों की नसें काटकर छोड़ देते हैं, न उनको कोई संभालते हैं, न दवा दी जाती है और न कोई इन्जेक्शन। इस मामले में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से श्री चौधरी से मिले और ऐसे व्यक्तियों की सूची देने के लिए कहा जिनके मामलों में

Page No 46

(परिवार नियोजन मंत्री)

गड़बड़ियां हुई हों-किन्तु श्री चौधरी ने बताया कि उनके पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। इसलिये श्री चौधरी ने पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया है और वे इन बातों को लिखित में देने को भी तैयार नहीं हैं।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राजस्थान एटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट में दिनांक 28 व 29 मार्च, 1970 को दो मजदूर यूनियनों में झगड़े के परिणाम स्वरूप 5 व्यक्ति मरने व 50-60 व्यक्ति घायल होना बतलाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी चाही गयी है। जानकारी मिलने पर उस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अलावा दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:—

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री परसराम व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जोधपुर नगर के हरिजनों के साथ में तेजा छात्रावास के छात्रों द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार किये जाने व पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने व हरिजनों द्वारा हड़ताल किया जाना बतलाया गया है अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उक्त हड़ताल समाप्त हो जाना मालूम होता है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गोरधन सोनी, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रूपसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें मेड़ता शहर की नगरपालिका का पॉवर हाउस खराब होने से गत 3 वर्षों से नागरिकों को उचित मात्रा में विद्युत् समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें गत 3 वर्षों से बिजली की व्यवस्था ठीक न होना बतलाया गया है इसलिये यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त पेन्डिग 2 स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। वे इस प्रकार हैं:—

श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान नहर लम्बे समय तक बंद रहने से रबी की फसल को क्षति पहुंचने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसके उत्तर में राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि भाखरा बांध से राजस्थान नहर के लिये दिनांक 22 मार्च, 1970 से 1,000 क्युसेक्स पानी प्रति दिन छोड़ा जा रहा है तथा पानी की बंदी के समय राजस्थान नहर क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा भी हो चुकी है जिससे रबी की फसल की क्षति होने से काफी बचाव हो गया है। इसके अतिक्ति सिंचाई की मांग पर बहस के दौरान भी इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा भी हो चुकी है।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना कुशलगढ़ क्षेत्र को स्पेशल कृषि उत्पादक योजना में न लिये जाने के संबंध में श्री हीरामाई, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से जो उत्तर मिला है उसमें यह कहा गया है कि कुशलगढ़ पंचायत समिति की कृषि विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस खण्ड को वर्ष 1969-70 में सघन कृषि क्षेत्र योजना एवं हाई ईल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया गया है। इस खण्ड में मक्का और गेहूं की फसल का हाई यील्डिंग प्रोग्राम वर्ष 1969-70 से आरम्भ किया गया जिसके उत्साह वर्धक परिणाम रहे हैं। वहां तकनीकी जानकारी देने और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक कृषि प्रसार अधिकारी एवं 5 ग्राम सेवकों के अतिरिक्त पद भी सृजित किये गये हैं।

ऊपर दिये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह : एटोमिक पावर प्लान्ट पर जिस प्रकार की घटना घटी है उस पर तुरन्त स्टेटमेन्ट दिलाने की आवश्यकता है। स्थिति काफी बिगड़ गयी है और स्थिति के और भी अधिक बिगड़ने के चान्सेज हैं। गवर्नमेंट को तुरन्त स्टेटमेन्ट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने तुरन्त ही जानकारी ली है और मुझे आज जानकारी प्राप्त हो जावेगी। सदन की सुविधानुसार आज नहीं तो कल जैसी सुविधा होगी मैं उस पर यथाशक्ति निर्णय दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय देने में और स्टेटमेन्ट देने में तो गेप रह जायगा।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ जाती है। प्राइमाफेसी तो महत्व का केस मुझे भी दिखता है।

श्री भैरोंसिंह : आज शाम तक स्टेटमेंट दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आज शाम तक तो संभव नहीं है। कल तक दिलाने का प्रयास करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल से पानी न मिलने से फसलें जल गयी हैं। आपने फरमाया कि चर्चा हो चुकी है। पानी 22 मार्च से छोड़ा गया है। जब कि फसलों की कटायी शुरू हो गयी है। मुझे संतोष नहीं है। सम्बन्धित मंत्री महोदय से जांच के लिये आदेश दिलायें ताकि...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के नवें व दसवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

Page No 48

श्री रामचन्द्र आर्य : सारी फसलें नष्ट हो गयी हैं।

उन काश्तकारों को...

श्री अध्यक्ष : यह अंकित न किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : [XXX]

श्री मूलचन्द डागा (सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(म० प० 12.05)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970

(विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विनियोग विधेयक, 1970–71 पर अग्रेतर विचार।

(12.05 म० प०)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने सन् 1970–71 के लिये जो विनियोग विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस विनियोग विधेयक के संबंध में सदन के समक्ष मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

हमने आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अलग अलग विभागों से सम्बन्धित मांगें पारित की। अलग अलग मांगे पारित करने के बाद जब तक विनियोग विधेयक सदन के द्वारा पारित नहीं होता है तब तक राज्य सरकार को खजाने से पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। जब हम विनियोग विधेयक पारित करने जा रहे हैं राज्य सरकार से मेरा विशेषतौर से यह निवेदन है कि राज्य सरकार की विशेष तौर से जिम्मेदारी है जब वे राज्य के खजाने से रकम खर्च करें तो उस रकम का दुरुपयोग नहीं किया जाय। मैं यह देख रहा हूं कि राज्य सरकार का जो पैसा है उसका बराबर दुरुपयोग किया जा रहा है। विशेषतौर से मंत्री-मंडल की यह जिम्मेदारी है कि मंत्री-मंडल यह खर्चा कम से कम करे। मंत्री-मंडल को स्वयम् को सबसे पहले आदर्श पेश करना चाहिये। स्वयम् खुद पहले त्याग करें और बलिदान की भावना प्रस्तुत करे। उसके लिये उनको यह चाहिये कि जितना भी खर्चा है वह कम से कम करें। मंत्री-मंडल में 40 मंत्री हैं और उन पर 40 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जा रहा है। यह समाजवाद के अनुकूल नहीं है। यह समाजवाद के प्रतिकूल है और कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार का खर्चा वहन नहीं कर सकती। मंत्री-मंडल पर इतना खर्चा किया जाता है इससे प्रान्त के सामने कोई आदर्श उपस्थित नहीं होता है। विरोधी पक्ष की ओर से हमारी ओर से बार बार कहा जाता है कि मंत्री-मंडल पर जितना कम खर्चा किया जाय उतना किया जाना चाहिये। देश को आजाद कराने के बाद देश का निर्माण करना है और निर्माण करने के लिये किफायत करें। त्याग और बलिदान न प्रस्तुत करें कम खर्च करके और जीवन को शुद्ध और पवित्र न बनायें तो किस प्रकार से प्रजातन्त्र प्रणाली को विकसित किया जा सकेगा? दल बदल की बात बढ़ रही है, अवसरवादिता बढ़ रही है और देश में ईमानदार और सच्चे आदमी की कोई पूछ नहीं है। इस प्रकार का

XXX अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दृष्टिकोण देश में आ रहा है जो प्रजातन्त्रीय प्रणाली के प्रतिकूल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्वयम मंत्री-मंडल इस पर सोचे और विचार करे। आज देश में प्रान्तीयता फैल रही हैं, क्षेत्रीय भावना फैल रही है, दल बदलुओं की बढ़ोत्तरी हो रही है, अवसरवादिता बढ़ रही है इसको देखते हुए प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये बलिदान करना पड़ेगा। देश की आजादी के लिये महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनके नेतृत्व में बहुत त्याग किये थे। जब राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न आता है तो अधिक त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। हमने जब प्रजातन्त्रीय प्रणाली को अपना लिया हैं, समाजवाद को अपना लिया है तो उसको क्रियान्वित करना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हीरालालजी शास्त्री की गवर्नमेंट बनी थी तब भी सीमित खर्चे थे। बिजली-पानी पर कम खर्चा किया जाता था। और टूर्स पर सीमा थी। बिजली पानी पर सीमित खर्चा होता था। और टूर्स पर अनाप-शनाप हम खर्च करते जा रहे हैं। राजस्थान के हमारे उप-मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है और न उनके पास कोई अधिकार ही हैं, परन्तु उनके द्वारा टूर्स पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। इस प्रकार के अनुचित खर्चों को रोका जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, विशेषतौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समाजवाद हम लाने जा रहे हैं, उसके क्रियान्वयन के लिये हमारे पास जो मशीनरी है वह है गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और यह मशीनरी आर० एस० एस० ऑरियेन्टेड है और यह मशीनरी डेमोक्रेटिक न होकर ओटोक्रेटिक माइन्ड की है। आर० एस० एस० की एक्टीविटी राज्य कर्मचारियों में विशेषकर बहुत ही ज्यादा फैल गई है और यह विद्यार्थियों के दिमागों को पॉयजन कर रही है। इसी तरह से लेक्चरार और टीचर्स में भी यह एक्टीविटी काम कर रही है, और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है जो देश के लिये एक बड़ा भारी खतरा पैदा कर रही है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन किया था जब सामान्य प्रशासन विभाग की चर्चा यहां हुई थी और प्रश्न भी किया था। इसके बारे में मुझे यही बताया गया कि हम इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या कदम उठाये जायें। जब कि आर० एस० एस० की एक्टीविटी को बढ़ावा हमारे गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ज्यादा हो रहा है और हम कह रहे हैं कि सोच रहे हैं। यह उत्तर संतोषप्रद नहीं है। किसी भी हालत में हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। यह एक्टीविटी इतने जोरों से चल रही है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और टीचर्स, लैक्चरार्स में कि इससे हमारे विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण गलत तरीके से हो रहा है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को भी सोचना होगा कि जिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं वे क्या समाजवाद की नीति का परिपालन करने के लिये तैयार हैं? क्या वे इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये तैयार हैं? जब कि वस्तु स्थिति यह है कि वे समाजवाद की पॉलीसी को नहीं मानते हैं और जिनका ऑटोक्रेटिक माइन्ड है और जिसकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिये इस आर० एस० एस० की एक्टीविटी से हमारे सेक्यूलर स्टेट को, प्रजातंत्र को, समाजवाद को बहुत ही धक्का लग रहा है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में कोई न कोई ठोस कदम उठावे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय सदस्य एक बात का जवाब देंगे ? कई गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स खुल्लम खुला मंत्रियों के साथ में जीप में बैठ कर घूमते हैं और उनका चुनावों में प्रचार करते हैं, कांग्रेस का प्रचार करते हैं, उनके लिये आप क्या कहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नहीं होता है यह।

श्री विजयसिंह : खुल्लमखुला जालिमाना तरीका अपनाते हैं इसके लिये आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : गवर्नमेंट सर्वेन्टस कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी का प्रचार करते हैं या किसी एम० एल० ए० का भी प्रचार करते है वह उचित नहीं है, अगर प्रजातन्त्र में पार्टीज कोई परम्परा नहीं बनायेंगे, कोई कोड ऑफ कन्डक्ट नहीं बनायेंगी, तो यह प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता है। मैं विशेषतौर से यह कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० की एक्टीविटी जो हमारे यहां जोरों से इस देश में चल रही है, जो हमारी सेक्यूलर स्टेट में नहीं चलनी चाहिये, इसलिये मैं विशेषतौर से जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इस एक्टीविटी पर प्रतिबंध लगाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मुख्य-सचेतक) : और फाइलें भी गायब करवा देते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, हम इस शिक्षा-प्रणाली में कोई विशेष सफल नहीं हुए हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने भी कहा था, हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। इसी प्रकार हमारे देश के डॉ० राधाकृष्णनन् भी यह कहते थे और जाकिर हुसेन साहब भी यह कहते थे। हमारे नेहरूजी भी यही कहा करते थे परन्तु फिर भी हम इस शिक्षा-प्रणाली में आज तक कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। हमारी शिक्षा-प्रणाली से न तो चरित्र का निर्माण हो रहा है और न हम लोगों को रोजगार ही दिलवा सके हैं। इसलिये हमें सोचना है, हमें प्रजातंत्र को मजबूत करना है, समाजवाद को लाना है और इसको सफल बनाना है तो हमें शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। परन्तु इस शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करेगा कौन ? यह जिम्मेदारी कांग्रेस की है। क्योंकि कांग्रेस ही इतने वर्षों से शासन करती आ रही है। इसलिये राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि शिक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन वह करे और इस प्रकार की शिक्षा हो जिससे लोगों का चरित्र का निर्माण हो और इस प्रकार की शिक्षापद्धति हो जिससे विद्यार्थियों में अनुशासन पैदा हो। परन्तु देखा क्या जाता है आज हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती ही जा रही है जो राष्ट्र की उन्नति में बड़ी बाधक हो रही है और विशेषतौर से अभी जो कांड हुआ है विद्यार्थियों का, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वह बड़ा ही शर्मनाक है जो कार्यवाही हुई अगर उसकी तह में जायें तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता ही उसका प्रमुख कारण है। अगर पहिले ही हिंसा के बढ़ते हुए कदमों को कन्ट्रोल कर लिया जाता तो यह स्थिति आज पैदा नहीं होती। न तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में ध्यान दिया है, न वाइस चांसलर ने ही इसकी ओर ध्यान दिया है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है और हिंसात्मक कार्यवाही हुई और एक विद्यार्थी का खून हो गया। इसलिये मैं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कहता हूं कि शिक्षा-प्रणाली में हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

अब मैं विशेषतौर से बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के बारे में जो कि अकालग्रस्त हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा । इनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है। यह क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और राज्य सरकार ने बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर जिलों की ओर जो सीमावर्ती जिले हैं कोई ध्यान नहीं दिया है-जिसका नतीजा हमको भुगतना पड़ा है और उसके बाद सड़कों का निर्माण वहां पर किया गया है । लेकिन अब फिर सरकार उधर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में 100 ट्यूबवैल्स के निर्माण की घोषणा की गई लेकिन कोई भी ट्यूब वैल वहां पर इस साल अभी नहीं बन पाया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अधिक से अधिक इन ट्यूब वैल्स को बनावे और ट्यूब वैल्स को बनाने के साथ ही साथ वहां पर विद्युत् का प्रकाश जल्दी से जल्दी बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों में पहुंचाया जाये । आप विद्युत् के बारे में प्रगति करना चाहते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विद्युत् के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें सरप्लस भी होना चाहते हैं। परन्तु कभी आपने यह सोचा है कि इस क्षेत्र में, बाड़मेर और जैसलमेर, जालोर जिलों के क्षेत्र में विद्युत् का प्रकाश भी लाया जाये ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इन ट्यूब वैल्स की कोई यूटिलिटी नहीं होगी, य जब तक लाभदायक नहीं होंगे जब तक आप वहां पर अणु-बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां पर नहीं ले जाते हैं या उस क्षेत्र को चम्बल, भाखरा की बिजली से सम्बद्ध नहीं करते हैं । इसलिये मैं यह विशेषरूप से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी उठाया था और मंत्री महोदय ने इसके बारे में यह कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिजली वहां ले जाई जाये । इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले साल के अन्दर ही उस क्षेत्र को चम्बल, भाखरा बिजली योजना से सम्बद्ध कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विशेष रूप से ग्रामीण पेय जल योजना के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के गांवों में पानी की भयंकर स्थिति है । वहां यह स्थिति है कि इन दिनों में एक व्यक्ति को 1.4 गैलन पानी मिल पाता है। यह हमारे क्षेत्र की, अकाल के क्षेत्र की स्थिति है। इसके बारे में भी हमको प्राथमिकता देनी चाहिये । हम देख रहे हैं कि जोधपुर का जब पानी का सवाल आया, 70 लाख फैमिन के खर्चे में राज्य सरकार ने खर्च कर दिये । यह 70 लाख रुपया फैमिन का खर्चा गांवों में होता तो कई गांवों की पानी की समस्या हल हो जाती । शहरों में कोई संकट हो जाता है तो उस समस्या का हल तत्काल कर लिया जाता है लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की समस्या को हम हल नहीं कर पाते हैं। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें भी गांवों की उपेक्षा कर दी जाती है । गांवों की पेय जल योजना में 8.52 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जबकि उसके मुकाबले 12 करोड़ रुपया नगरीय जल प्रदाय योजना पर व्यय किया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता 84.3 प्रतिशत रहती है। परन्तु इसकी बार-बार उपेक्षा की जाती है । चौथी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पंचवर्षीय योजना में पानी की समस्या पर विशेष बल दिया गया है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में जिनमें कि खारा पानी भी अवेलेबल नहीं है पानी पहुंचाना चाहिये।

अब मैं विशेषतः भूमि सुधारों के बारे में कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द जैन : संक्षेप में ही कहूंगा। संक्षेप में ही भूमि-सुधारों के बारे में एक पक्ष सीलिंग के बारे में कहूंगा। रेवेन्यू-भू-राजस्व के बारे में राज्य सरकार ने घोषणा की है-राजस्व की मांगों पर चर्चा के समय हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने घोषणा की कि एक साल के अन्दर इसको कार्यान्वित करेंगे। इस प्रश्न के ऊपर मैंने मेरे दल के कई सदस्यों के भाषण भी सुने हैं जिन्होंने 30 स्टेन्डर्ड से 50 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा बढ़ाई जाने की बात कही है। उनका यह दृष्टिकोण है तो क्या आप सीलिंग को क्रियान्वित करेंगे ? परन्तु इसको क्रियान्वित नहीं किया गया तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम इसके लिये पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और इसके लिये आन्दोलन छिड़ेगा तो हम उस आन्दोलन को पूरी शक्ति के साथ मजबूत करेंगे। कई जमीनों का ट्रान्सफर हुआ है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट आफ ऑर्डर सर, आज का बिल जिस पर डिस्कशन हो रहा है, इसकी कुछ सीमा होती जिन डिमाण्ड्स पर बहस हो चुकी उन पर फिर से वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। जो पहले डिमाण्ड्स के समय बोला गया है उसी का रिपीटिशन कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ समय की सीमा भी होनी चाहिए। और जो पॉइन्ट्स डिसकस हो चुके हैं उनको डिबेट में नहीं लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर को माननीय सदस्य समझ गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो ट्रान्सफर्स एक्ट के पास होने के बाद हुए हैं उनको इल्लीगल करार दिया जाना चाहिए। आप उचित समझें तो भूमिहीनों को वह एलॉटमेण्ट कर दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने एक्ट के पास होने के बाद जमीन खरीदी है वे ट्रान्सफर्स इल्लीगल करार दिये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषतौर से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के अन्दर पिछले आठ महीने से कोई जनसम्पर्क अधिकारी नहीं है। कोई भी जन-सम्पर्क का वहां काम नहीं हो रहा है। सीमावर्ती इलाका है वहां आप जन-सम्पर्क अधिकारी भी न रखें आठ महीने तक यह आपका उचित दृष्टिकोण नहीं है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेडियो से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसारण होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जितने भी लोकगीत प्रसारित किये जाते हैं वे सामन्तवादी युग के गीत हैं। उनको प्रजातन्त्र के अनुकूल बनाना चाहिए। जब आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपको लोकगीतों को प्रजातन्त्र के अनुकूल बनाना चाहिए। इस तरह के लोक गीतों से समाजवाद का विकास नहीं हो सकता इसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अध्यक्ष महोदय, शराब-बन्दी का जो निर्णय हमने लिया है उसके बारे में अप्रेल, 1972 की जो डेट फिक्स की है इसके इम्पलीमेण्टेशन के लिये जो बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, उदयपुर की कुछ तहसीलों में इसकी सीमा बढ़ाई है इसको और दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाना होगा ।

अन्त में मैं महात्मा गांधी के विचारों को रखता हुआ अपने भाषण को समाप्त करूंगा वह इस प्रकार हैं:--

"मैं मदिरापान को चोरी और शायद वैश्यागमन से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं। क्या वह दोनों की जननी नहीं है ? जो राष्ट्र मदिरापान की आदत का शिकार है उसके सामने विनाश के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है ।"

इस शराब बन्दी के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। इसको कार्यान्वित करना होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, अधिक से अधिक बीस मिनिट ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे दल का कोई सदस्य नहीं बोला है ।

श्री अध्यक्ष : तो पांच मिनिट और ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब कभी राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर चर्चा होती है तो मुख्य मंत्रीजी की ओर से इस सदन में बार बार सूचना दी जाती है कि हमने राजा महाराजाओं के जमाने से राजस्थान में बहुत प्रगति की है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस समय विकास की गति जिस प्रकार की चल रही है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के कारण समाज के कई वर्गों को लाभ भी मिला है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग जो उस समय पद दलित थे आज भी उसी स्थिति में से निकल रहे हैं। हमने कई बार राजस्थान सरकार को निवेदन किया था वर्तमान स्थिति को तुलनात्मक दृष्टि से राजा महाराजाओं के राज्य से न नापा जाय अन्य देशों में क्या हो रहा है उनकी तरक्की के अनुपात में हम अपने को रखें। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार राजा महाराजाओं का नाम लेकर समाज में इस प्रकार का भ्रम पैदा करने की चेष्टा करती जा रही है कि बीस वर्षों में बहुत अधिक तरक्की की है ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में लें तो यहां की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ पर केपीटा इनकम और इनकम के सोर्सेज को बढ़ने का सवाल जहां पर है देश के अधिकांश राज्यों से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। ऑल इण्डिया बेसिस पर इम्बेलेन्स क्रियेट हो गया है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने इस ओर अधिक परिश्रम नहीं किया तो यह इम्बेलेन्स एक दिन ऐसे स्तर पर हमारे प्रान्त को लाकर पटकेगा कि अन्य राज्य राजस्थान का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, वार के पहले और वार के बाद जापान को देखा जाय तो उसनें कॉटेज, मिडियम तरीके की इ० डस्ट्रीज को पनपा कर उसने अपने यहां से उत्पादित माल को सारे एशिया और यूरोप के मार्केट में भज कर दूसर कन्ट्रीज की इकोनॉमी पर डाइरेक्ट असर डाला है और इस तरह से

(श्री भैरोंसिंह)

अपने यहां इकोनॉमी की ग्रोथ को निश्चित् रूप से बढ़ाया है। जापान की तुलना में हिन्दुस्तान के भी कई प्रान्त ऐसे हैं जो इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं उसका प्रभाव राजस्थान पर निश्चित रूप से पड़ने लगा है। वित्त मंत्री महोदय को यह पता है कि पंजाब की औद्योगिक प्रगति, हरियाणा की औद्योगिक प्रगति और गुजरात की औद्योगिक प्रगति जिस गति से हो रही है उसका असर राजस्थान में बराबर हो रहा है। राजस्थान के मार्केट में पंजाब, हरियाणा और गुजरात की फैक्टरियों का माल आता है। या बम्बई से आता है। हरियाणा में कुछ फैक्टरीज एस्टेब्लिश हुई है इसी कारण हमारे प्रान्त का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। ये आंकड़े भी आपको बतायेंगे कि राजस्थान का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ कम हुआ है। हिन्दुस्तान में जहां 54 करोड़ की जनसंख्या है उसमें सिर्फ 28 लाख इनकम टैक्स पेयर हैं। उसके अनुसार राजस्थान को हम लें तो राजस्थान का नम्बर दो चार राज्यों को छोड़कर राजस्थान के टैक्स पेयर्स की सब से कम संख्या है। इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ, पर केपीटा इनकम ग्रोथ में अन्तर आ रहा है। पिछली बार भी मैंने सदन में कहा था राजस्थान सरकार किसी मामले में टैक्स रियायत देकर इस प्रकार की स्थिति बना रही है कि आम जनता को लाभ नहीं हो रहा है और न कोई इण्डस्ट्रीज को ही लाभ हुआ है।

राजस्थान का बजट समाजवादी बजट आप मानते हैं। इस बजट की क्या स्थिति है इसकी जानकारी के लिये मैं आपके सामने एक तथ्य पेश करना चाहता हूं। 1960-61 के समय कॉस्ट प्राइस को इण्डेक्स 100 मानकर चलें तो 85 प्रतिशत जनता की आय 45 रुपया था। बाकी के पन्द्रह पर्सेण्ट की इनकम 55 रुपया थी। इस तरह से इनकम का जो गेप था वह दस का था। समाजवादी आधार अगर इस बजट को आप मानकर चलते हैं तो आपको इस गेप को मिटाने का प्रयत्न करना था। अगर इस गेप को मिटाने का प्रयत्न निश्चित् रूप से किया जाता तो यह गेप घटता लेकिन आगे आप देखेंगे यह गेप बढ़ा है। आप 1968-69 के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्राइस इण्डक्स 160 था रूरल पॉपुलेशन की आय 45 से 70 हो गई और अरबन पॉपुलेशन की 55 से 90 हो गई। 60-61 में जो गेप दस का था वह गेप 68-69 में जाकर बीस का हो गया। इन तथ्यों के आधार पर यह विश्वास होता है पिछले दस वर्षों में जितना समाजवाद का नाम लिया गया, जिस समाजवाद के नाम पर इकोनॉमिक डिसपेरिटी को रिमूव करना चाहते थे वह आय का अन्तर घटा नहीं बल्कि आय का अन्तर बढ़ा ही है। दस से बढ़कर वह बीस का अन्तर हो गया। हण्ड्रेड पर्सेण्ट अन्तर बढ़ा है एक भी पर्सेण्ट कम नहीं हुआ। इस तरह से राजस्थान का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ किया वहां इम्बेलेन्स ज्यादा क्रिएट हुआ एक तरफ गरीब गरीब ही रहा और अमीर ज्यादा अमीर हो गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्बेलेन्स बनता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि इस रीजनल इम्बेलेन्स के विरोध में हिन्दुस्तान के कई भागों में, आन्ध्र में, महराष्ट्र में और इसके बाद मध्य प्रदेश में छोटे राज्य बनाने की मांग की गई। यही कारण पंजाब और हरियाणा के विवाद

(श्री भैरोंसिंह)

का था। पंजाब के लोग कहते थे कि हरियाणा के बैकवर्डनेस के कारण वे पूरी प्रगति अपनी कर नहीं पाते और हरियाणा वाले कहते थे कि राज की सारी इन्कम पंजाब का हिस्सा ले जाता है, हमारा एडवान्समेंट जितना होना चाहिये, उतना नहीं हो पाता। रिजल्ट यह निकला कि पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने। इसी तरह आन्ध्र में तेलंगाना प्रान्त बनाने की मांग की जा रही है। मैं इस तरह की मांगों के विरोध में हूं। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और राजस्थान में अगर यह होता है तो यहां भी मैं इसका विरोधी हूं। इसके पक्ष में नहीं हूं। पर यह भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में इस सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को भी सतर्क होकर ऐसा कुछ करना चाहिये कि जिससे इस भावना को बल नहीं मिले। अब तक के उनके कारनामों से इस भावना ने घर करना शुरू कर दिया है। यह सरकार के स्वयं के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चूरू सीकर, नागौर इन जिलों का जो डेवलपमेंट होना चाहिये था-इण्डस्ट्रियली, इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चर पोटेन्शियेलिटी जैसी बढ़नी चाहिये थी, जैसी इरिगेशन पोटेन्शियेलिटी बढ़नी चाहिये थी, लेबर पोटेन्शियेलिटी, रोड्स इलेक्ट्रीसिटी, शिक्षा, स्वस्थ्य चिकित्सा का प्रश्न है सब मामलों में, अध्यक्ष महोदय, आप भी यह स्वीकार करेंगे कि इस दृष्टि से कहां ये जिले और कहां उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के जिले।

मैं नहीं कहता कि उदयपुर, भीलवाड़ा का डेवलपमेंट न हो, पर जिस गति से इन जिलों का डेवलपमेन्ट किया है उससे निश्चित रूप से जिलों में इम्बेलेन्स क्रीएट हुआ है। इसलिये रीजनल बेसिस पर मांग नहीं करता पर इन जिलों की पर केपिटा इनकम गिरती गई है, इस दृष्टि से मांग करता हूं कि इनका भी डवलपमेंट किया जाय, यह इम्बेलेन्स कम किया जाय और धीरे-धीरे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय। इन जिलों का पर एकड़ उपज का इम्बेलेन्स बढ़ता गया है। इण्डस्ट्रियल, लेबर, इरिगेशन पोटेन्शियेलिटी गिरती गई है, बेकारी की समस्या ज्यादा बढ़ी है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि जहां पर 640 मील तक पाकिस्तान की सीमा भी आती है जो वेरन पड़ा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। "राजस्थान कैनाल का नाम लेकर आबाद किया है और आगे कर देंगे" यह कह कर वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते। इन जिलों के बारे में राजस्थान सरकार को एक स्पेशल कमीशन एपॉइन्ट करना चाहिये। इन जिलों के एम० एल० एज० इसमें हों जो यह कोशिश करें और मालूम करें कि इनकी बैकवर्डनैस को निकालने के लिये कैसे कैसे स्टेप उठाने चाहिये। चौथी योजना का भी आकार जो सामने आया है उसको भी देखें तो स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सरकार इन बैकवर्ड जिलों के बारे में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज 22 साल के बाद भी जब कभी एक बार भी मानसून फेल हो जाता है तो इन जिलों के, लाखों मवेशी और लोग यहां से निकल कर मध्य प्रदेश जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार क्या समझती है कि आज 20 वर्ष में यह डेवलपमेंट किया है कि लाखों लोग पशु चारे और पानी और खुराक की तलाश में मध्य प्रदेश और गुजरात में भटक रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिये। राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिये और यह शर्म आगे न आवे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह)

कि इन जिलों का समान डेवलपमेंट किया जा सके आवश्यक पोटेन्शियेलिटी हर माने में पैदा की जा सके इसकी तलाश करके रिपोर्ट करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिये। जिसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दिये जाने चाहिये ताकि वे अपनी रिकमण्डेशन्स को एग्जीक्यूट भी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था वित्त मंत्रीजी कहने लगे एक दिन की पर केपिटा इन्कम जैसी मैं बता रहा था तीन आना, चार आना और पांच आना होती तो राजस्थान की जनसंख्या में से 50 प्रतिशत संख्या मर जाती। यों तो मेरी बात का इस तर्क से खण्डन करने की कोशिश की उन्होंने पर मैं आपके इकोनोमिक फोरम ने जो एक कमेटी बनाई थी के० डी० मालवीय की अध्यक्षता में उसकी रिपोर्ट का उल्लेख कर देना उचित समझता हूं। उसने रिपोर्ट दी है कि :

"One third of the population living in absolute poverty."

इसके बाद में लिखा है:

"16 crores of population are living on sub-human level."

इसके बाद :

'Severe destitutes of 13 per month."

यह नेशनल सेम्पल सर्वे ने लिखा है। तो इसको तो स्वीकार करके चलना होगा। राजस्थान में इस प्रकार से इन्कम लोगों की गिरी है। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरा, एनीमल हस्बेण्डरी, लाइव स्टॉक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से आय गिरेगी। पर इसका कारण यह है कि राजस्थान की सरकार ने 47 में, 53 और 54 में जिस समय राजस्थान के टिनेन्सी बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय से आंकड़े लेकर चलें और देखें कि कितनी एग्रीकल्चर लैंड पड़त पड़ी थी, उसका बंटवारा कैसे होता है तो वित्त मंत्रीजी स्वीकार करेंगे अधिकांश मंत्री, उप-मंत्री लैण्डलैस टिनेन्ट की डेफिनेशन में नहीं आते इसकी बात कही गई थी। मुझे याद है 1955 में टिनेन्सी बिल में और लैंड रेवेन्यू बिल में इस डेफिनेशन को लिया जा रहा था तो मैंने कहा था कि डेफिनेशन इसकी इस प्रकार की बनाई जानी चाहिये कि एक्चुअल टिलर हो उसी को इस पड़त जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिये। पर एक्चुअल टिलर की डेफिनेशन नहीं मान कर इस सरकार ने इस तरह से रखा कि :

"Who can reasonably be supposed to be an agricultural cultivator."

इस तरह से रख कर सरकार ने आप सभी लोगों को कवर करने की कोशिश की है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के मंत्रि, मण्डल में कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा....

(सदन के एक माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र पल्लीवाल के सदन के प्रांगण में ठोकर खाकर गिर जाने पर)

श्री अध्यक्ष : I adjourn the House for sometime.

(सदन की बैठक 12.30 म० प० पर कुछ समय के लिये स्थगित हुई)

(सदन की कार्यवाही पुनः 12.45 म० प० प्रारम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में भू-आंकन हुआ। उस भू-आंकन में जिस प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं कि यदि समाज का साधारण व्यक्ति इस प्रकार की अनियमितता करता तो सेक्शन 91 के अन्तर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ न केवल ऐक्शन लिया जाता बल्कि उसे इतना परेशान किया जाता कि वह जमीन छोड़कर चला जाता। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया जानबूझकर लैण्डलैस टिनेन्ट की जिस प्रकार परिभाषा रखी गई है उस परिभाषा का लाभ उन लोगों को मिला जो समाज के प्रभाव शाली वर्ग में आते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया राजस्थान के मंत्रिमण्डल में आज के दिन कोई ऐसा नहीं होगा जो इस टिनेन्सी एक्ट का दोषी नहीं हो। आज राजस्थान मंत्रिमण्डल के अधिकांश व्यक्तियों ने जमीने अपने नाम से लीं, अपने रिश्तेदारों के नाम से लीं और भूमि की अधिकतम सीमा से बाहर अपने अधिकार में रखीं, सरकारी खर्च से उसकी सिंचाई की, बुआई, जुताई सरकारी खर्च पर कराई, सरकारी बीज और खाद का प्रयोग किया। यह सब इस बात के संकेत हैं कि बाकी के जितने लोग हैं उसी प्रकार आचरण करेंगे और इसका परिणाम यह निकलेगा कि वास्तव में जिसको भूमि की आवश्यकता है उन लोगों को भूमि नहीं दी जायगी। मेरा निवेदन है कि उन लोगों से भूमि अवाप्त की जाय और जिनके पास और प्रकार की इन्कम हो रही है उन लोगों को भूमि का आवंटन न किया जाय।

आपकी स्टडी टीम की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में थन थर्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी 15 रु० माहवार से इन्कम ज्यादा नहीं है और ज्यादा सीरियस कन्डीशन उनकी है जिनकी इन्कम 13 रु० माहवार से ज्यादा नहीं है। राजस्थान के अकाल के क्षेत्र म इन्कम की सीमा है, उसमें कोई विवाद का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज भी निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की जिस प्रकार की टाइट फाइनेंशियल पोजीशन हो रही है उसमें आवश्यकता तो यह है कि जहां गवर्नर महोदय के भाषण में संकेत दिया कि सीलिंग में एग्जम्पशन को विथड्रा करते हैं, एग्जम्पशन के अन्तर्गत आने वाले को खातेदारी हक मिल गये उनको भी आज छीने जायेंगे तो एक वर्ग को लैंडलैस कर रहे हैं और एक वर्ग को राजा महाराजा कह कर उनकी जमीनों को विथड्रा करते हैं, उनके स्पेशल फार्म, उनके मेकेनाइज्ड फार्म को एग्जम्पशन से हटाते हैं और उनकी भूमि को अवाप्त करने की चेष्टा करते हैं तो, मैं समझता हूं, न्याय और नैतिकता का तकाजा नहीं है। सन् 1947 में ग्रो मोर फूड केम्पेन चला था जिसमें स्वयं मुख्य मंत्रीजी शामिल रहे हैं। आज जितने प्रभाव शाली व्यक्ति इस राज्य में हैं और जितनों के पास भूमि है, उनसे भूमि राजस्थान सरकार ले और लेने के लिये कानून बनाये और जो राजस्थान में फाइनेन्शियल क्राइसस हो गया है उस क्राइसस को मीट करने के लिये उस जमीन के हिस्से को बेचें, उनके पंजे से निकालकर गरीबों में वितरण की जाय। ऑक्शन करके उसको बेचा जाय और राजस्थान के फाइनेंशियल क्राइसस को...

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आक्शन तो मुश्किल से बन्द करवाया है।

श्री भैरोंसिंह: यह ऑक्शन उस भूमि का करवा रहा हूं.....

श्री शंकरलाल (जैतारण): आप एग्जेम्शन वापिस चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: यह जो मैंने ऑक्शन की बात कही है वह भी परपजली कही है। आज जयपुर के आस-पास जितनी एग्रीकल्चर भूमि है उसमें सबमें रिहायशी प्लाट बनने वाले हैं। वह किसी एग्रीकल्चरिस्ट के पास नहीं रहेगी। गवर्नमेंट लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार लेगी तो जो अच्छे-अच्छे फार्म बनाये इसलिये अच्छे बनाये कि शहर की आबादी बढ़ती है और उस समय एग्रीकल्चर को वह जमीन रहती है तो वह ऐरिया बहुमूल्य वाली आबादी में आयेगा तो उनको ऑक्शन के अलावा उचित मूल्य नहीं मिल सकता है बाकी की जमीन की ऑक्शन को आवश्यकता नहीं है और फिर उसको वितरण करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहता हूं पर केपिटा इन्कम है-एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है, जो अखबार में लाइन छपी है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"Jaipur, 26th March. Whereas financial crisis had overtaken the Rajasthan Government;

Wireless messages have been sent by the Finance Department to the Chief Engineers of the Irrigation, P. W. D. and Public Health Departments not to issue any cheques in payment of completed works except in exceptional circumstances.

Similarly, District Collectors have been asked to instruct the Executive Engineers not to issue any cheques till 31st March.

Plan works connected with public health, irrigation and public works are likely to be seriously affected because of the order.

These orders are believed to have been issued in view of the large over drafts which the State Govt. has already incurred this year.

However, payments for the completed schemes connected with the famine relief and certain other categories will be made as an exceptional case.

Official Finance Deptt. have taken the position that this drastic step is a sequel to the huge accummulations of bills in these departments and the need for a total scrutiny before the payments are made."

यह जो लास्ट पैरा है यह तो ऊपर वाले पैरेग्राफ के कारण जनता में, सरकारी अधिकारियों में और भारत सरकार में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो इसलिये चेष्टा यह

Page No 59

(श्री भैरोंसिंह)

की गयी है कि ह्यूज एक्युमुलेशन विल्स का हो गया था और उसमें स्क्रूटिनी की आवश्यकता थी। ह्यूज एक्युमुलेशन मार्च के महीने में हमेशा रहते हैं, मार्च के महीने में हमेशा परचेजेज होती हैं, मार्च के महीने में जितना ज्यादा खर्चा किया जाये उसकी व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में ह्यूज एक्युमुलेशन का बहाना राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं...

श्री मथुरादास माथुर: यह प्रेस न्यूज है यह कोई गवर्नमेंट कम्युनिक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: आप चाहते हैं क्या गवर्नमेंट कम्युनिक?

श्री मथुरादास माथुर: वह तो मैंने निकाला हुआ है आप क्या कहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा है कि यह प्रेस न्यूज मानी जाये। गवर्नमेंट कम्युनिक नहीं। जो लास्ट चार लाइनें आपने पढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: News whether accepted by the Government or not?

श्री मथुरादास माथुर: It is a news in the paper.

श्री भैरोंसिंह: आपने ऐसा कम्युनिक निकाला है या नहीं यह बता दें?

श्री मथुरादास माथुर: हमने तो यह किया है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को यह हिदायत दी गयी है कि लास्ट वीक के अन्दर चैक इश्यू नहीं करें। इसका इन्टरप्रिटेशन किसी कारण से नहीं करें वह आपने कहा कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने ऊपर के बजट को यूटीलाइज करने की बात निकाली है।

श्री भैरोंसिंह: वह तो अखबारों में जो निकली वह तो अच्छी बात थी। सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।

श्री मथुरादास माथुर: गवर्नमेंट के पास बहुत रास्ते हैं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जब अपने खर्चों पर कन्ट्रोल नहीं कर पाती है, इन्कम के सोर्सेज नहीं बढ़ा पाती है तो टैक्सेस का नाम लेकर गरीब जनता का शोषण करती है, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल टैक्स ही हमारी इन्कम का आधार नहीं हो सकता। नॉनटैक्स रेवेन्यू को राजस्थान सरकार जितना आगे बढ़ा सकती है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि ईमानदारी से नॉन-टैक्स रिसोर्सेज को पुल-अप करने की कोशिश की जाये तो राजस्थान में कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

मैं राजस्थान की मिनरल पोजीशन के बारे में दो मिनट में सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान जिप्सम, और माइनर मिनरल्स में हिन्दुस्तान में पहले नम्बर के ऊपर खड़ा हुआ है। पहले नम्बर का प्रोडक्शन है जिप्सम का हमारे राजस्थान में हिन्दुस्तान के अन्दर। इसी तरह से माइका में बिहार और आंध्र को छोड़कर राजस्थान का तीसरा नम्बर आता है। लाइम स्टोन में हिन्दुस्तान में पांचवें नम्बर पर हमारा राजस्थान आता है। जिप्सम में राजस्थान प्रोडक्शन सारे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर है। इसी प्रकार से खेतड़ी

(श्री भैरोंसिंह)

कॉपर, वूल फार्म बीकानेर और मांडों की पाल के ऊपर जो फ़्लोराइट मिला है—यह इतने रिच मिनरल्स हैं कि यदि राजस्थान सरकार नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि न तो राजस्थान में ओवर-ड्राफ्ट होने की बात ही आयेगी और न राजस्थान की सरकार की इन्कम गिरेगी और न राजस्थान के अन्दर आर्थिक संकट आयेगा। लेकिन उस क्षेत्र के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र का एक्सप्लाइटेशन होता है तो स्टेट इन्कम को बढ़ाने की गरज से नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत आदमी के इन्कम को बढ़ाने की चेष्टा की जाती है-वह चाहे कॉन्ट्रेक्टर्स हों, अधिकारी हों या मंत्री हों। लेकिन आम तौर पर राज्य की आय बढ़े इसकी चेष्टा नहीं की जाती। इसलिए यह चेष्टा की जाती है कि किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में हमारे 2 लाख के शेयर्स हैं। 1962-63 के बाद में इस कम्पनी का ऑडिट ही नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप इसके पास जहां 35 रूट्स थे इनको बेचते-बेचते आज केवल 12 रूट्स रह गये हैं और जिनके अन्दर से भी 5 रूटों पर तो गाड़ियां भी नहीं चलतीं। उस कोटा ट्रान्सपोर्ट के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में हमारे भी मेम्बर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी राजस्थान सरकार शेयरहोल्डर के नाते उसके रिटर्नस हमको मिलें वह चिन्ता क्यों नहीं करती ? एडवर्ड मिल कई दिनों से बन्द है। वहां के मजदूर परेशान हो रहे हैं, 1,500 के करीब मजदूर बेकार हैं। हमारी पर कैपिटा इन्कम बढ़ नहीं सकती और उसी तरह से जिन्होंने कॉटन पैदा की है उनकी इन्कम नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसके कन्ज्यूमर्स और खरीददार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था न हो। इसकी हमारी सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की। आप जानते हैं कि इस प्रकार की मिलें बन्द करने में लॉस नहीं होता बल्कि मेनुपुलेटेड लॉस होता है। जिस समय सरकार ने इस मिल को अपने हाथ में लिया था तो $1\frac{1}{2}$ वर्ष में $4\frac{1}{2}$ लाख का प्रॉफिट कमाया लेकिन कुछ दिनों के बाद वापिस आ गये, घाटा दिखाया, मशीनें बेचीं, माल बेचा और ब्यावर के बाजार को खाली कर गये। मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हुआ, कॉटन का पेमेन्ट नहीं किया और फिर आप चाहते हैं कि स्टेट की पर कैपिटा इन्कम बढ़ जाये। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से इन्कम बढ़ना संभव नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बीकानेर जिप्सम के साथ एग्रीमेन्ट हुआ था। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था तो अपने हाथ में लेने से पहले पुराने अकाउन्ट्स को एक्यूमुलेट हो चुके थे उनके संबंध में आज तक आपने क्या किया ? 4 लाख 73 हजार रुपये की बकाया पांच वर्षों से चलती आ रही है। एग्रीमेन्ट के अनुसार 6 परसेन्ट का इन्टरेस्ट लिया जाना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने आज तक उससे 6 परसेन्ट का इन्टरेस्ट क्यों नहीं लिया ? 1968 में फाइनेन्स कमीशन ने इस कम्पनी की हालत को देखकर दो अधिकारियों को अकाउन्ट्स के वैरीफिकेशन के लिए नियुक्त करने के आदेश दिये थे। लेकिन पॉलिटीकल रीजन्स के कारण न तो उन दो अधिकारियों की नियुक्ति हुई और न ही वह पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, आज कम्पनी से जो राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार का एग्रीमेन्ट है उसके अनुसार ट्रान्सपोर्ट और रेल का कॉन्ट्रेक्ट किसी दूसरे आदमी को नहीं दे सकते लेकिन बीकानेर जिप्सम के रेल और ट्रान्सपोर्ट के कॉन्ट्रेक्ट प्राइवेट पार्टीज को देते हैं जब कि ऐसा करने से एग्रीमेन्ट की टर्म्स का वायोलेशन होता है–मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने इसके लिए कोई एक्शन लिया ? एक स्थान पर 6½ लाख टन चूना जलालसर गांव में मिला । उस गांव की स्थिति को देखें तो 4½ लाख का कम्पन्सेशन दिया है । यह कम्पन्सेशन अवार्ड का पैसा न तो घर वालों को मिला और भगवान ही जाने कौन खा गया । इसका कारण यह है कि चूना धरती पर है और लोग वहां मकान बना कर बैठे हैं । कम्पन्सेशन भी उसका डिस्ट्रिब्यूट हो गया लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1-11-47 को एग्रीमेन्ट किया था कि तुम यहां से बाहर नहीं भेज सकते । उन्होंने कहा था कि मुझे लीज दी जाये 20 वर्ष का और इसलिए दिया गया कि प्लास्टर ऑफ पैरिस का कारखाना यहां पर स्थापित करेंगे । उसने यहां पर कारखाना स्थापित नहीं किया और 16 लाख टन अब तक निकाल लिया । मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को इन्कम करने की चिन्ता होती तो उस लीज को कैंसिल करती और जो मुनाफा उसने कमाया है वह राजस्थान सरकार को मिलता । इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, इसको जितने पक्षपात के साथ निभाया जा रहा है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रॉक फास्फेट का कॉन्ट्रेक्ट दिया है मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस मसले पर राज्य सरकार जानबूझ कर घाटे में पड़ रही है । जानबूझ कर राजस्थान की जनता को घाटे में डाल रहे हैं । सरकार करोडों रुपया साल का नुकसान उठा रही है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक विद्वेष के कारण राजस्थान की गरीब जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए स्केण्डल कर रहे हैं उसको रोका जाये। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा होता है तो जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी और विधान सभा के प्रति बहुत ज्यादा अनुगृहीत होगी ।

(1 म० प०)

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार बार बार यह कहती आई है कि हम इन्कम बढाना चाहते हैं । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पंजाब से एक एग्रीमेन्ट किया था, पंजाब की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में यह एग्रीमेन्ट हुआ था कि भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड पच्चीस मेगावाट बिजली–जैसे नांगल फैक्ट्री को जिस रेट पर दे रहा है, मतलब 1.5 पैसे के हिसाब से नांगल फैक्ट्री को भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड से बिजली मिलती है, उसी आधार पर हमारे एग्रीमेन्ट में यह था कि पच्चीस मेगावाट बिजली राजस्थान को भी देगा । 1966 में एक फर्म रिक्वायरमेंट भेजी गई कि 1968 में बिजली की आवश्यकता होगी । अध्यक्ष महोदय, उस समय डी०सी०एम० ने फर्टिलाईजर फैक्ट्री के नाम से एक यूनिट की स्थापना की थी, इस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पच्चीस मेगावाट बिजली देनी है–इस आधार पर अपना फर्म रिवीजन भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड को भेजा । इस कम्पनी ने देखा कि पच्चीस मेगावाट बिजली आने वाली है और वह पच्चीस मेगावाट बिजली

Page No 62

(श्री भैरोंसिंह)

1.5 पैसे के हिसाब से मिलेगी, उसमें लाइन चार्जेज, वेस्टेज चार्जेज मिलाने से उसकी कास्ट बढ़ सकती है। उस मौके पर उस कम्पनी ने राजस्थान सरकार को एक एप्लीकेशन दी कि पैंतीस मेगावाट बिजली पैदा करने वाले प्लान्ट को खरीद कर, इम्पोर्ट करके यहां लगाने की इजाजत दे दी जाय। उस समय की सरकार ने उसे इस बात की इजाजत दे दी और उसमें एक कन्डीशन रख दी कि पच्चीस मेगावाट बिजली जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नाम से भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड से मिलने वाली है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। डी० सी०एम० ने उस शर्त को स्वीकार कर दिया। उसके बाद यह बात रखी कि पच्चीस से घटा कर पन्द्रह मेगावाट बिजली वह इस्तेमाल करेगी और जो पहले यह शर्त रखी थी कि पच्चीस मेगावाटके स्थान पर पन्द्रह मेगावाट बिजली को यूटिलाइज करेगी, अब मालूम हुआ है कि उस पन्द्रह मेगावाट को घटा कर छः मेगावाट बिजली यूटिलाइज करने की शर्त रखी है। चाहिए तो यह था कि जो पैंतीस मेगावाट बिजली उत्पादन करने का प्लान्ट लगाया, उसके साथ ही साथ यह पच्चीस मेगावाट बिजली को इस्तेमाल करती, उसके बजाय यह शर्त रखी है कि प्लान्ट के रीओरियेंटेशन की आवश्यकता हुई तो छः मेगावाट बिजली का वह इस्तेमाल करेगी। यह सदन मेगावाट और किलोवाट के चक्कर में न पड़े, इसलिए मैंने इसके कारण होने वाले फाइनेन्सियल लोस को केलकुलेट किया है। उस आधार पर राजस्थान सरकार को 90 लाख रुपये का नुकसान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार एक तरफ तो डी० सी० एम० के सामने घुटने टेक कर खड़ी हो जाय और दूसरी तरफ राजस्थान में हुकूमत करने की चेष्टा करे यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि एक तरफ तो सरकार डी० सी० एम० और शाहू जैन के सामने घुटने टेकती रहे और दूसरी तरफ राजस्थान की गरीब जनता का शोषण करती रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 90 लाख का नुकसान जानबूझ कर डी०सी०एम० का पक्ष लेने की दृष्टि से इस सरकार ने राजस्थान के खजाने को नुकसान पहुंचाया है। यह सदन इस मुगालते में न रहे कि जो बिजली फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नाम से मिलने वाली है उसको किसी दूसरी यूनिट में काम में यह सरकार ले सकती है क्योंकि इस प्रकार का एग्रीमेन्ट है कि केवल फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए उस बिजली को ले सकती है और राजस्थान में दूसरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है नहीं। अब इस सरकार ने यह घोषणा की कि नई फर्टिलाइजर फैक्ट्री कायम करेगी, तो नई फर्टिलाइजर फैक्ट्री कायम करने में तो दस वर्ष लगेंगे जब कि इस सरकार का जो फर्म रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से पच्चीस मेगावाट बिजली देने का काम 1968 में कम्प्लीट हो जाना चाहिए था। अब वह बिजली नहीं ले पायेंगे तो भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड यह कह सकता है कि तुमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजली नहीं ली है इसलिए अब बिजली देने का सवाल पैदा नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जरूरी बातें तो कई हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अब कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार की इनकम गिरती

(श्री भैरोंसिंह)

जा रही है, दूसरी तरफ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आपकी कितनी नजूल प्रापर्टी है क्या इसका हिसाब आपने लगाया है ? आपके मंदिर हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी धर्मशाला हैं और आपके स्थान स्थान पर मकान बनाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान की पूरी सर्वे करवाई जाय और इस बात का अन्दाज लगाया जाय कि बाजार में दुकानों का किराया कानून के अन्तर्गत कितना किराया किरायेदार से लेना चाहिए तो उसमें बड़ी अनियमितता नजर आयेगी। इसके अलावा वर्षों से उनका किराया वसूल नहीं किया गया है, वर्षों तक नजूल प्रापर्टी का किराया नहीं लिया जाता है तो ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार को अपनी नजूल प्रापर्टी की पूरी जानकारी नहीं हो, उस नजूल प्रापर्टि पर आज किसका अधिकार है–इसकी जानकारी नहीं हो–उससे क्या इनकम बढाने की आशा की जा सकती है। पिछले दिनों इस सरकार ने दुकानों को बेचने की आवाज लगाई, जब लोगों को यह मालूम हुआ कि राजस्थान सरकार दुकानों को बेच रही है तो कुछ लोगों का इन्ट्रेस्ट क्लेश हुआ और उनके दबाव के कारण वह दुकानें नहीं बेची जा सकीं। आज सरकार उन दुकानों को बेचना चाहे तो उससे काफी इन्कम हो सकती है लेकिन उन दुकानों में जिनको बैठा दिया है उनके दबाव के कारण नहीं बेचना चाहती है जब कि जिनको दुकानों में बैठा दिया है उनका उन पर कोई राइट नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नजूल प्रापर्टी के संबंध में आज सरकार आंख मूंद कर बैठे–इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि राजस्थान की सरकार तमाम नजूल प्रापर्टी की सर्वे कराये और उनसे रीजनेबिल रिटर्न को लेने की चेष्टा करे और जो प्रापर्टी डेटिरियोरेट हो रही है उसको ऑक्शन करके डिस्पोज ऑफ करे तो उससे राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी इन्कम हो सकती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस प्रकार से इनकम नहीं करना चाहती है, इस सरकार ने तो तय कर लिया है कि इन्कम बढ़ाने के प्रश्न पर लोगों पर टैक्स लगा दिया जाय। इस राजस्थान की सरकार ने दाल और रोटी पर टैक्स लगाया, और दाल और रोटी पर ही नहीं, मिठाई के नाम पर, नमकीन के नाम पर भी टैक्स लगाये। समोसे और कचौरी पर टैक्स। हलवाइयों के नाम पर इस सरकार ने घोषणा की है, यह बात नहीं है कि हलवाई कोई बड़े आदमी हों–लेकिन उनके लिए घोषणा की कि तीस हजार के टर्न ओवर के नीचे टैक्स नहीं लिया जायगा, इस प्रकार यह सरकार हलवाइयों का भी शोषण करेगी। मेरा निवेदन है कि सब हलवाई मालदार नहीं हो सकते, केवल जयपुर जैसे शहर में भी दो-तीन हलवाई मालदार हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर सब हलवाइयों पर टैक्स लगाया है, और इस प्रकार की व्यवस्था करने के आधार पर जो छोटे-मोटे दुकानदार हैं–उन पर टैक्स लगाया है, छोटे छोटे ढाबों पर टैक्स लगाया है। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि इन ढाबों पर जो लोग खाते हैं रोटी वह कौन हैं ? वह जयपुर के लोग नहीं खाते हैं। अधिकांश लोग जो गरीब बाहर से आते हैं वह खाते हैं। गरीब लोग राजस्थान की राजधानी होने से जयपुर आते हैं, शहरों में कोर्ट के काम से आते हैं, शहरों में विभागाध्यक्ष रहते हैं, अधिकारी रहते हैं उनसे काम कराने के लिए जाते हैं, ऐसे ग्रामीण लोग इन ढाबों पर रोटी खाते हैं, उन पर भी आपने टैक्स लगाया है। आपने

(श्री भैरोंसिंह)

पिछली बार भी टैक्स लगाया था। लेकिन इस बार आपने डेढ़ सौ पर्सेन्ट टैक्स बढ़ा कर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि अगर दाल-रोटी पर टैक्स नहीं लगायगे तो माथुर साहब को दाल-रोटी मिलने वाली नहीं है, मंत्रिमण्डल के बाकी के सदस्यों को दाल-रोटी मिलने वाली नहीं है इसलिए जनता की दाल-रोटी को छीन कर अपना पेट भरने की चेष्टा की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दाल-रोटी पर टैक्स राजस्थान सरकार ने राजस्थान में लगाया है, इस संबंध में मैंने बाकीके स्टेट से भी जानकारी की है, आसाम में नहीं है, बिहार में नहीं हे, मैसूर में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। पश्चिम बंगाल में 1.50 रुपये के बिल पर बिक्री कर नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है। गुजरात में एक रुपये के बिल पर कोई टैक्स नहीं है। मध्य प्रदेश में दो रुपये की सीमा है। यह सारे स्टेट में यह टैक्स नहीं है....

श्री मथुरादास माथुर : अपने यहां पर रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो चुका है कि रोटी पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : दाल पर ?

श्री मथुरादास माथुर : रोटी पर नहीं लगेगा, जिसके लिए आप जोर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पराठे और पूड़ी पर लगाया है। दाल पर लगाया है। नमकीन पर लगाया है। पराठे और...

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पराठे और पूड़ी का जवाब नहीं दिया। आप रोटी की बात कह रहे थे, उसका मैंने जवाब दिया है। बाकी का जब मैं उत्तर दूंगा, उस वक्त उत्तर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह . आप उत्तर दें तो भी पराठे की बात कह कर बचने की चेष्टा न करें। रोटी को चुपड़ दिया तो वह परांठा हो जायगा....

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो रोटी का शौक है, आपको शौक है पराठे और पूड़ी का।

श्री भैरोंसिंह : मुझे शौक है या नहीं लेकिन आप पराठे खाते जरूर हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : शौक तो दाल और रोटी का है लेकिन दाल और रोटी पर टैक्स नहीं हो। लेकिन आपका सेल्स टैक्स दाल पर है, आटे पर है, नमक पर सेल्स टैक्स है....

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखें, माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार को इन टैक्सेज के नाम पर कि जहां मर्जी आये वहां टैक्स लगा दिया जाय, कितनी इनकम होगी ? इसके साथ ही साथ राजस्थान के अन्दर ट्रेड कितना बढ़ेगा ? व्यापारियों को कितनी असुविधा होगी ? इससे जनता को कितनी परेशानी होगी ? इन सब बातों की राजस्थान सरकार ने चिन्ता नहीं की है।

(श्री भैरोंसिंह)

इस आधार पर मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार का इन टैक्सों के आधार पर कोई रेशनलाइज्ड बेस नहीं है, और उस बेस को बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की ओपीनियन ली जाय तो यह ज्यादा अच्छा होगा । यह टैक्स आपने पिछली बार भी बढ़ाया था, सदन में कहा और बाहर कहा—इसके कारण टैक्स हटा लिया, मैं समझता हूं इस बार उन लोगों ने गलती की हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दाल और रोटी वाले टैक्स को आप वापिस ले लें . . .

श्री मथुरादास माथुर : बाहर बात होती है वह सदन में नहीं कह सकते ।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं कह रहा हूं । मैं नहीं कह रहा हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रश्न कट मोशन में नहीं आया है, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने एक दोहरी व्यवस्था राजस्थान के शहरों में रखी है— एक नगरपालिका या नगर परिषद् और दूसरी अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट । यह अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जिस समय कानून बना उस समय इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की जानकारी दी थी कि यह सरकार अपने आदमियों के चुनाव में हारने की स्थिति में जहां अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं है वहां अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपने आदमियों का बना देगी । राजस्थान में आज यू० आई० टी० की हालत देखें, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो यू० आई० टी० बनाये हैं, उनके बारे में मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, हिन्डौन, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, गंगापुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अब यह इतने यू० आई० टी० बना लिये । अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने में इस बात का तो कोई कन्सीडरेशन नहीं रहता कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है उसकी क्वालिफिकेशन निश्चित रूप से यह थी कि वह व्यक्ति चुनाव में हारा हुआ होना चाहिए वह तो चेअरमैन बने, म्युनिसिपैलिटी के वार्ड के चुनाव में हारा हुआ होना चाहिए—वह वार्ड का मेम्बर और कांग्रेस पार्टी का सदस्य होना चाहिए—वह दूसरा सदस्य । इसका परिणाम यह होता है कि जनता में न उनके प्रति श्रद्धा रहती है, न उनके अधिकारियों के प्रति विश्वास रहता है और वह इस प्रकार का काम कर सकेंगे—इस प्रकार की जानकारी नहीं रहती है । यह उसी का परिणाम है । मैं आज माथुर साहब से पूछना चाहता हूं कि जयपुर से कांग्रेस की सीट नहीं है, अलवर से कांग्रेस की सीट नहीं है, भरतपुर से कांग्रेस की सीट नहीं है, जहां से कांग्रेस पूरी तरह से परास्त हुई है तो आपको लोकतान्त्रिक पद्धति में क्या अधिकार था कि कांग्रेस के हारे हुए व्यक्तियों को चैयरमैन बनाते और जनता की सम्पत्ति उनके हाथों सौंप देते ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सब जगह में. . . .

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : भीलवाड़े का नाम मत लेना ।

श्री भैरोंसिंह : भीलवाड़े को भी डुबो दिया है । मैं कागज लाया हूं । आप चिन्ता मत करें ।

.....उनको चैयरमैन क्यों लगाते हैं ? आप जयपुर का नक्शा देखिये । जयपुर में, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भूतपूर्व चैयरमैन ने प्लॉट्स के एलॉटमेंट में

(श्री भैरोंसिंह)

जिस प्रकार की धांधली की है उतनी राजस्थान में कहीं नहीं हुई है। जिन स्कीम्स का एप्रूवल हो गया, जिन स्कीम्स के अन्दर कितने ऑक्शन से प्लाट जायेंगे, कितने रिजर्व्ड प्राइस पर जायेंगे और कितने पब्लिक परपज के लिए खाली रहेंगे, यह सब कुछ नक्शा बनता है और नक्शा बनने के बाद कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञों और कुछ मंत्रियों के रिश्तेदारों को प्लॉट्स काट कर, स्कूलों की जमीनों में से काट-काट कर सरकार की बिना अनुमति से पारित नक्शे में परिवर्तन करके जमीनों का एलॉटमेंट किया जाता है। जमीनों के एलॉटमेंट, अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि रजिस्टर में एन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है, फार्म और पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। एक हलफनामा ले जाय और वह भी झूठा कि मैंने सात साल पहले एप्लीकेशन दी थी और आपके यहां से गायब हो गई, आपके बस्ते से गायब हो गई। इस प्रकार के हलफनामे दे देकर कि 7 वर्ष पहले एप्लीकेशन्स दी थीं, उस आधार पर प्लॉट्स का एलॉटमेंट हुआ है।

इसी आधार पर गांधी शताब्दी के वर्ष में हरिजनों की जमीनों का एलॉटमेंट किया है यह सब कुछ बताऊंगा। मैंने लिस्ट देखी है। चेयरमैन ने किस प्रकार किया है उसके पहले वाले प्रथम पृष्ठ को पढ़कर सुना देता हूं जिससे कोई भ्रम न रहे—

'मुख्य नगर नियोजक के कार्यालय से... 5-4-69 दिनांक 17-6-69 के साथ में..... सूचि दी है कि तिलकनगर के पार्क के तीन भाग में से पहले भाग में पार्क की ओर दरवाजे निकालने से रास्ते की मांग कर ली जाय, ऐसी स्थिति में आपने चौथी तरफ पार्क के निर्माण का सुझाव दिया है जिससे न्यास को आर्थिक लाभ भी होगा। इससे यह निर्णय लिया गया कि नगर नियोजक की सूचनानुसार उस भूमि के भू-खण्ड काट दिये जायें।

"कितने लोगों को काटे हैं मैं नाम पढ़ूंगा तो" काफी समय लगेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को प्लाटस एलॉट किये हैं उनकी एक लिस्ट मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। विरोधी दल के विधायकों को तो एक-दो को दिये गये हैं लेकिन कांग्रेस के कई विधायकों को दिये गये हैं। मैं विधायकों के नाम ले लूंगा, मगर यदि संख्या के अनुपात से लें तो विरोधी पक्ष के कितने विधायकों को मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को कितने मिलने चाहिए, तो समझ में आ सकता है। आप देखेंगे कि गांधी शताब्दी वर्ष में किन हरिजनों को प्लॉट दिये गये हैं :

दिनेश राय डांगी बहुत गरीब, जगन्नाथ पहाड़िया, उससे गरीब, जमनालाल बहुत ही गरीब। इसके बाद किशनलाल वर्मा, रामचन्द्र, आई० ए० एस, चन्द्रप्रकाश, आई० ए० एस०, खेतमल, समर्थराज, डिप्टी मिनिस्टर, गोकुलचन्द, एम०एल० ए० गोकुलचन्द को दो जगह मिले हैं। हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री, रामचरण, डिप्टीमिनिस्टर। कमला भील-डॉटर ऑफ श्री भीखाभीई। इनके नाम कई और प्लाट्स हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस लिस्ट में उनका नाम आ गया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि ऐसी स्थिति में प्लॉटों का एलॉटमेंट किया जाय तो जयपुर शहर का विकास नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह)

सकता है। जयपुर शहर के विकास में सबसे बड़ी बाधा राजस्थान सरकार डालना चाहती है, वे कहते हैं कि हमारे यहां फाइनेन्शियल क्राइसिस चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेन्शियल क्राइसिस यदि इन स्थितियों में आता है जिनको कि हम रोक नहीं सकते, मैं समझता हूं कि पहाड़ टूट गया तो उसको रोक नहीं सकते, अकाल पड़ गया तो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन यह व्यवस्था तो कर सकते हैं कि इन्कम के जो सोर्सेज हैं जिन्हें राजस्थान के अधिकारी टेप करने के स्थान पर उनको खत्म किये जा रहे हैं उनको रोकें। जयपुर में, अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भूतपूर्व चैयरमैन ने अपने कार्यकाल में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को 5 लाख की हानि पहुंचाई है। वह पांच लाख रुपया जयपुर की कच्ची वस्तियों, जयपुर की गन्दी बस्तियों को ठीक करने में लगाया जाता तो बिजली और पानी की तो व्यवस्था हो सकती है, डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है, लेवलिंग का भी काम हो सकता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने वह नहीं किया और वह इसलिये नहीं किया कि राजस्थान सरकार कुछ करना नहीं चाहती....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह: दो मिनिट।

अध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर में ही नहीं बीकानेर के अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने भी बड़े घोटाले किये हैं। आपको मालूम होगा कि शिवबाड़ी का प्रश्न कितना विवादास्पद है। बड़े-बड़े कांग्रेस के नेताओं ने सस्ते दामों पर जमीनें ले ली हैं, किस प्रकार से अधिकारियों ने और चेयरमैन ने सस्ते दामों में जमीनें ले ली हैं, उसमें सस्ते दामों पर प्लॉट लेकर मंत्री महोदय के रिश्तेदार बैठे हैं.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर: लिस्ट....?

श्री भैरोंसिंह: आप चाहते हैं?

श्री यशवन्तसिंह नाहर: आप देख लें फिर दे दें।

श्री भैरोंसिंह: इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर एग्रीकल्चर लैण्ड मिले उन पर मंत्रियों का कब्जा? जहां जंगलात की भूमि मिले उस पर मंत्रियों का कब्जा? जहां सिंचाई की भूमि मिले उस पर मंत्रियों का कब्जा? जहां आबादी की भूमि मिले उस पर कब्जा? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो इन्होंने आमदनी के रास्ते खत्म कर दिये और दूसरी तरफ यदि टैक्स लगाकर इन्कम बढ़ाना चाहते हैं तो उससे किसी प्रकार का काम नहीं चलेगा।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय (अध्यक्ष महोदय) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में किस प्रकार से जमीनों के मामलों को लेकर करप्शन बढ़ा है। इस सदन में ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा कि जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे। राजस्थान के दो बहुत बड़े अधिकारी हैं, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं जिनमें से एक तो रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर है। इन दोनों ने राजस्थान कैनाल में झावा गांव में कुछ व्यक्तियों के नाम से अपने हाथ से फार्म भरकर झूंठे नाम लिखे हैं और जमीनों का एलॉटमेंट कराया है......

औचित्य प्रश्न और उस पर निर्णय

श्री यशवन्तसिंह नाहर: अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर सर, बार बार-यह प्रश्न सदन में आता है कि कभी किसी अधिकारी पर चार्ज लगाते हैं—मैं किसी अधिकारी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यह गलत धारणा न बना लें, लेकिन फिर भी यदि हम नियमों का पालन करें तो ज्यादा अच्छा होगा...... ।

श्री भैरोंसिंह: कौन से नियम ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं वही निवेदन करूंगा ! यहां आप किसी अधिकारी का नाम लेकर यह बता रहे थे कि उसने हाथ से फार्म भरा और भर कर और चीज आगे कराना चाहते थे एलॉटमेंट कराने के लिए-जो भी आप कहना चाहते हो, मैं इसके संबंध में कुछ नहीं निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चार्ज किये जाने का प्रश्न है किसी अधिकारी को या एनी मेम्बर ऑफ दी हाउस तो उसके संबंध में निर्णय हो जाना बहुत आवश्यक है..

श्री भैरोंसिंह: उसका निर्णय माननीय उपाध्यक्ष ने कर दिया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं वही निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष: (श्री भैरोंसिंह से) ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके संबंध में हमारे...

श्री भैरोंसिंह: निर्णय दिया है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: उसके बारे में निर्णय चाहता हूं और निर्णय इसलिये चाहता हूं कि निर्णय हमारे यहां पर हो चुका है और उसके आधार पर बार-बार गलती न कर बैठे इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामचन्द्र आर्य: यह नई बात कह रहे हैं वह तो पुरानी हो गई।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री यशवन्तसिंह नाहर: रूल 272 और 273 ये दोनों प्रोविजन्स हैं उन दो प्रोविजन्स की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...

एक माननीय सदस्य: पुराना..

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज (श्री नाहर से) आप आरम्भ रखिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: 272 का यह है सब-सेक्शन (2)।

एक तो यह है। यह सब कम्प्लीकेटेड है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 273 में प्रोसीजर है...

"Procedure regarding allegation against a person-No allegation of a defameatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply;

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

allegation, if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

इसके संबंध में हमारे यहां पर और पार्लियामेंट की दो तीन नजीरें हैं....

श्री भैरोंसिह : पार्लियामेंट की क्यों देखें ? तीन दिन पहले ही जो, उपाध्यक्ष महोदय, ने रूलिंग दी है वह देखें ।

श्री यशवन्तसिह नाहर : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। तीन दिन पहले सदन के सम्मुख वेग चार्जेज भरतपुर के समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य, श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल ने रखे थे। उसके बारे में एक डेफिनिट बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कह दिया कि वेग चार्जेज की वजह से यह निर्णय होने से रह गया। मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक चार्जेज दिये जायं। क्या इस सदन में प्रोविजन है आलरेडी, कोई इस तरह का डिसिजन है सदन का जिसके संबंध में कतई क्लियरकट प्रोविजन हो उसके संबंध में क्या प्रोसिजर बरता जायगा, उसका निर्णय होना चाहिए। केवल, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस रोज कहा है कि वेग चार्जेज हैं और हम इस बात से सेटिस्फाइड हो गये...

(अजमेर प०)

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह (दांतारामढ़) : चार्ज लगाये जांय उसके बाद आप बोलें......

श्री अध्यक्ष : समझ में आ रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री मदनसिंह : कोई पॉइंट रेज नहीं किया गया, नाम नहीं बोला गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उन्हें कहने दें।

श्री भैरोंसिह : आप चाहें तो नाम दे दूंगा।

श्री यशवन्तसिह नाहर : मैं यह नहीं निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि......

श्री मदनसिंह : किस प्रकार होगा....?

श्री यशवन्तसिह नाहर : आपने जो फर्माया था कि किसी राजस्थान के अधिकारी ने अपने हाथ से फार्म भरा तो आप उसको चार्ज करने जा रहे हैं तो इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मदनसिंह : मेरा...

श्री यशवन्तसिह नाहर : मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष : (श्री यशवन्तसिंह नाहर से) आप इधर मुंह करके बोलें। (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर ऑर्डर।

श्री यशवन्तसिह नाहर : आप चार्ज करने जा रहे हैं तो मैं उसकी तरफ से नहीं बोलूंगा ....

श्री भैरोंसिह : आप कहेंगे तो नाम बोल कर रख दूंगा।

श्री यशवन्तसिह नाहर : आप कहते हैं, आप चार्ज कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : देट इज राइट ।

श्री मदनसिंह: हमारी सांस को भी कन्ट्रोल करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर से।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि श्री मुकुटबिहारीलालजी ने इसी सदन में जब वेग चार्जेज लगाये थे तो निर्णय हुआ था कि चार्जेज इतने वेग हैं कि वेग होने के कारण मैं परमिट नहीं करता। इस पर भी मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक चार्जेज हों, उनके संबंध में क्या व्यवस्था है? जनरल वेग चार्जेज को ले कर....

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह तो भाषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: यस, यस, जारी रखिये, इम्पोंटेन्ट पोइन्ट है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: उस रोज केवल इसलिये परमिट नहीं किया गया था कि चार्जेज वेग थे....

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर 15–20 मिनिट होता है क्या?

श्री अध्यक्ष: होता है कभी कभी! आप आसन ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह: कांग्रेसियों का और नाम निकल रहा है.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर: नहीं। इस सदन में दो सवाल उठाये गये थे, श्री ज्वालाप्रसादजी जो इस समय रोडवेज के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक आदमी का नाम ले कर स्पेसिफिक चार्ज इस सदन में दिया था। तब भी इस सदन में निर्णय दिया गया था कि कोई भी स्पेसिफिक चार्ज हो, उसके लिये पहले नोटिस देना चाहिये। श्री बालकिशनजी कौल के खिलाफ स्पेसिफिक चार्ज किया गया था, वे हाउस में प्रेजेन्ट थे। तब भी अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि चाहे कितना ही स्पेसिफिक चार्ज हो पूर्व नोटिस होना चाहिये। हमारे नियम 272-273 को पढ़ने से यदि स्पेसिफिक चार्ज हों तो उस पर अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा, आपका मेरा निर्णय नहीं। मैं कहता हूं कि 23-12-56 को मूलचन्द शर्मा फलां जगह गये थे, स्पेसिफिक चार्ज हैं, और उनके द्वारा फलां व्यक्ति से 400 रुपये लिये गये, यह भी स्पेसिफिक चार्ज है। पर इस पर अध्यक्ष महोदय को निर्णय देने का अधिकार है। हमारे हाउस के भी इस प्रकार के निर्णय हैं और लोक सभा के भी इस प्रकार के निर्णय हैं कि कोई भी स्पेसिफिक चार्ज लगाने से पहले पूर्व सूचना दी जायगी।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री भैरोंसिह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बनेड़ा से आये हैं, उन्होंने मेरे इस प्रश्न पर पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि दो अधिकारियों ने अपने हाथ से दूसरे आदमियों के गलत हस्ताक्षर करके गलत अलोटमेंट कराये। माननीय सदस्य परिचित होंगे कि आज से तीन दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने, जब मुकुटबिहारीलालजी गोयल, गृह विभाग की मांगों के बारे में बोल रहे थे तो आरोप प्रत्यारोप के अंदर उन्होंने कुछ चार्जेज लगाये थे तो उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि इस तरह के चार्जेज लगा सकते हैं।

रूल 272-273 का रेफेरेंस दिया गया, उसमें यह है कि किसी अफसर, मेम्बर या एनी पर्सन, इनके ऊपर चार्ज लगायें—डिफेमेटरी हो या इन्क्रिमिनेटरी हो, उस पर माननीय स्पीकर महोदय को सूचना देनी होगी।

(श्री भैरोंसिंह)

अगर, अध्यक्ष महोदय, उचित समझें तो उसके लिये इजाजत दी जायगी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं न यह डिफेमेटरी है और न इन्क्रिमिनेटरी। मैं जो तथ्य रख रहा हूं, उन तथ्यों से डिफेमेशन होती है इसलिये उस पर बोलने से रोका जायगा तो इस प्रकार हमारे बोलने के अधिकारों का हनन होगा। मैं किसी आदमी को बदनाम करने की दृष्टि से अगर चार्ज लगाता हूं, झूठे चार्जेज इन्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता हूं तो डिफेमेटरी चार्जेज बनेंगे। मेरी नीयत पर कोई डिफमेटरी या इन्क्रिमिनेटरी चार्ज बनता है। मेरी नीयत किसी को बदनाम करने की हो तब डिफेमेटरी बनता है। ये तथ्य रखना न तो किसी को बदनाम करना है और न ऐसी मेरी नीयत ही है। जो तथ्य हैं वे प्रामाणिक हैं, जिनके संबंध में सरकार इन्कार नहीं कर सकती, उनको मैं सदन में पेश कर रहा हूं। डिमाण्ड पर बहस के समय उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दे दी कि इस प्रकार माननीय सदस्यों के बोलने पर पाबन्दी लगाई गई तो माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा। उपाध्यक्ष महोदय की वह व्यवस्था काफी हद तक मान्य थी इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह रूल आउट करने योग्य है। वह कोई पोइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। और मुझे बोलने की इजाजत दी जाय।

नियम 273 से संबंधित अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: देखिये, माननीय सदस्य बनेड़ा ने जो प्रश्न उठाया है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिये है कि यहां सदन की जितनी व्यवस्थाएं इस संबंध में हैं और अन्य विधान सभाओं की व्यवस्थाएं हैं, या लोक सभा की व्यवस्थाएं हैं, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए, अध्ययन करते हुए भी यह प्रश्न बहुत अधिक महत्व का प्रस्तुत होता है। उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्थाएं, अथवा चेयरमैन की व्यवस्थाएं सदन में की जाती हैं किन्हीं प्रश्नों पर, तो वह भी मान्य एवं प्रभावशाली होती हैं। किन्तु वह प्रश्न जब तक उसी आधार पर, दूसरा प्रश्न नहीं उठाया जाय, तब तक उसका प्रभाव और मान्यता रहती है। पर ऐसा ही प्रश्न दुबारा उठाया जाय और उसी सवाल को चुनौती दी जाय तो उन प्रश्नों पर पुनः विचार किया जा सकता है। और साथ ही माननीय भैरोंसिंहजी ने यह भी जानकारी दी है कि विगत में उपाध्यक्ष महोदय ने भी ऐसी व्यवस्था दी है। किन्तु अब देखना यह है कि सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं अध्यक्ष की व्यवस्थाओं में समान प्रश्न पर क्या फरक हो सकता है, यह भी एक विचार का विषय है, विवेचन का विषय है। वहां एक ही आधार पर व्यवस्था का प्रश्न पहले भी उठाया गया और उसी आधार पर यह प्रश्न अब भी उठाया गया है। उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे, इस वक्त अध्यक्ष आसन पर हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि अध्यक्ष कोई दूसरा इस संबंध में निर्णय, जो अध्ययनशील है, वह दें तो इन दोनों व्यवस्थाओं में कौनसी व्यवस्था प्रभावशाली होगी।

श्री भैरोंसिंह: वह तो तय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: इसलिये मैं इस संबंध में एक उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, जो वहां के अध्यक्ष महोदय ने दी है, उसको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री अध्यक्ष)

या अधिष्ठाता के जितने फैसले होते हैं, रूलिंग्स होती है, उनके सम्बन्ध में एक दफा फैसला दे चुके हैं, (वहां के अध्यक्ष ने कहा कि) यह तात्कालिक फैसले लागू रहते हैं, यदि उनको कोई वर्वेश्चन नहीं करे।

आगे वे अध्यक्ष ही कहते हैं:

"यह फैसला चलता है किन्तु दूसरे समय उसी प्रश्न को उठाया जाय, या वही प्रश्न चल रहा हो, या उस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया जाय तो उस सम्बन्ध में जो अध्यक्ष का फैसला होगा वह स्थाई रूलिंग होगी तो यह प्रश्न".......

श्री मदनसिंह: अध्यक्ष महोदय, नये अध्यक्ष भी बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुझको यहां से हटा दें तो नया अध्यक्ष बन सकता है।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, आप माफ करेंगे....

श्री अध्यक्ष: माफ नहीं करूंगा अभी...

श्री भैरोंसिंह: इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान विधान सभा में भी हुई है, जब आप डिप्टी स्पीकर थे, आपके द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसको अध्यक्ष महोदय द्वारा ओवर रूल किया गया था।

श्री अध्यक्ष: जब मैं डिप्टी स्पीकर के रूप में था तो मैंने व्यवस्था दी थी और माननीय तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय का सम्मान रखते हुए, दूसरी व्यवस्था उस सम्बन्ध में दी थी।

तो जैसा मैंने यू० पी० के अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख किया, हमारे यहां की भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।

श्री मदनसिंह : अब आइन्दा व्यवस्था नहीं मांगेंगे उपाध्यक्ष से ?

श्री अध्यक्ष : I don't mean any discourtsey. माननीय सदस्य ने रूल्स 272 व 273 का प्रश्न उठाया है। इसका इन्टरप्रिटेशन और व्याख्या क्या हो सकती है, उस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल 272 की ओर आकर्षित करता हूं: Rules to be observed while speaking—A member while speaking shall — वाणी की स्वतन्त्रता के संबंध में। यह अधिकार तो संविधान ने दिया है लेकिन अगर उस पर बंधन लगाने के लिए भी संविधान के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। ऐसे प्रतिबन्ध का नियम इस प्रकार है : "Make a personal charge against a member--A member while speaking shall not...." यह पहला बंधन है। इससे ध्वनि निकलती है कि रूल 273 की क्या व्याख्या की जा सकती है यह इससे स्पष्ट प्रतीत होता है: रूल 273 :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply;" माननीय सदस्य ने कहा कि कौनसी भाष, डिफेमेटरी है, इन्क्रिमिनेटरी है, और कौनसी नहीं, यह व्यक्ति की मन्शा पर आधारित होता

(श्री अध्यक्ष)

है। मन्शा तथ्यों से डिड्यूस होती है? तथ्य किस ढंग से आए उससे इन्टेंशन डिड्यूस होता है। माननीय सदस्य ने जो भाषण आरंभ किया और दो-तीन पंक्तियां मैंने देखी उससे इन्टेन्शन इन्क्रिमिनेटिंग निकलता है, ऐसी स्थिति में यह रूल 273 इस पर लागू होता है या नहीं। सारा प्रश्न विचारणीय है। Intimation to the Speaker be made by any member making a personal charge against, any person.

'Person' includes a member or the Minister or a stranger, or the person outside in authority. तो माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि Person शब्द Genus है और मिनिस्टर या मेम्बर इसके स्पेसीज हैं अत: "Person" शब्द की व्याख्या के अन्तर्गत माननीय सदस्य और मंत्रीगण एवं अन्य सभी उसमें आते हैं। इसलिए पर्सन का इन्टर-प्रिटेशन जब मैं कर रहा हूं तब मैं अपनी इस बात की पुष्टि में भी, यहां की परम्पराओं का उल्लेख भी करूंगा जो मेरे पास है, और जो व्यवस्थायें यहां दी जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए इस विधान सभा की कुछ रूलिंग्स इस प्रकार हैं:

"ऐसे आरोप सदन में न लगाये जायं जो साबित नहीं किए जा सकते यह 12-3-64 की है। आगे है "सदन में आधारहीन बात न कही जाय". यह 24-3-64 की है। "व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पूर्व तत्संबंधी सूचना अध्यक्ष व संबद्ध सदस्य को दी जाय", यह 27-9-66 की है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य की सूचनार्थ संसद का एक निर्णय 2-8-62 को दिया गया है, वह व्यवस्था माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं:

"A very serious allegation is made against a member, an Hon'ble member of this House. The Hon'ble member must have a particular record which he can place before the House. Such allegation might not be made unless Hon'ble member takes the responsibility and is able to support it."

असत्य और तथ्यों के विपरीत या तथ्यों को दबाकर सदन में, उसे सत्य के रूप में प्रकट करना, विशेषाधिकार का हनन है, आदि आदि।

इस रूल 273 की व्याख्या कई व्यवस्थाओं में की जा चुकी है। मैं इसमें अभी विषद् रूप से जाना नहीं चाहता, लेकिन संक्षेप में जो अध्ययन मैंने किया है, उस आधार पर मैं माननीय सदस्य की पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो आपत्ति का प्रश्न है, उसको स्वीकार करता हूं: और इस पर व्यवस्था विषद् रूप से बाद में दूंगा लेकिन इस संदर्भ में पॉइंट ऑफ ऑर्डर को स्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि जाने अनजाने कभी 2 ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो कभी आपत्ति के प्रश्न नहीं होते हैं, तब संभवत: ऐसे आरोप लग जाते हैं अन-नोटिस्ड लेकिन आरोप लगाते समय हमारे नियमों में कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं वाणी की स्वतन्त्रता पर। उनके आधार पर जब माननीय सदस्य कोई बात कहें तो उसका पूर्व नोटिस मंत्री महोदय को होना चाहिए क्योंकि आपके आरोप लगाने के बाद मंत्री महोदय यह कह सकेंगे कि मुझे नोटिस नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था फराडलेन्ट ट्रांसफर है या इल्लीगल है या फोर्जरी हुई है, सब प्रश्न सोचने के हैं, विचारने के हैं और अनुसंधान के भी हैं।

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए माननीय सदस्य कोई आरोप लगायें, उससे पूर्व नोटिस दें। अगर नोटिस नहीं दे सकते हैं तो आरोपों से इधर-उधर निकल जायं और इस प्रश्न के साथ में उनको न लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अनेक आरोप हैं, किस किस के नोटिस दें ?

श्री मदनसिंह : जिन अधिकारियों के खिलाफ माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनका 6 दिन पहले डिस्कसन में पूरे नाम लेकर कह चुके हैं और उस समय मंत्री महोदय को नोटिस में ले लेना चाहिए था। इसलिए दुबारा आया है। रेवेन्यू अधिकारियों के संबंध में भैरोंसिहजी ने 4-5 दिन पहले आरोप लगाए थे, नाम लेकर लगाए थे, कि इन लोगों की ऐसी हरकतें हैं और सदन में जानकारी देना ही नोटिस है, अगर कोई सदस्य कहता है और स्पेसीफिकली कहता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं इस बात को कह सकेंगे।

राजस्थान विनियोग (सं० 3) विधेयक 1970 पर अग्रेतर विचार

श्री भैरोंसिंह : आपने जिस प्रकार व्यवस्था दी, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से मैं बोल रहा था, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं केवल यह कह रहा था कि गंगानगर जिले में कॉलोनाइजेशन की भूमि का एलाटमेंट जिस प्रकार किया गया, 7 व्यक्तियों के नाम एप्लीकेशन्स दी गई, सातों व्यक्तियों के नाम नहीं, सातों व्यक्तियों के पते नहीं, गांवों के नाम नहीं, जिन गांवों के नाम लिखे गए उनमें सातों व्यक्ति नहीं, सातों व्यक्तियों की पटवारी द्वारा तलाश की गई, पता नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई सातों व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे, वह जानकारी नहीं। जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, काश्त होने लगी। अब फार्म्स किसने पेश करवाये, उसमें कुछ अधिकारियों के दस्तखत हैं, उसके संबंध में यदि सदन में नहीं कहा जाय तो मैं समझता हूं कि बड़ी आपत्ति की बात है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वाचक जोड़िये।

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रश्न वाचक जोड़ रहा हूं, सरकार के सामने, आपके सामने, जिन लोगों को जानकारी मिली है, कुछ अधिकारियों ने अपने निशान लगाकर अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, झूठे फार्म्स बनवा कर जमीन का एलॉटमेंट करवाया, उनके खिलाफ आज तक क्या एक्शन लिया है ? आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए सदन में आना पड़ता है। भ्रष्टाचार का जिक्र इसी आधार पर कर रहा हूं कि वह किस सीमा तक बढ़ गया, वह इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। राजस्थान सेंट्रल कनाल प्रोजेक्ट्स ओवरसियर्स एसोसियेशन, सूरतगढ, का एक नोटिस है, उसमें लिखा है, बाकी की बातें तो अलग हैं :

"It is well known that such black time has come when transfers are done by bribing money, sanction on construction reaches are given after making forced contracts with civil overseers and promotions are made by demanding packets of currency by the learned Minister.......

श्री अध्यक्ष : किसका दिया हुआ है नोटिस ? इर्रिलेवेन्ट पेपर है ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों साहब ?

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्सी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : एक लाइन सुन लेते तो मालूम हो जाता। रिलेवेन्स यह है कि:

"Promotions are made by demanding packets of currency by the learned Minister and Chief Engineer of Irrigation." जो कोग्नीजेन्स की या रिलेवेन्स की बात कर रहे हैं, वह इसलिए कि ओवरसीयर्स एसोसियेशन, जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव है ।

श्री भैरोंसिंह : नोटिस दिया हुआ है साइकलोस्टाइल्ड । इसमें लिखा है कि प्रमोशन्स जब तक मिनिस्टर के पाकेट में करेंसी नहीं जाती तब तक नहीं होते। हम क्या कहें ? दुनिया बोल रही है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am also a Minister of Irrigation. If this charge is proved....

श्री भैरोंसिंह : आप मिनिस्टर हैं या नहीं यह तो ओवरसीयर भी जानते हैं, इन्जीनियर भी जानते हैं और राजस्थान की जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। ओवरसीयर्स ने यह नोटिस दिया है और प्रस्ताव पास किया है यह सही है। इतना इस राजस्थान में करप्शन हो गया है कि राज्य कर्मचारी एसोसयेशन को भी प्रस्ताव पास करना पड़े ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री भैरोंसिंह : समाप्त ही कर रहा हूं।

राजस्थान सरकार ने यदि इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया और जिस प्रकार से करप्शन राजस्थान में दिनों दिन बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयत्न नहीं किया और मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं किया तो निश्चित मानिये कि करप्शन बहुत बढ़ जावेगा और उसके परिणामस्वरूप राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब होगी और जब राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब होगी तो यह सरकार जनता पर टैक्स लगायेगी और उसका परिणाम यह होगा कि जनता आन्दोलन करेगी और राजस्थान सरकार को उन आन्दोलनों को कुचलने के लिये गोलियां चलानी पड़ेगी और अन्ततोगत्वा जनता उन मेथड्स को अपना लेगी जो कि नहीं अपनाये जाने चाहिए । वह स्थिति पैदा न हो इस पर सरकार को समय रहते भली प्रकार से विचार करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज हम एप्रोप्रियेशन बिल पास हो या न हो इस पर विचार कर रहे हैं । दुर्भाग्य से बजट की इन्डिविजुअल डिमान्ड्स पर हमने यह चीज कही थी कि राजस्थान में आज करप्शन रेम्पेन्ट है और उसको समाप्त किया जाय । लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी आंखों से दब कर रह गया है, हमारी आंखों से ओझल हो गया है ।

मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा और वह इस तरह से है कि राजस्थान के ऊपर बजट के आंकड़ों के अनुसार ही 5 अरब से ऊपर

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

टोटल कर्जा है जिसका 34 करोड़ रुपया ब्याज प्रति वर्ष हमें देना पड़ता है। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने नीयर अबाउट 55 करोड़ रुपये की तीसरे आदमी की जमानतें दी हुई हैं जिनको कर्जा मिल जाय और इतनी बड़ी लायेबिलिटी ली कि 34 करोड़ में से 14 करोड़ की वसूली करते हैं। गारन्टी का पैसा असल में मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिला। यह सही रूप में हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े प्रश्न को आज तक सदन में कभी नहीं उठाया गया। मुमकिन है मैं गलत कह रहा हूं और किसी दूसरे ने सुना हो। कॉन्स्टिट्युशन के अन्दर सदन के इस प्रकार के अधिकार हैं उनके बारे में प्रोविजन है। राजस्थान सरकार कर्जा ले रही है और

(1.42 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

कर्ज लेने वाले तीसरे आदमी की भी गारन्टी दे रही है उसके संबंध में न तो आज तक सदन को कॉन्फिडेन्स में रखा गया है और न ही माननीय सदस्यों ने सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्युशन के आर्टिकल 293 की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर सर, आज घटना इस तरह से हुई है कि हमारे प्रिविलेजेज़ हैं जिनको, अध्यक्ष महोदय बक्षा कर गये थे हमें राइट ओफ स्पीच है किसी ओफिसर के खिलाफ कह सकते हैं, सदन में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई. . . . .

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरे भाषण पर आपका पोइन्ट ओफ ओर्डर है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जो चर्चा चल रही हो उस पर उठाया जा सकता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री मदनसिंह दांता : यह करने वाले थे इसलिए अर्ज है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. . . . .

श्री मदनसिंह दांता : Give some specific charge.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I will speak when I am aware of certain facts. If I am not aware, I will never speak a vague thing,

पार्टी इन पावर को बिलोंग करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अंग्रेजी भाषा का प्रयोग गुस्से में करते हैं क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार सक्षम है कि जिसको चाहे कर्जा दे दे और जिसको चाहे उसको कर्जे के लिए गारन्टी दे दे ? 1952 से लेकर आज यही स्थिति चली आ रही है। कोन्स्टिट्युशन की आर्टिकल 293 की तरफ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आर्टिकल 293 ऑफ दी कॉन्स्टिट्युशन यह कहता है।

"Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

if any as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be fixed."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्दाज लगाता हूं। मैंने राजस्थान विधान सभा द्वारा जितने भी कानून पास किये हैं उन सब की सूची देख ली है। और अन्य माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात आयी हो। शायद मैं गलत होऊं, शायद यह एक्ट उस सूची में आने से रह गया हो, पब्लिकेशन में रह गया हो।

श्री मदनसिंह दांता: Can you name all the Kanuns ?

क्या सारे कानूनों की आप व्याख्या कर सकते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं क्या बोल रहा हूं आपको मालूम ही नहीं है। मैंने रिपील लॉ कोट किया था तो आप समझे ही नहीं। दुर्भाग्य मेरा था कि मैं स्वयं गलत समझ में आ गया।

आर्टिकल 293 ऑफ दी कोन्स्टिट्यूशन के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है बोरोइंग के लिए, थर्ड पार्टी को गारन्टी देने के लिये, राजस्थान का लेजिस्लेचर सुप्रीम है वह इनके लिये कानून बनाये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे से कहीं गलती हो गई हो और इस प्रकार का पास किया हुआ कानून कहीं छिपा रह गया हो और वह कानून ध्यान न आया हो और ध्यान में आने से रह गया हो कि बोरोइंग और गारन्टी के लिए कानून बना हो। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा कानून नहीं बना है और सदन के सामने यह भी कहना चाहूंगा कि सदन ने 18 वर्ष तक अपने अधिकारों का इस बारे में उपयोग नहीं किया है। इस बीच में यह भी बता देना चाहता हूं कि सन् 1971 तक 5 अरब 79 करोड़ रुपया का कर्जा रहेगा और जो गारन्टी हमने दी है थर्ड पार्टी की वह टोटल है 43 करोड़ रुपया। यह थर्ड पार्टी के लिए गारन्टी दी गई है जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनकी गारन्टी दी है और उस गारन्टी का रुपया हम एक कमीशन के रूप में लेते हैं 3¾ । परसेन्ट ब्याज के रूप में। गारन्टी का तो हम को वापिस रुपया ही नहीं मिला है। हम भ्रष्टाचार को देखते फिरते हैं लेकिन हमने अपने इतने बड़े अधिकार का उपयोग ही नहीं किया है। मुमकिन है मैं गलत होऊं। जब से राजस्थान बना है तब से और जब यह 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना 50 से लेकर सन् 70 तक राजस्थान में हम आज तक कोई ऐसा कानून नहीं मिला। 1935 के एक्ट के तहत फेडरल प्रोविन्स और फेडरल स्टेट्स को अधिकार थे, वे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को बिना पूछे ही कर्जा ले लेती थी लेकिन जब से कोन्स्टिट्यूशन बना है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की सर्टेन लिमिटेशन्स के बिना कर्जा नहीं दे सकते। कन्सेन्ट ली है उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस विषय में कोन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 के अन्तर्गत कोई लॉ नहीं बना हुआ है। प्राइवेट फर्म्स को दिया गया है, लोन्स का दुरुपयोग आदि कहा गया लेकिन यह सदन इस बारे में कानून बनाये उससे अब तक महरूम रहा है। इस का हमें अधिकार है। किस लिमिटेशन पर कर्जा देंगे, देंगे और उनसे क्या शर्तें करेंगे, किसकी गारन्टी देंगे इस प्रकार का लॉ बनाते हैं तो अधिकार

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

के साथ कह सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां यह हैं और हम कहां पर हैं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि कन्टीन्जेन्सी फन्ड 10 लाख का कायम किया है उसके लिये भी लॉ चाहिए। आर्टिकल 267 ऑफ दी कोन्स्टिट्यूशन इस संबंध में बिल्कुल साफ है। उसके लिए कोई कानून पास नहीं किया है और बहुत बड़ा अधिकार था कान्टिन्जेन्सी फन्ड का प्रोविजन किया जाय उस अधिकार को काम में लाया जाता लेकिन उसको काम में नहीं लाया गया कहीं पर भी।

तीसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन किताबें निकाली हैं: फाइनेन्स अकाउन्ट्स, एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स और आडिट अकाउन्ट्स। हमारे हाथ में है वह 67-68 की है। जब हम असेम्बली में 70-71 के बजट पर बहस करने जा रहे हैं तब हमारे पास तीन साल पुराने ऑडिट अकाउन्ट्स और फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स हैं। कम से कम ऑडिट रिपोर्ट में तो देर लग सकती है लेकिन फाइनेन्स अकाउन्ट्स एक साल पहले के तो हमें मिल जाने चाहिए ताकि हम उस पर बहस कर सकें।

चौथा हमारा ऑल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन है उसने एक प्रार्थना की है और यह स्थिति थी जो आपके बजट के परफारमेंस पर बनी है। बहुत इजिली, साधारण आदमी भी इस बात का पता लगा सकता है। लाखों रुपया आपने फैमीन पर खर्च कर दिया 25 लाख की एक सड़क आप बनाते हैं। 25 मील रोड आप बनाते हैं तो आपकी बात समझ में आ जाती। आप फैमीन में कई सड़के बनाते हैं लेकिन एक सैन्ड ड्यून के आते ही वे सड़के साफ हो जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी ये सड़कें कहां गई? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें परफॉरमेंस विजीलेन्स बोर्ड इन्स्टीट्यूट करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे यहां पर ओवर स्टाफिंग पैटर्न इस सीमा पर बढ गया है और इसका एक अच्छा आकषर्ण भी है। एक तरफ जो सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हमें मिली हैं, उनमें हमें बहुत बड़ा स्टाफ मिला। इसी तरह की और भी 10-12 स्कीम्स हैं। अब वे 5 साल बाद खत्म होने जारही हैं और उनको आप निकाल नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारे एडामीनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज बढ़ते ही जा रहे हैं जिनको हमें रोकना चाहिये।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो साधारण कामनसेन्स से भी गये बीते हैं। 70-71 के बजट में मिल्क सप्लाई स्कीम का एक आइटम है। इस स्कीम के द्वारा आप 25 लाख का दूध बेचते हैं और उसका टोटल खर्चा एक साल के अंदर साढे बारह लाख का करते हैं, स्टाफ, टेलीफोन यात्रा भत्ता का खर्चा, मैडिकल बिल्स पर आप करते हैं। 25 लाख का दूध बेचते हैं और इतना खर्चा आप स्टाफ पर कर देते हैं. मेरे ख्याल से कोई बनिया होता तो तीन दिन में ही दिवाला निकाल कर बैठ जाता। 25 लाख का दूध बेंचे और साढ़े बारह लाख का खर्चा करें, यह समझ में नहीं आता? मैं यह निवेदन नहीं कर रहा हूं कि आप इस स्कीम को बंद कर दें। मेरी रिक्वेस्ट तो यह है कि इसको आप ठीक तरह से चलावें। एक तरफ से दुनियां बदल रही है और आप इस स्कीम के लिये आई० ए० एस०, आर० ए० एस०

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आफिसर बिठाते है। यह आपका आफिसर ऐसा है जिसको आप चाहे जहां फिट कर देते हैं। सूली पर चढ़ा दो तो वह सूली पर चढ जाता है। मैनेजमेंट की बात हो तो उसको मैनेजमेंट में आप बिठा देते है। जहां जिसकी उपयोगिता हो वहां उसको ही बिठाया जाये। जितने भी सोशलिस्टिक कन्टरीज है; उनमें एक नई योजना है। उनका उद्देश्य है प्राफिट मोटिवेटेड व्यापार होना चाहिये। मेरे ख्याल से जितना हम कर्जा दे रहे हैं, उसका 34 करोड़ का ब्याज हम दे रहे है, और 14 करोड़ भी वसूल नहीं कर पाये हैं। हमारी जितनी स्कीम्स हैं वे सब की सब फैल हो रही है। गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग के दो आधार हैं। एक तो यह कि टैक्स की रेवेन्यू आपकी कम पड़े और दूसरी यह कि नॉन-टैक्स प्रोडक्टिव रेवन्यू आपके पास बढती जाये। परन्तु आपके इन अन्डर'टेकिंग्स में बराबर लोस बढता ही जा रहा है। आपके सर्किट हाऊसेज हैं, होटल कारपोरेशन है। वे भी आपको लोस देते हैं, समझ में नहीं आता है। जहां आप 45 रुपया किराया चार्ज करते हैं और वहां पर भी लॉस रहे तो यह बात समझ में नहीं आती। इसी तरह से होटल कारपोरेशन की रेट्स हैं और वह भी आपको लोस दे रहा है। आप ढाई करोड़ की सैल पर 50 लाख रुपया स्टाफ पर खर्च कर देते हैं। तब इन बातों को सोचना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्स हैं-उनके ऊपर मैं कोई लम्बी बहस नहीं करना चाहता परन्तु उस पर यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं, जो गवर्नमेंट ट्रेडिंग्स हैं उस सब को आप देखें कि क्यों खर्चा बढ रहा है। एक आइटम है इम्पोरटेड फूड ग्रेन्स का। इसमें 19 लाख का गेहूं पहुंचा ही नहीं। और 19 लाख रुपया हमको देना है। कौन जिम्मेदार है? किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कायवाही की गई ? मैं समझता हूं नहीं की गई। इसी तरह का एक आइटम और है-सूरतगढ और विजयनगर के बीच में-यह मैं किताबों में से ही कह रहा हूं। 1 लाख 55 हजार रुपया में दो डिलक्स बसें खरीदी गई और बीच में मालूम पड़ा कि उनको खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। चीफ इंजीनियर ने जो खरीद की है वह गलत की है और तीन वर्षो तक ये पड़ी रहीं क्योंकि कोई ड्राईवर नहीं था। यह 1 लाख 55 हजार का आइटम है। कितने ही इस तरह के और आइटम्स हैं। मेवाड़ राज्य में यह कहा जाता था इस साल आपके यहां आग लग गई, दरबार को खबर की गई, खबर लग गई और तीन साल बाद जवाब आया आग बंद करवा दी जाये। इसी तरह से आपकी ये ऑडिट रिपोर्टस हैं। क्या यही आपका एफीसियेंट स्टाफ है? यहां पर इतने मिनिस्टर बैठे हैं। क्या यही आपके एडमिनिस्ट्रेशन की इफीसेंसी है? इसी तरह से 65 में एक सामान खरीदा गया राजस्थान कैनाल के लिये वाटर सप्लाई के लिय 11 लाख 58 हजार का और 68 के नवम्बर में जाकर यह मालूम पड़ा कि यह सर्विसेबल नहीं है। क्यों साहब ? हमारी मेवाड़ सरकार जिन्दा है आप लोगों में या मर गई है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको गिनगें तो बहुत लम्बी लिस्ट हो जायेगी। इसको गिनने के लिये बहुत से है, हमारी ऑडिट रिपोर्टे है, पब्लिक अकाउण्टस् कमेटी है, एस्टीमेट्स कमेटी है, वे ही इसकी जांच

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

करेगी लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरटेन चेन्जेज हमको करना है और यह चेंजेज करना है कि प्राफिट मोटिव हमार हो। इन्तजाम उसके हाथ में हो जो इन्तजाम की जानकारी रखता हो। हमारे पास महालक्ष्मी मिल्स की अन्डरटेकिंग है, दो साल में 28 लाख पर उसने पानी फेर दिया। वह थर्ड कम्पनी आथोराइज्ड कन्ट्रोलर साहब चला रहे हैं और उसमें 28 लाख का नुकसान यानि एक लाख महीने का नुकसान, लॉस ही दे रहे हैं। क्यों साहब? इसलिये कि 1200 मजदूरों को पैसा मिल रहा है। आप इनको रोजगार ही देना चाहते हैं तो और भी धन्धे, उद्योग हैं। इसी तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट को देख लीजिये। राजस्थान कैनाल पर 6 करोड़ का ब्याज हम दे रहे हैं और ब्याज दिन पर दिन बढ़ रहा है। और उससे रिर्टन है 54 लाख रुपया। जितना हमने खर्च किया है उस पर हमें 54 लाख रुपयों की रिर्टन मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। 5-5 साल से इरिगेशन का पैसा बकाया चला आ रहा है। आप एक तरफ तो टैक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा सैल्स टैक्स हमारी कामधेनु है। परन्तु मैं पूछता हूं यह कब तक चलेगा? इस कामधेनु के बोबे में जो दूध है वह खत्म होता जा रहा है और आपको वह नजर नहीं आ रहा है। आप खींचतान करेंगे कब तक? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ठीक कहा है जो होटल में रोटी बेंचने वाले हैं उन पर भी आपने वह सैल्स टैक्स लगा दिया है। फिर भी आप कहते हैं कि आपने गरीबों को छोड़ दिया है। मैं कहता हूं आपने गरीबों को ही नहीं बहुत बड़े गरीबों को छूआ है। राजस्थान में 12 लाख के करीब गवर्नमेंट सर्वेन्टस हैं। यह मिडिल क्लास पीपुल हैं। इसी तरह से लेबर क्लास गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग के एम्पलाईज है। नतीजा यह होगा कि आप यह टैक्स इनसे खींच लेंगे। चाहे आप रोटी के टुकड़े पर टैक्स लगाते हैं। आखिर आज यह मार किन लोगों पर पड़ता है? चाय के पैसे 25 हो गये है। अब 25 से 27 हो जाते है तो ये निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, लेबर क्लास हैं वे कहेंगे कि हमारी तनख्वाह कम है, इसको बढाइये और आपने जब तनख्वाह बढादी तो आपको वह रकम टेक्स लगाकर वसूल करना होगा। टैक्स बढाने होंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि आप नोन टेक्स रेवेन्यु डेवलप करिये। आज आपकी 25.06 नोन-टैक्स रेवेन्यु है। आपकी प्रोडक्टिविटी कहां है? आपकी सारा पब्लिक अण्डरटेकिंग खत्ते में जा रही है। इसलिये आपको चाहिये कि आप अपना ध्यान नोन-टैक्स रेवेन्यु बढाने की ओर दीजिये अगर आपको समाजवाद लाना है, समाजवाद लोगों के जीवन में उतारिये। 1950 में कानून बना था। 200 रुपये की चोरी का मामला है तो वह राजीनामा द्वारा तय हो सकता है, वह नोन-कोगनीजीबल होगा। खयानत कोई 200 रु० का करता है तो वह नोन-कोगनीजीबल माना है। आप इस तरह से आफेन्स की प्रवृत्ति को बढावा दे रहे है। चाहे कितने हो रुपयों का मामला हो। यह तरमीम 1950 में आई० पी० सी० में किया था। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को अन-लिमिटेड अधिकार देवे। सम्पत्ति का मूल्य कम करिये सिद्धान्तों के आधार पर राज्य के शासन को चलाइये। अगर सिद्धान्त कायम होंगे तो समाजवाद कायम होगा। यहीं कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरियां ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विनियोग विधेयक विचारार्थ लिया जा रहा है। यह विधेयक जनता द्वारा जो टैक्स वसूल किये जाते हैं उसके आधार पर बना हुआ है। जो किसान छोटी जोत का मालिक है, जो छोटी काश्तकारी करता है अलाभकारी जोत से भी टैक्स वसूल किया हुआ है। इसके अलावा गरीब तबके को जबरदस्ती शराब पिला कर कमाया हुआ रुपया भी इसमें शामिल किया गया है। आज यह विधेयक डिमाण्ड वाइज पास होकर विनियोग के रूप में सदन में पास होने जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा रुपया जो विनियोग विधेयक में बताया गया सदन द्वारा पास कराया जा रहा है। यह रुपया मंत्रियों द्वारा व भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा खर्च किया जावेगा। उनको तनख्वाह मिलने के बाद भी इस पैसे का सही उपयोग वे नहीं कर पाते हैं। मैं यह भी समझता हूं कि इन रुपयों में से कुछ रुपया सार्वजनिक कामों में भी खर्च किया जाने वाला है। ये सार्वजनिक काम जितने भी होंगे वे सारे सरकारी अधिकारियों द्वारा कराये जायेंगे उन रुपयों में से आधे से अधिक खर्च नहीं हो पायेगा। सार्वजनिक कामों के लिये जितना पैसा रखा जाता है उसमें से आधा ही पैसा काम में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी टैक्सेज के बारे में निवेदन किया था। राजस्थान सरकार टैक्स ले, बिना टैक्स के कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई धन नहीं जिससे वह अपना काम चला सके सिवाय टैक्स के। टैक्सों की भी सीमा निर्धारित है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि टैक्स आप एक ही जगह से वसूल करें और नियमानुसार एक चीज पर एक जगह ही टैक्स लिया जाना चाहिये। यह अनुचित बात है कि एक ही चीज पर बार बार दो तीन बार टैक्स वसूल करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी किस्म के अनाज हैं सब पर राज्य सरकार ने टैक्स लगा दिये हैं इसके साथ साथ उनसे जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उन वस्तुओं पर भी दुबारा टैक्स लगाया जाता है। एक ही वस्तु पर एक जगह दूसरी जगह और तीसरी जगह जो टैक्स लगाया जाता है, मैं समझता हूं, राज्य सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, होटल, रेस्ट्रां-जलपान गृह, खाने पीने की चीजों पर, मिठाइयों पर टैक्स लगाया है। इस तरह से इनमें दुबारा तिबारा टैक्स लिया जाता है। राजस्थान सरकार ने गत वर्ष दो परसेन्ट टैक्स रखा था उसको बढ़ा कर टर्न ओवर करके शामिल करके पांच परसेन्ट तक कर दिया है यह सरकार के विचारने की बात है। इस तरह से जो अनाज पर टैक्स बढ़ाया है जो किसान अनाज बेचता है। खरीदने वाला उसके मुताबिक उससे लेगा आखिर जाकर यह सारा भार किसान पर पड़ेगा जो बेचारा रात दिन गाढ़ी कमाई करके अनाज पैदा करता है।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर चीज पर एक ही जगह पर टैक्स लिया जाय और जो तीन स्थान पर लिया जाता है वह नहीं लिया जाय। इसके साथ साथ एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप टैक्स वसूल करते हैं वहां आप हिसाब मांगने की कोशिश करते

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हैं । राजस्थान सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि जो व्यक्ति एक मामूली सी दुकान करता है, छोटा सा धन्धा करता है उसके लिये जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हिसाब रखना बहुत असंभव है । आप छोटे दुकानदारों की इन दिक्कतों को तो महसूस करते, ? राजस्थान के कितने लोग शिक्षित हैं ? आप कितने लोगों को शिक्षा दे पाये हैं ? यह जो आप हिसाब के आधार पर टैक्स वसूल करते हैं यह राजस्थान की जो पिछड़ी हुई जनता है उसके साथ अन्याय है इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम टैक्स इन छोटे दुकानदारों से वसूल करते हैं उसमें बहुत मनमानी की जाती है । इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि या तो इनको टैक्स से मुक्त कर दिया जाय । अगर टैक्स लिया जाय तो इनका सालाना बान्ध दिया जाय कि इतना सा टैक्स हम तुमसे लेंगे । नहीं तो बेचारे को जितनी आमदनी नहीं होती है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । अगर वह हिसाव किताब के लिए मुनीम रखता है तो उसको भी कम से कम 150) रुपया देना होगा और डेढ़ सौ रुपया वह कमाता है तो इस तरह से डेढ़ सौ रुपये का आदमी हिसाब किताव के लिये रखना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस समय डिमाण्ड्स पर बहस हो रही थी सेल्स टैक्स के बारे में उस समय भी निवेदन किया था....

श्रीमती कान्ता कथूरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घंटी)

श्री डूंगाराम राजोरिया : (गण पूर्ति के पश्चात्) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों पर भी इसी प्रकार से टैक्स का मार है । जो लोग चमड़े का काम करते हैं, उसको रंगने का काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं उनको भी अपना हिसाब रखने की ज्यादा डिफीकल्टी है । उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सरकार को यह उपाय करना चाहिए कि साल में उनको मिनिमम या साल में दस पांच कम या ज्यादा करके लगा दें तो काफी सहूलियत हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अलाभकारी जोत के बारे में कहा । आधा आधा बीघा के भी काश्तकार हैं । उनसे लगान वसूल करना गलत बात है । मैं जयपुर के ही आसपास के इलाकों का हवाला दूं । आधा आधा, एक एक, दो दो बीघा जमीन जिनके पास है वे क्या करते हैं कि उनका इससे जब गुजर वसर नहीं होता तो परिवार के अधिकांश सदस्य साल के अधिकांश दिनों में शहर में सुबह पैदल या साइकिल से आते हैं और मजदूरी करते हैं, शाम को घर लौट जाते हैं । इस तरह से गुजर बसर अपना करते हैं । जिनके पास जमीन कम है उनकी जबर्दस्त कठिनाई है । अब जो शहर से बहुत दूर रहते हैं उनके परिवार के कुछ सदस्यों को जो रोज आ जा नहीं सकते शहरों में रहना पड़ता है और इस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर वे करते हैं । तो उनसे लगान न वसूल करके बड़े किसानों से किया जाय, उनकी थोड़ी दर बढ़ाई जा सकती है जैसे उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

किया है। राजस्थान सरकार भी ऐसा करे यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि गरीब तबके को यह सरकार जबर्दस्ती शराब पिलाती है। मनोहरसिंहजी मेहता ने तो एक बहुत ही बड़ा अपने जीवन का यह मिशन बना लिया है। बेचारे बार बार कहते हैं, पर इस बहरी सरकार पर कोई असर नहीं होता।

पिछड़े वर्ग की हालत देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। यह शराब की लत आज उनके संस्कारों में, रहन सहन में और उनकी आदतों में शामिल हो गई है। वंश परम्परा से चलती आ रही है। अपने आप वे सोच समझकर या उपदेशों से छोड़ दें यह असम्भव है। इसका भयंकर परिणाम भी वे भुगत रहे हैं, न जीवन में वे अपना स्तर उठा सकते हैं, न परिवार को सुसंस्कृत और शिक्षित कर सकते हैं। न बच्चों को अच्छा खिला पिला सकते हैं, न शिक्षा दिला सकते हैं, न अच्छे संस्कार उनमें डाल सकते हैं। क्योंकि परम्परा से बचपन से उनके संस्कार ही इस तरह के बनते जा रहे हैं। उनका संसर्ग, उठना बैठना रहना ऐसे ही लोगों के बीच होता है। उनकी बस्तियां ही इस तरह के लोगों की हैं और फिर सरकार शराब की दुकानें भी ऐसी ही बस्तियों में खोलती ह, मानो सरकार उनको शराब पिलाते ही रहना चाहती हो, उनका कोई सामाजिक संस्कार और उत्थान नहीं करना चाहती हो। शराब का ठेकेदार भी बिचारा क्या करे, उसे तो जहां ज्यादा पीने वाले होंगे वहीं शराब की दुकान चलानी होगी। बच्चा बचपन से अपने मां बापों को शराब पीते देखता है, मेहमानों के साथ पीते देखता है तो अनायास ही उस पर यह असर पड़ता है कि यह कोई बहुत अच्छी चीज होगी और धीरे धीरे उसकी भी आदत बचपन से पीने की पड़ जाती है। तो अगर आपका समाज कल्याण विभाग वास्तव में इस वर्ग की उन्नति करना चाहता हो और आप चाहते हों कि यह वर्ग ऊपर उठे तो सरकार को शराब जल्दी से जल्दी समाप्त कर देनी चाहिए। या फिर सरकार ऐसा करे कि इसकी रेट इतनी ऊंची कर दे कि उसको खरीदना इनके बूते से बाहर हो जाय। उस हालत में वही पी सकेगा जो भ्रष्ट अधिकारी होगा या जो रिश्वतखोर होगा। इससे राज्य की आमदनी में भी अन्तर नहीं आवेगा और जो भ्रष्टाचार से पैसा वसूल करते हैं वह पैसा जनता का ही है वह घूम फिर कर फिर सरकार के पास चला आवेगा और इस तरह से जनता पर टैक्स भी कम लगाने पड़ेंगे।

दूसरी राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया है, गुजरात ने किया है वहां गरीब जनता आराम में है। मद्रास में एक जमाना था जब जनता इतनी गिरी हुई थी और गरीब थी कि खाकर पत्तल डालो कि वे उसी समय चट कर जावें। घर घर ताड़ी होती थी, नंगे भिखमंगे लोग फिरते थे। ताड़ी पीकर गर्क रहते थे। वहां की सरकार ने कन्ट्रोल लगा दिया और आज वे खुशहाल हैं। वे अच्छा विकास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में निवेदन किया था। जितने भी काम इस विभाग द्वारा होते हैं इनमें 25 परसेन्ट रकम तो भ्रष्टाचार में चली जाती है, यह तो मामूली सी बात ह। और इसी कारण लोग इस विभाग में जाना ज्यादा पसन्द करते हैं। लोगों की भ्रष्ट आदत हो गई है। बड़ा अधिकारी बड़ी

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

तनख्वाह पाने के बाद भी यह नहीं सोचता कि उस पर राज्य ने जिम्मेदारी सौंपी है तो उसको ईमानदारी से निभावे। ठेकेदार को ठीक पैसा दे और ठीक काम ले, ठोक कर काम ले। जो सही मैटीरियल लगाना चाहिए उसको देखें कि उतना मैटीरियल उसने लगाया है या नहीं। पर आज तो उल्टा काम किया जाता है, जो ठेकेदार जितना अधिक इनको रिश्वत देता होगा उसी को उतना ही अधिक काम मिलेगा और वह ठेकेदार उतना ही खराब काम करेगा। कम और हल्का मैटीरियल लगावेगा। श्रम सोसाइटियों को ठेके नहीं दिये जाते, दिये जाते हैं तो मामूली छोटे मोटे दिये जाते हैं। 15/20 हजार के दिये जाते हैं, बड़े बड़े लाखों वाले ठेके कतई नहीं दिये जाते। सरकार इन सोसाइटियों को बड़े बड़े ठेके भी दे और अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो काम करने के लिए या तो एडवान्स कुछ पैसा दे दे या लोन दिलवाए ताकि वे बड़े बड़े ठेकों में भी कामयाब हो सकें और सरकार को भी अच्छा काम मिले। मैटीरियल भी ये ठीक लगावेंगे, रिश्वतखोरी भी इससे मिटेगी। इससे छोटे छोटे लोग भी पनपेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, बजट में कई बार यह देखने में भी आया है कि जिस अच्छे काम के लिए कोई रकम रखी जाती है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता है और वह रकम लैप्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर निवेदन करूं कि टोंक फाटक, जयपुर शहर की टोंक रोड पर गांधीनगर के पास टोंक फाटक पर पुल बनाने की बात थी। बजट के मद में पैसा भी 21। लाख के करीब रखा गया था। इस फाटक को क्रास करने में बड़ी दिक्कत आती है बहुत बड़ा ट्राफिक यहां से निकलता है, टोडा रायसिंह मालपुरा, टोंक, देवली, कोटा आदि के लिए रात दिन बसें जाती आती हैं हवाई जहाज पर आने जाने का भी यही रास्ता है। जरूरतमन्द आदमी अगर इस क्रासिंग पर रुक जाने से हवाई जहाज चूक गया तो रुक गया। तो इस तरह से काफी परेशानी और नुकसान जनता को इससे हो रहा है। पर वह पुल आज तक नहीं बन सका। पैसा लैप्स हो गया। भ्रष्ट कामों से पैसा बचाया जावे तो ये काम और भी आसानी से हो सकते हैं।

इसी तरह से दौसा स्टेशन का एक क्रासिंग भी है। उसका सर्वे भी सरकार ने कराया है। पर इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी बात तो यह है कि वह स्थान स्टेशन के करीब है और स्टेशन के करीब होने के कारण जो मालगाड़ियां आती हैं उनकी शंटिंग वगैरह होती रहती हैं, और सारा टाइम फाटक बन्द रहता है, घंटों तक यह होता रहता है और, उपाध्यक्ष महोदय, घंटों तक यातायात बन्द रहती है, मोटर व्हीकिल्स और ट्रक वगैरा खड़ी रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि वह शहर के बिल्कुल करीब पड़ता है। इसके अलावा टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं, उनकी दस दस गाड़ियों की लाइन लग जाती है. आगरा से आने वाली और आगरा को जाने वाली गाड़ियों की लाइन लग जाती है और उन लोगों को बहुत ही असुविधा होती है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक पुल बननी चाहिए।

मैं 1962 से लेकर जमवा रामगढ़ और दौसा के लिए निवेदन करता आ रहा

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हूं कि वहां सड़कों का निर्माण बिल्कुल नगण्य है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले से आपको सबसे अधिक राजस्व मिलता है और यह जिला सबसे ज्यादा पैसा राज्य सरकार को देता है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं कराया जाता है और दूसरे जिलों में ही सब काम कराये जाते हैं । यह तरीका प्रजातन्त्र की परम्पराओं के विपरीत है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा में रोड्स के बारें में मैं हमेशा कहता आ रहा हूं तो वहां पर रोड्स बनने चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोड्स की डिमांड पर बोला नहीं था, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ।

दौसा से मैंसरा होता हुआ काली पहाड़ी या सीडोली होता हुआ कूंडल तक, वह रोड़ बनना चाहिए । उस रास्ते पर बड़ी बड़ी पंचायतें पड़ती हैं और बड़े बड़े कस्बे पड़ते है । ऐसी जगहों को तो कम से कम सरकार को अपने ध्यान में लेना चाहिए और वहां रोड्स की शुरूआत करनी चाहिए । दूसरा रोड़ नायला से माणोता बूजराणीजी का खवा और नकटी घाटी से जोड़ा जाय । यह भी बहुत अनिवार्य रोड है । उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बंधे से सामरेड़ माथाखला रायसर होता हुआ प्रतापगढ़ का रास्ता है, वह भी बहुत आवश्यक है । इसके अलावा में एक बहुत बड़े रूट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जयपुर से सवाई माधोपुर को जो जमवा रामगढ़ होता हुआ रास्ता जाता है उस रास्ते पर कई बसें आती जाती हैं । उस रास्ते में बीच में एक दो चार मील का टुकड़ा है जो कच्चा पड़ा है, उसकी तरफ भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए । जो गाड़ियां वहां से गुजरती हैं वे टैक्स देती हैं, फिर भी आप उनको सुविधा नहीं देवे, यह बहुत गलत बात है । तो मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कच्चा टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको ठीक करादें तो जनता को सुविधा हो । यह रास्ता राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ नहीं है, पहले की रियासतों के समय से बना हुआ है, लेकिन बीच में आंधी से बीरधा बांध तक चार मील का टुकड़ा कच्चा पड़ता है, उसको पक्का करा देना चाहिए ।

अब मैं सहकारिता के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा . . . .

श्री उपाध्यक्ष : इस डिमांड पर चर्चा हुई थी सदन में ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन गरीब पिछड़े हुए लोगों की सहायता के लिए शुरू किया गया था । अगर पिछड़े लोगों के लिए सहकारिता से फायदा नहीं मिले तो फिर उस सहकारिता से क्या फायदा ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता का जो काम शुरू किया गया था वह गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये या छोटे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये था कि दस बीस आदमियों को इकट्ठा करके कुछ लोन लेकर उनका काम धंधा बढ़ाकर उनको फायदा पहुंचाते या कृषि के लिए जमीन उनको दिलाई जाकर कृषि से उनकी आमदनी बढ़ाते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने समय काफी ले लिया है और आपके दल के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । आपके दल को केवल चालीस मिनट का समय दिया हुआ है ।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय . .

श्री उपाध्यक्ष : अभी समाप्त नहीं किया है इन्होंने ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सहकारिता से जो कृषि के लिए बढ़ावा दिया गया था कि सहकारिता के आधार पर इनको जमीनें दी जायं और ये सब मिल कर जमीन जोतें, मिलजुल कर कृषि करें तो पैदावार ज्यादा हो लेकिन इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ । सहकारिता को चाहे उद्योगों के लिहाज से ले लीजिए, चाहे कृषि योग्य भूमि को ले लीजिए, उन्हीं लोगों को लाभ मिला है जिनको हम बड़े किसान कहते हैं या सवर्ण जाति के लोग हैं । तो, उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कृषि फार्म का हवाला मैंने दिया और कृषि फार्म के अलावा दूसरे जो फार्म हैं उन्हीं बड़े लोगों के बनाये हुए हैं । आज राजस्थान नहर में भी यही पोजीशन है । जो मिनिस्टर्स हैं उनके भाई भतीजे ही कृषि सहकारी संस्थाएं खोलकर उनकी लाखों की जमीनों को अपने अन्डर म लेने की कोशिश कर रहे हैं । किसी संदर्भ में भी पिछड़े लोगों को किसी भी प्रकार का सहकारिता से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ।

लघु उद्योग राजस्थान में एक संस्था है । लघु उद्योग सि, मैं जहां तक समझता हूं, राज्य सरकार ने किसी प्रकार का लाभ इनको नहीं दिया है । इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम है, वह भी हजारों रुपये वितरण करता है लेकिन पिछड़े वर्ग को नहीं देता है, उन्हीं लोगों को देता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं । राजस्थान लघु उद्योग से उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाता है जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं । पिछड़ी जाति को कोई राहत नहीं मिलती । अभी कल परसों एक जवाब में यह आया था कि इतने कर्जे की रकम रखी है लेकिन राज्य सरकार यह नहीं बताती है कि पिछड़ी जाति के कितने लोगों को कितना कर्जा दिया गया है । क्यों नहीं बताती है क्योंकि यहां पूछने वाले बैठे हैं कि पिछड़े वर्गों के पैसे को पिछड़े वर्ग में क्यों नहीं दिया ? करीब 3 करोड़ रुपया तीन सालों में दो-चार उद्योगपतियों को दिया है । मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो सहकारिता के बारे में राज्य सरकार की नीति है वह कतई गलत है ।

मैं जहां तक समझता हूं राजस्थान लघु उद्योग और राजस्थान वित्त निगम से छोटे लोगों को कर्जा मिलना चाहिए ।

आज भी मैं समझता हूं राजस्थान में काला धन ज्यादा है । बड़ेबड़ लोग इस कृषि के जरिये उसको वाइट करना चाहते ह । मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि अगर छोटे लोगों को कर्जा नहीं देंगे तो हालत नहीं सुधरेगी।

इसके अलावा मैंने भूमि निर्धारण के बारे में भी निवेदन किया था । ये जो फार्म बनाये जाते हैं और जितने बड़े बड़े फार्म हैं वे सब बड़े बड़े लोगों के पास उनके कब्जे में हैं । मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान नहर की जमीन के बारे में दिया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि राजस्व विभाग की डिमान्ड हो उस दिन उठाना, मंत्री महोदय उसका जवाब दे देंगे, लेकिन समयाभाव के कारण मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया ।

राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख एकड़ भूमि पिछले वर्ष शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए सुरक्षित कर दी गई और जबकि आज भारतवर्ष की प्रधान मंत्री यह कह कर चलती

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

है कि मुझे उधर जाना है जिधर किसी की निगाह नहीं गई। अब उस एक लाख एकड़ भूमि में से भी केवल 40 हजार एकड़ भूमि इन लोगों के लिए रखी है। राजस्थान सरकार पहले यह कहती थी कि जो आन्दोलन चलाया गया है वह बड़े लोगों का है छोटे लोगों का नहीं है। छोटी कौमों के लिए 1 लाख एकड़ जमीन रखी जिसमें से 40 हजार एकड़ भूमि ही रखदी गई क्या सरकार की यह न्यायसंगत नीति है? देने की हां की और उसमें कटौती कर देना यह कहां तक न्यायसंगत है? तो मैं भूमि के बारे में यही निवेदन करना चाहता था कि उसमें कटौती न हो।

दूसरी बात गांधी शताब्दी वर्ष में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भूमि देने की राज्य सरकार की नीति है। मैं जहां तक समझता हूं वह नीति कार्य रूप में परिणत होने वाली नहीं है और वह कार्य-रूप में इसलिए परिणत होने वाली नहीं है कि आज जो भी सरपंच हैं वह बड़ी कौमों के हैं और वह नहीं चाहते कि इन लोगों को जमीन दिलाई जाये और कुछ जमीन पर तो वही काबिज हैं, कुछ पर उनके रिश्तेदार काबिज है और कुछ उनको वोट मिलते हैं वह काबिज हैं। बहुत ही कम तादाद में उनको जमीन मिलेगी। पहले तो जमीन है ही नहीं और अगर है भी तो सरपंच सहयोग नहीं देते और अगर सरपंच सहयोग देता है तो तहसीलदार नहीं देता। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि इस पर भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि यह तबका भी थोड़ा बहुत अपनी रोजी रोटी का हिसाब बना सके। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता था। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह भूमि अलॉट की जा रही है यह भी मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत है। राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि हम भूमि उन्हीं को देंगे जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होंगे। जैसलमेर में मैं जहां तक समझता हूं टोंक के जागीरदार को भूमि अलॉट कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार खुद नियम बनाये और उसके अन्तर्गत काम नहीं करें तो यह कहां तक न्यायसंगत बात है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इनको भूमि देना चाहती है तो सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए, राज्य सरकार को ऐसे आदेश निकालने चाहिए कि जितनी भी भूमि सवाई चक की है वह सारी भूमि इसी वर्ष में सरकार एक बिस्वा भी अपने पास नहीं रखे और सब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में वितरण कर दे तब तो मैं समझूंगा कि सरकार की सही नीति है नहीं तो मैं समझूंगा कि तहसीलदार जो ढिलाई बरतते हैं वह इसीलिए बरतते हैं कि इन लोगों को भूमि नहीं दी जाये। इसके अलावा भूमि बहुत कम है। मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने वन मंत्रीजी से प्रश्न भी किया था कि जितनी भी भूमि कृषि योग्य है वह भूमि वन विभाग के काम में नहीं आ रही है और बेकार पड़ी हुई है और न उसमें प्लान्टेशन किया जा रहा है और बेकार में ही कह देते हैं कि प्लान्टेशन करने वाले हैं। तो इसको भी सरकार को देखना है कि वह भूमि बेकार पड़ी है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भूमि से महरूम हैं इसलिए उस वन विभाग की भूमि को कन्वर्ट करके सवाई चक में लाया जाये और जितने भी लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको वह दी जाये। इस गांधी शताब्दी वर्ष में एक जाट का सबूत

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

मैं निवेदन करूंगा कि करीब 5 लाख एकड़ भूमि पर जिन बड़ी जाति वालों ने कब्जा कर रखा था उसको आप रेगुलेराइज करते जा रहे है और उधर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम लेते जा रहे है। तो यह राज्य सरकार की सही नीति नहीं है।

समाज कल्याण विभाग के बारे में भी निवेदन करूंगा कि न तो मुझे डिबेट में भाग लेने का समय मिला न अब मिला। राज्य सरकार इस विभाग के द्वारा इन पिछड़े हुए लोगों का विकास करना चाहती है। सन् 1969-70 में, उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने खर्च किया समाज कल्याण विभाग के ऊपर उससे कम इस वर्ष करने जा रही है। राज्य सरकार कहती है कि हम उदारता से इनका विकास करेंगे और बजट में कटौती करती जाती है तो यह राज्य सरकार की बहुत ही गलत नीति है। उपाध्यक्ष महोदय, जल वितरण के लिए और बिजली वितरण के लिए राज्य सरकार ने कहा है कि यही विभाग खर्च करेगा। होना तो यह चाहिए था कि जिस कस्बे में या गांव में बिजली लगे तो पूरे ही कस्बे या गांव में लगे। यह कहां का अन्याय है कि पिछड़े हुए लोगों के मोहल्लों में बिजली नहीं है और दूसरों को बिजली दे दी जाती है। पिछड़े हुए इलाकों में पानी उपलब्ध नहीं कराते और दूसरी जगह पानी उपलब्ध करा देते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की नीति ही गलत है। और जब बजट अधिवेशन आता है तो राज्य सरकार कहती है कि हम बिजली लगायेंगे, हम पानी के नल लगायेंगे और इसका प्रावधान समाज कल्याण विभाग से करते हैं। तो इस छोटे से बजट में से ही खर्च करायें तो मैं कहना चाहता था कि यह बजट कम नहीं किया जावे और ज्यादा पैसा दिया जाये। बजट में ज्यादा प्रावधान किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति भी पूरी नहीं मिल पाती इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि छात्रवृत्ति पूरी दी जाये।

इसके अलावा आज ही मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और वह स्थगन प्रस्ताव जोधपुर के हरिजनों के बारे में दिया था। मैं समझता था कि यह जो छूआछूत है यह शहरों से तो बिलकुल हट सी गई होगी। गांवों में यह 95 परसेन्ट अब भी मौजूद है लेकिन इस तरह का काण्ड देखने से पता चलता है जैसे जोधपुर शहर में हरिजन नल पर चढ़ गये और सवर्ण लोगों को उकसा कर मारपीट करवाई। तो शहरों में भी ऐसा अन्याय होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आज भी ऐसा होना संभव है? इससे देश का वातावरण क्या बनता है, देश में किस तरह की परिस्थिति पैदा होती है इसके बारे में सरकार को सोचना है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि जो छूआछूत का मामला है इसका कड़ाई से पालन किया जाये तो दूसरी जगह यह पोजीशन नहीं आये बाकी राज्य सरकार ने नियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन उसका मैं जहां तक समझता हूं एक प्रतिशत भी पालन नहीं होता। किसी भी आदमी को इस कानून के तहत जुर्म में शामिल नहीं किया। लोकतन्त्र के बारे में यह खाली नियम बनाने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि लोकतन्त्र वाली बात में शास्त्रों वाली बात लागू करना चाहते हैं तो कीजिये। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मनुस्मृति में और भगवद्गीता में इस तरह के शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं कि इन लोगों के कानों में तेल डलवा दिया जाय

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

अगर शास्त्र सुनें तो। कई बातों को मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता था और इसलिये निवेदन करना चाहता था कि डागा साहब ने एक उदाहरण दिया था कुत्तों का। राजाओं के जमाने का उदाहरण दिया था। इसलिये मैं उदाहरण देना चाहता था। मनुस्मृति में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं ब्रह्माजी ने शूद्रों की उत्पत्ति उनके पैर से बताई है इसलिये इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। इस तरह का वातावरण वहां पर बताया है। भगवदगीता में भी इसी तरह से बताया है श्री कृष्ण ने शूद्रों को पापी व्यक्ति बताया है।

श्री भगवानदास शास्त्री: ऐसा नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: मैं आपको बताऊं भगवद्गीता का पैरा (व्यवधान) तो इस तरह की कई बातें हैं। अगर शास्त्रों में त्रुटियां हैं...

श्री भगवानदास शास्त्री: बिल्कुल गलत अर्थ निकाल रहे हैं। वहां पर एक शरीर के चार खण्ड किये गये....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री। जिस प्रकार से पैरों पर शरीर का भार है वैसे ही इन पर सारे देश का भार है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: [XXX]

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपन्ज्ड ।

श्री मोहनलाल मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर...

श्री शंकरलाल: वापिस लेना चाहिये। धर्म शास्त्रों के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी: इनको शास्त्रों के बारे में कहे गये शब्द वापस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक्सपन्ज करा दिया, माननीय सदस्य।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि आप स्वतन्त्र दल के समय का पूरा उपयोग कर चुके है इसलिये कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया: मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्षजी, जो लोग यह कहते हैं कि धर्म पर प्रहार हो रहा है तो मैं इसको बिलकुल गलत समझता हूं। धर्म के जो भी शास्त्र बनाये गये हैं उनमें शूद्रों को घृणा से ही देखा गया है।इसलिये वे पिछड़े लोगों के लिए तो कुए में डालने के लिए ही बनाये गये हैं। जो धर्म के लिए कहते हैं तो फिर हमें क्यों साथ में बैठाते हैं, हमें निकाल दें। यहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं अगर धर्म पर चलते हैं तो....

श्री मोहनलाल मोदी: लेकिन आपको अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: आपको पैसे का घमण्ड है...

श्री मोहनलाल मोदी: गलत तरीके से मत कहिये। हरेक आदमी को अपना अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द हटाये गये ।

Page No 90

श्री शंकरलाल : ये एप्रोप्रियेशन बिल की आलोचना कर रहे हैं या शास्त्रों की आलोचना कर रहे हैं?

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह आलोचना गलत नहीं है। सही बात से आपको दर्द होता है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण जल्द समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन कौमों का विकास करना चाहते हैं तो जो पुराने शास्त्र हैं उनको बिलकुल खत्म करदें, उनको जला दें बिलकुल...

श्री भगवानदास शास्त्री : देश के द्रोही और विघटनकारी शूद्रों के लिए कहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो शास्त्र व्यक्ति को व्यक्ति से घृणा करना सिखाते हैं उन शास्त्रों को जला देना चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : शास्त्रों में कहीं भी व्यक्ति को व्यक्ति से घृणा करने की बात नहीं है। आपका अध्ययन नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो देश पर प्रहार करता है चाहे वह किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो तो वह भी निन्दनीय माना गया है। शूद्रों को नहीं माना है।

श्री शंकरलाल : ये समझ नहीं पाये हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता.........

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को यहीं समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अगर इस देश का विकास करना है तो मैं जहां तक समझता हूं आप अगर इन पिछड़े लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा। ठीक है, आप शास्त्रों को रख लें। आपको दर्द है तो उनको रख लें और उन पर चलें। बाकी मैं यह निवेदन करना चाहता था कि देश का वातावरण किस तरह का चल रहा है। मैं बंगाल का हवाला देना चाहता हूं। बंगाल में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने पिछड़े हुए लोगों के लिए जो संविधान में उनको संरक्षण दिया हुआ था वह संरक्षण उनको नहीं दिया। अगर उनको संरक्षण दिया होता तो वे कम्युनिस्टों के साथ नहीं होते। कम्युनिस्ट होने के नाते देश का वातावरण गलत बना है। वे भूखे लोग थे और कम्युनिस्टों ने उनको बहकाया कि हमारे साथ में आजाओ। इस तरह से देश का वातावरण खराब होता है। तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता था कि जो गरीब तबका है, पिछड़ा हुआ तबका है उसका विकास नहीं करेंगे और इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी तो इस देश में जहां तक मैं समझता हूं ताकत नहीं आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा..

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य आप समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं और मैं यह भी निवेदन करना चाहता था ट्यूबवैल के बारे में। मैंने पहले भी निवेदन किया था मेरे इलाके में ट्यूबवैल के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात की चर्चा इस सदन में उठा चुके हैं इस सत्र में तो उनको दुबारा न उठायें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हरेक पंचायत समिति में जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर एक एक ट्यूबवेल खोद दिये जायं तो सिंचाई के लिए दूसरे लोग अग्रसर होंगे और ट्यूबवेल खोदेंगे और उससे उत्पादन का मामला बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज आपने काफी समय ले लिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो तथ्य रखे हैं इन तथ्यों के बारे में निवेदन करते हुए एक तथ्य और रख देना चाहता हूं, यह मुझे याद आगया है। यहां पर कहा गया है कि गरीब तबके के लिए, अनाज मंहगा कर देते हैं और किसान वर्ग सस्ता बेचता है। जो भी सरकार नियन्त्रित मूल्यों पर चीजों के भावों का नियन्त्रण करना चाहती है तो सही मूल्यों पर नियन्त्रण करे ताकि बारहों महीने सही भाव रहें। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता था कि जो किसान हैं वे तो फसल का जो अनाज है वह बेचेंगे ही, क्योंकि उनको खाद और बीज सभी प्रकार का पैसा अदा करना है। इसलिये वह बाजार में लाकर बेचेगा और उसका अनाज सस्ता बिकेगा यही कारण है कि फसल पर अनाज की कीमत बड़ी ही कम हो जाती है। उस समय बड़े उपभोक्ता खरीद लेते हैं लेकिन गरीब तबका इकट्ठा अनाज नहीं खरीद सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब तबकों को 12 महीने ही एक सरीखी और समान रेट पर सामान उपलब्ध हो, अनाज उपलब्ध हो इससे किसानों का भी हित होगा।

श्री उपाध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

जनसंघ दल और स्वतन्त्र दल ने तो पूरे समय का उपयोग कर लिया है। सरकार का उत्तर साढ़े चार बजे दिया जाना प्रारम्भ होगा। इसलिये आप अपने भाषणों को थोड़ा सीमित रखें, क्योंकि आपके दल (कांग्रेस दल) के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अब श्री रावतराम।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं आया है सूची में।

श्री शंकरलाल : हमारे लोगों को समय देना चाहिये।

श्री रावतराम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर आज सदन में बहस हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो आज दृष्टिकोण है आज की लोकप्रिय सरकार का वह हम इस तरह का दृष्टिकोण मानकर चलते हैं कि हम लोकतान्त्रिक समाजवाद की व्यवस्था करें। और उसी हिसाब से हमारे बजट की रूपरेखा बननी चाहिए। हमारा यह दृष्टिकोण रहना चाहिये कि देश में उन गरीबों लोगों को और पिछड़े लोगों को कहां तक हम मदद करते हैं। हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण यह बनना जरूरी होता है।

इस बजट को देखने के बाद हमें कोई खास ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे हम आज राजस्थान में उन अकाल पीड़ित इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई विशेष व्यवस्था या लाभ पहुंचाने की स्थिति में आज हैं इसलिये यह कहना पड़ता है कि हम इस बात पर पुनः विचार करें कि जो हमने आज समाजवादी समाज रचना का नारा दिया है उस नारे में हमारी कितनी आस्था है? हमारी

(श्री रावतराम)

निष्ठा है उस बारे में ? यदि हम निष्ठापूर्वक यह बात सोच कर चलें कि जितना हम कहते हैं उसमें से यदि हम पचास प्रतिशत भी पूरा करें तो भी हमें एक गुंजाइश नजर आती है। लेकिन आज हमारे कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। इस फर्क को हमें मिटाना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वह समय आ गया है कि इस देश के लोग और खास तौर से राजस्थान के भूखे लोग इस बात को महसूस करने लग गये हैं, इस बात को फील करने लग गये हैं कि आज हमें क्या करना चाहिये और किस तरह की आज हमारी आर्थिक हालत है ? जो दिन पर दिन हमारी आर्थिक हालत कमजोर होती जा रही है उस हालत में कैसे सुधार हो ? इसको सुधारने के उपाय किस तरह से किये जा सकते हैं ? इस बात को आज लोग महसूस करते हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि इन सारी बातों पर सरकार विचार करे, न कि इस तरह करे कि केवल कागजों में समाजवाद की रूपरेखा ज्यादा दिखाये या समाजवाद के ज्यादा ढोल पीटे । अब यह दिन नहीं रह गया है, अब काम करने का समय आ गया है। इसलिये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उन सबका यह फर्ज है कि राजस्थान के निर्माण के लिये राजस्थान में गरीब व्यक्ति हैं, राजस्थान के जो लोग अभाव और अभियोग से पीड़ित हैं उन सबको उस हालत से उबारने के लिए सबसे पहले प्रयत्न हो । और इसलिए सरकार को इस तरह की योजना बनानी चाहिये जिससे जो लोग खास तौर से बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, जो राजस्थान में बैकवर्ड इलाके हैं उन लोगों का विकास करने में ज्यादा कामयाबी मिल सके।

आज तक जो काम हुआ है उसको देखने से, बजट को देखने से गवर्नमेंट जो आंकड़े देती है और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है उन सबको देखने से यह जाहिर होता है कि सरकार बराबर की तरह राजस्थान के सारे इलाकों में, खास तौर से डेजर्ट इलाकों में पापुलेशन फैली हुई है उनको समान अधिकार व समान सुविधायें मिलनी चाहिए वह सुविधायें नहीं दे पाई है। सरकार की यह नीति जो लोगों में भेद और असमानता पैदा करती है उसको दूर करना चाहिये, वह भेद किसी तरह का हो, चाहे पीने के पानी की समस्या को लेकर हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे रोड्स के मामले में हो, चाहे दूसरे दूसरे तरीके के हों इन सारी चीजों पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। आज जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जिसमें ज्यादा चेतना है, जो ज्यादा समझदार हैं जो अपनी एप्रोच ऊपर तक रखते हैं केवल उन्हीं के इलाके तक सरकार के सारे प्रयत्न सीमित रहते हैं और उनके अन्दर जो प्रोग्रेस होती है उसको सरकार सारे राजस्थान के अन्दर हुई प्रोग्रेस बता देती है कि फलां इलाके में यह किया है, फलां इलाके में यह किया है। इससे काम नहीं चलने वाला है ।

मेरा निवेदन है कि इस सरकार को समुचित रूप से, योजनाबद्ध रूप से विकास की रूप रेखा बनानी चाहिये और समान रूप से सबका विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए । आयन्दा बजट बनाते समय, इस सदन में बजट पेशकरते समय फाइनेन्स मिनिस्टर को और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान रखना चाहिए ।

(श्री रावतराम)

मैं अकाल के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द कहना चाहूंगा । हमारे राजस्थान में, खास तौर से कुछ जिलों में जैसे जोधपुर, बीकानेर, चरू, नागौर, सीकर वगैरह जो डेजर्ट एरिया हैं इनमें आये साल अकाल पड़ता है । पिछले वर्ष हुए अकाल राहत कार्यों को देखा जाय और पूरी तरह से हिसाब लगाया जाय तो आज तक राजस्थान सरकार इन अकाल राहत कार्यों पर अकाल से लोगों को बचाने के लिये मेरे ख्याल से करीब तीन अरब रुपया खर्च कर चुकी है । इसका ताजा उदाहरण हमारे सामने है, गत साल का अकाल और इस साल जो अकाल है इन दोनों अकालों में राजस्थान सरकार, जो आयन्दा अकाल राहत कार्य करेगी, उसको मिलाकर करीब एक अरब रुपया खर्च करेगी।

मेरा यह कहना है, हम इस बात को मानते हैं कि तत्काल जो अकालग्रस्त लोगों को सुविधायें दी जा सकती हैं वह दी जायं । इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका था कि हम काम काज चालू करके लोगों को रिलीफ दें, मजदूरी दें लेकिन हमारा एक अनुभव है और सरकार को मेरे ख्याल में उस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए था कि जितना पैसा अकाल से लोगों को बचाने के लिए खर्च किया है, अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया है यह पैसा सारा का सारा खर्चा अब तक व्यर्थ गया है, इससे जो बेनिफिट मिला है, जितना संतोष मिला है वह केवल इतना है कि अकाल से लोगों को बचा लिया है । इसके अलावा जो ठोस बेनिफिट मिलना चाहिए, ठोस रिजल्ट मिलने चाहिए थे वह ठोस रिजल्ट आज तक नहीं मिल पाये है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ठोस रिजल्ट लेने के लिये हमको भविष्य के लिए खास तौर से ऐसी योजना हाथ में लेनी पड़ेगी, जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें ऐसी योजनायें बनानी पड़ेगी जो स्थाई हों, इस तरह के काम हाथ में लेने पड़ेंगे जो कि स्थाई तौर पर ऐसे इलाकों में आबाद लोग हैं उनको आगे फायदा देते रहेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, अब ऐसा समय आ गया है कि आज से, जो पैसा अकाल के कामों में खर्च किया जाय उसको स्थाई योजना बना कर खर्च करना चाहिये । हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बार तो कम से कम सरकार इस पर विचार करेगी, इसे महसूस करेगी और पिछले अनुभवों से लाभ उठायेगी और जो भी पैसा अकाल राहत कार्यों में खर्च होगा उस पैसे का उचित लाभ आयन्दा राजस्थान की जनता को, गांव के अंदर रहने वाले किसानों को मिल सके इस दृष्टि से स्थाई योजना बना कर उस पैसे को खर्च करेगी, लेकिन अभी तक ऐसी बात इस बजट से सामने नहीं आई है, केवल भू-संरक्षण और एक दो छोटे मोटे कामों के अलावा कोई ठोस योजना इस तरह की सामने नहीं आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन इलाकों का जिक्र करना चाहता हूं, जैसे चूरू, जैसलमेर, बीकानेर के इस तरह के इलाके हैं जिनमें पीने के पानी की कमी है, जहां आवागमन के कोई साधन नहीं हैं, दूसरे साधन नहीं हैं, इर्रिगेशन के साधन नहीं हैं। और जहां ऐसी हालत हो गई है क्योंकि पिछले दो तीन साल से बराबर वहां अकाल पड़ते आये हैं, इन अकालों के कारण जो वहां के बाशिन्दे हैं, जो किसान हैं उनकी आर्थिक हालत इतनी गिर चुकी है कि उनकी हालत अगले साल खेती करने के लायक नहीं रही है, उनके पशु तक नहीं बचे हैं, जितना उनका पशुधन था वह चारे के अभाव में, पानी के अभाव

(श्री रावतराम)

में आज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। इसलिये सरकार को उनकी ओर देखना चाहिए और उन इलाकों के लोगों को हर तरह की सुविधा देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आने वाले सालों में भी वहां अकाल पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वहां वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी होने की वजह से आये साल अकाल पड़ते रहते हैं। हम कितना ही सोचें विचारें हम बीस साल से यह देखते रहे हैं कि हमारा इलाका अकाल से मुक्त होगा लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा, लगातार अकाल पड़ते जायेंगे और लोगों की आर्थिक हालत पहले से ज्यादा खराब होगी तो या तो वहां के लोग उस इलाके को छोड़ देंगे, छोड़ कर दूसरी जगह चले जायेंगे या अगर वहीं रहेंगे तो भूख से अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे, अपनी औलाद को नहीं बचा सकेंगे। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि उस इलाके के लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाये, इस तरह की योजना बनाये जिससे गरीब और किसान लोग हैं उनके पैर वहां जम सकें। इसके लिए सबसे बड़ा काम यह होगा कि उस इलाके के लिए सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहे नहर से करें, चाहे बाहर से पानी लाकर करें, चाहे जमीन से पानी निकाल कर करें-लेकिन वहां सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां पर किसानों के पैर जम नहीं सकेंगे क्योंकि वहां पर और कोई धन्धा नहीं है कोई वहां पर इन्डस्ट्री है। अब गवर्नमेंट कहती है ऐसे इलाकों के लोगों को, जो जर्ट एरिया में रहते हैं, पशुपालन का धन्धा करना चाहिये। मैं मानता हूं कि पशुपालन का सबसे अच्छा धन्धा है और यह वहां पर सफल हो सकता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि पशुपालन का धन्धा भी वहीं हो सकता हे जहां पानी तो हो कम से कम पशुओं के पीने के लिए, इसके अलावा जमीन तो हो, चरागाह तो हो। आज यह हालत है कि इतनी पापुलेशन गांवों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि जिन लोगों के पास जमीन सरप्लस समझते थे, हम महसूस करते थे कि लोगों के पास बहुत जमीन है, और उससे उनका पशुपालन का धन्धा आराम से चल जायगा, अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पापूलेशन बढ़ी है, गांवों में जन संख्या बढ़ी है जिसके कारण जमीन टुकड़े टुकड़े होती चली जा रही है। मैं चूरू के लिए कहता हूं कि आम परिवार के पास पचास बीघा भी जमीन नहीं है। गांवों में दस बीस परिवार ऐसेहोंगे जिनके पास सौ, डेढ़ सौ बीघा जमीन हो, नहीं तो आम परिवार के पास में पचास साठ बीघा जमीन भी नहीं है वह भी जमीन ऐसी है कि जिसके अन्दर दस सेर, बीस सेर एक बीघा में अनाज होता है इससे ज्यादा अनाज देने वाली वहां जमीन नहीं है। इसलिये मेरा कहने का मतलब यह है कि उन इलाकों को अकाल से बचाना चाहते हैं किसी तरह से किसानों को वहां आबाद रखना चाहते हैं तो किसानों के लिए सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था होगी, पानी खेतों में आयेगा तो खेतों में अनाज ज्यादा पैदा होगा और उसके साथ ही पशुपालन का धन्धा भी आराम से चल लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि अकाल-ग्रस्त इलाकों में जो इतना पैसा अनाप शनाप अकाल से लोगों को बचाने के लिए खर्च

(श्री रावतराम)

कर रहे हैं, इसको बन्द करके जो दूसरे उत्पादक कार्य हों उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

(3 म० प०)

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी निवेदन किया है कि इस इलाके में कृषि को सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता मिलनी चाहिये, खेती का धंधा ही वहां हो सकता है और कोई धंधा वहां है नहीं इसलिये खेती के लिये ही वहां लोगों को सहायता देनी चाहिये। और हर तरह से खेती के धंधे को आगे बढ़ाने के लिये वहां पर व्यवस्था की जानी चाहिये। एनिमल हस्बेन्डरी से आप उस इलाके को महरूम रखना चाहते हैं और उद्योग धंधे वहां नहीं पनप सकते यह कह कर आप उस इलाके को बिजली आदि की सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं मैं आपकी इस दलील को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस तरह से तो आप वहां के लोगों के साथ बड़ा अन्याय करेंगे। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि वहां आपको अच्छी अच्छी योजनाएं हाथमें लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिनके कि ठोस परिणाम निकलें। लेकिन इस बजट को देखने से पता चलता है कि इस बजट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था उस क्षेत्र के के लिये नहीं की गई है। अनाज की उपज बढ़ेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। आज हमारे देश में अनाज की कमी रहती है उसकी पूर्ति के लिये हम अमेरिका से अनाज मंगवाते हैं। बीस साल से शासन के बाद, आजादी के बाद, हमारे देश में डेमोक्रेसी को चलाने के बाद भी हम अनाज का इन्तजाम नहीं कर सके और अमेरिका से अनाज मंगवाते हैं, यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है। हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये हम एक इस प्रकार का प्रोग्राम बनायें कि इस प्रकार की व्यवस्था हम सब इलाकों में कृषि उपज को बढ़ाने के लिये करेंगे। अगर हम अमेरिका से अनाज मंगवाते रहे और हमने हमारे देश में ही अनाज की उपज को नहीं बढ़ाया तो यह एक दिन हमारे देश के लिये बड़ा घातक सिद्ध होगा।

समाज कल्याण मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा। हमारा डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया में दूर दूर गांव बसे हुए हैं, वहां पर शिडयूल्ड कास्ट्स की बहुत पोपुलेशन है। लगातार अकाल पड़ते रहने के कारण वहां शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों की बड़ी बुरी हालत हो गई है। गुजारे के लिये किसी प्रकार के साधन, रोजगार के लिये काम धंधा नहीं है। वे लोग आज अपने गांव छोड़ छोड़ कर दूसरे इलाकों में, दूसरे गांवों में अपना पेट भरने के लिये जाते हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप उन लोगों का बहुत भला करेंगे, उनके संबंध में आप कम से कम यह पता तो लगाइये कि उनकी माली हालत आज कैसी है। केवल आप यह कह दें कि हमने इन लोगों के लिये छात्रावास खोल दिये, सब्सिडी दे दी, कुए खोदने के लिये जो रुपया लिया कर्ज के रुप में उसका ब्याज माफ कर दिया या उनको लीगल एड दे दी, तो इस तरह से तो इनका काम नहीं चलेगा। यदि आपका डिपार्टमेंट वास्तव में उन लोगों का भला करना चाहता है तो यह करना चाहिये कि उन इलाकों का आप सर्वे करवाइये, शिडयूल्ड कास्ट्स के परिवारों का सर्वे करवाइये कि उनमें से किन किन के पास कितनी कितनी जमीन है, किन किन के पास जमीन नहीं है, उनके लिये वहां क्या धंधा है, उनके गुजारे

(श्री रावतराम)

के लिये वहां क्या साधन है. तभी आपको उनकी वास्तविक हालत का पता चलेगा। केवल आप यह समझ लें कि होस्टल खोल दिये इससे हरिजनों का भला हो जायगा तो इससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसे इलाके जहां उन लोगों के लिये किसी प्रकार का रोजगार नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं, जहां आये दिन अकाल पड़ते रहते हैं, उन इलाकों के लिये एक विशेष कमेटी बैठाई जाय, या एक विशेष कमिशन गठित किया जाय। वह उन इलाकों का दौरा करके सर्वे करके पूरी पूरी जानकारी करे कि किन किन के पास जमीन नहीं है, किन किन के पास रोटी रोजी के साधन नहीं हैं, और उन लोगों को किस प्रकार से साधन मुहैया किये जा सकते हैं, इस प्रकार एक एक परिवार के हिसाब से सर्वे करा कर तथ्य जानने की कोशिश करेंगे तो एक सुदृढ़ आधार बन सकेगा कि इनकी माली हालत को कैसे सुधारा जाय। अन्यथा कुछ नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का अब केवल दो मिनिट का समय बचा है।

श्री रावतराम : मैं दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

इसी तरह से मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की सर्विसेज के सवाल के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। इन लोगों के लिये आपने सर्विसेज में 12½ परसेंट से 28 परसेंट रिजर्वेशन किया है....

(3.05 म० प०)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया, सभानेत्री पदासीन)

समाज कल्याण मंत्रीजी मेरी बात सुनें। जोशीजी कृपा करके मेरी बात सुनें.....

श्री रामकिशन शर्मा : आप इनकी बात सुन रहे हैं या वेदान्त सुन रहे हैं? क्या कहा इन्होंने?

श्री बी० एन० जोशी : जो इन्होंने बातें कही हैं, वह मैंने एक एक नोट की है।

श्री रामकिशन शर्मा : तो बताइये इन्होंने क्या कहा है?

श्री बी० एन० जोशी : इन्होंने कृषि की उन्नति के लिये, शिडयूल्ड कास्टस के परिवारों का सर्वे कराने के लिये कहा है।

श्री दौलतराम सारण : इनका इम्तिहान ले रहे हैं क्या?

श्री रावतराम : मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सर्विसेज दिये जाने के बारे में मैं कह रहा हूं। आपने सर्विसेज में इन लोगों के लिये रिजर्वेशन 12½ परसेंट के स्थान पर 28 परसेंट किया। इसे कागजों में देख कर लोग खुश होते हैं कि हमारे लिये सर्विसेज में 28 परसेंट रिजर्वेशन हो गया है। पर आज हालत क्या है। शिडयूल्ड कास्ट के एम० ए० बी० ए० और ग्रेज्युएट कई बेकार बैठे हैं। आपका सर्विसेज देने का तरीका इस प्रकार का है कि आप इन लोगों के साथ न्याय कर ही नहीं सकते। जो भी आप घोषणा करें उसका आपको पूरा पालन करना चाहिए। आप उसका पालन नहीं करते हैं। 28 परसेंट रिजर्वेशन के स्थान पर आप भले ही 10 परसेंट ही कर दीजिये पर उसका पूरी तरह से पालन करिये। पालन तो आप करते हैं नहीं फिर 100 प्रतिशत भी रिजर्वेशन कर दें तो उससे कोई फरक होने वाला नहीं है। हमारे करेक्टर

(श्री रावतराम)

में यह होना चाहिए कि हरिजनों को रोजगार देने की व्यवस्था करें। इस प्रकार की समुचित और स्ट्रिक्ट व्यवस्था करेंगे तो आप कुछ कर सकेंगे अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपके अलग अलग महकमें हैं, वे अपने अपने तरीके से काम करते हैं, आपकी कौन सुनता है। ये तरीके इस प्रकार के हैं कि उन तरीकों से उनको न्याय नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं, आज पुलिस में सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के एक थानेदार है। 20 साल की आजादी के बाद यह हालत है कि सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्टस का का एक थानेदार है जिसे थाने का इन्चार्ज बना रखा है, बाकी तीन चार हैं, उनको लाइन में पटक रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनिट का आपने पहले भी कहा था।

श्री रावतराम : इन लोगों के साथ न्याय करना चाहिये। सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक थानेदार हो यह कहां तक न्याय की बात है। अच्छे पढ़े लिखे शिड्यूल्ड कास्ट के नोजवान होते हैं उनको तरह तरह के बहाने बना कर निकाल देते हैं किसी को कह देते हैं तुम लंबे नहीं हो किसी को कह देते हैं तुम ठिगने नहीं हो।

मेरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि राजस्थान में यदि देखा जाय तो पिछले 10 सालों में जितनी पुलिस में भर्तियां हुई हैं, उनमें हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है और जो अच्छे शिक्षित व तन्दुरुस्त लड़के हैं।

श्री दौलतराम सारण : छूआछूत बरतते हैं।

(व्यवधान)

श्री रावतराम : मैं डिस्टर्ब होता हूं इस तरह से, इसलिए मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

श्री रावतराम : सीकर में पिछले साल भर्ती हुई। 25 जवान लिए गए, 5-6 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग गए, मैट्रिक पढ़े हुए लेकिन अनपढ लोगों को भर्ती कर लिया और उन सबको निकाल लिया। आपका पुलिस विभाग न्याय नहीं करता। इसी तरह से दूसरे विभाग भी न्याय नहीं कर रहे हैं, चाहे 28 की बात करें चाहे 30 की।

नगरपालिका के बारे में अभी चूरू जिले में छापर में पिछले 5 महीने से हरिजनों की हड़ताल चल रही है, जोशीजी बड़े जोर से घोषणा करते हैं कि भंगियों को कष्ट से मुक्त करके छोड़ेंगे और छापर में जो 32 स्वीपर्स हैं, आज 5 महीने से हड़ताल पर हैं, गंदगी के ढेर पड़े हैं, उनका पैसा पिछला बकाया है। मैं डिटेल्स दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा लेकिन पिछले 5 महीने, गत वर्ष और उससे भी पहले के कुछ एरीयर्स कुछ महंगाई, कुछ मेडिकल, टोटल मिलाकर 70,000) रु० उनको जो बकाया है, उसका फैसला आप नहीं कर रहे हैं। 5 महीने से उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोगों से उधार लेकर खा रहे हैं, उधार वाले उनको पीटते हैं। पिछली बार सदन में भी लगातार 6 महीने से आपके पास तार आ गए, स्वायत शासन मंत्री को पत्र लिखे, उनसे डेपूटेशन भी

(श्री रावतराम)

मिले, सदन में स्थगन प्रस्ताव आए, तारांकित प्रश्न आए, उसके बाद भी छापर नगरपालिका का फैसला आप नहीं करते हो । ये बहुत गरीब आदमी हैं, सारे के सारे भंगी हैं, अगर उनके साथ थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते हो तो आप स्वायत्त शासन मंत्री को लिखें और खास तौर से वित्त विभाग आपके पास है । स्वायत्त शासन विभाग ने आपको लिखा है कि नगरपालिका को लोन दें, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, ई० ओ० बैठा है, जमीनों से आमदनी होनी चाहिए, टैक्स आमदनी होनी चाहिए, वह कहां जाती है, अपनी तनख्वाह ले लेते हैं....

श्रीमती सभानेत्री : समाप्त करें, आपके 25 मिनट हो गए हैं ।

श्री रावतराम : 20 मिनट हुए हैं । मेरे पास घड़ी है ।

श्रीमती सभानेत्री : 2.48 पर आपने बोलना शुरू किया था ।

श्री रावतराम : आप स्वीपर्स को नगर पालिका में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की पोजीशन भी नहीं देते हैं । वह बराबर आपकी सर्विस करते हैं, आप उनको फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की परिभाषा में नहीं लेते हैं, क्यों नहीं उनको परमानेन्ट बनाते हैं । आज कोई चेयरमैन आता है, उनको निकाल देता है, दूसरा चेयरमैन आता है वह उनको निकाल देता है और अपने आदमियों को रख लेता है । फिर प्रशासक आता है, अगर उनकी अच्छी सेवा नहीं होती है तो उनको निकाल देता है । यह उनके साथ अन्याय है । स्वीपर्स को इज्जत देना चाहते हैं तो उनकी नौकरी स्थाई करनी चाहिए । ये बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके साथ आए दिन अन्याय होता है, यह बंद करना चाहिए । छूआछूत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है कि किस तरह से क्या होगा, क्या चलेगा, यहीं छोड़ दिया जाय । जो छूआछूत करने वाले लोग हैं, जिनके दिल में हमदर्दी नहीं है, देश के प्रति वफादार नहीं हैं, केवल अहम् भावना है, वे लोग गिरेंगे । एक समय आएगा उनको हार माननी पड़ेगी लेकिन जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और शिक्षित व समझदार हैं, उनको समझना चाहिए कि यह छूआछूत देश पर कलंक है, उसको मिटाना चाहिए । जल्दी से जल्दी इसको दबायेंगे तो हिंदू समाज व हिंदुस्तान फलेगा फूलेगा और तरक्की करेगा । लेकिन आज सारे दफ्तरों में, बड़ी बड़ी आफिसेज, में, उनका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है उनके सामने शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले जाते हैं तो महसूस करते हैं कि ये शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, उनको फोर्थ क्लास सर्विस में नहीं रखते क्योंकि चपरासी बना देंगे तो उनका खाना कौन बनाएगा, पानी कौन लाएगा । उदाहरण के लिए....

श्रीमती सभानेत्री : दो दो मिनिट करके कब तक समाप्त करेंगे ?

श्री रावतराम : एक मिनट में ।

यह आपका जो लोकल फंड आडिट डिपार्टमेंट है उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं । बीकानेर में आपके इस डिपार्टमेंट का ब्रांच ऑफिस है, उस ऑफिस में द्वारकाप्रसाद नाम का एक ऑडिटर है ।

(श्री रावतराम)

जोशीजी, आप सुनिये । और वहीं पर ही एक और ऑडिटर है गिरीचंद भूपेश नाम का जो कि शिड्यूल्ड कास्ट का है । अब आपका जो द्वारका प्रसाद है वह सवर्ण है । अब क्योंकि गिरीचन्द भूपेश शिड्यूल्ड कास्ट का था तो लगातार छः महीने तक उसको परेशान करते रहे । उनके लिये अलग से घड़ा लगा दिया पानी के लिये, जहां जहां भी आपकी ऑडिट पार्टी चेकिंग के लिये जाती वहां उसके साथ बुरा व्यवहार करते । तो अनपढ़ आदमी से हम क्या कह सकते हैं, जबकि इस तरह से पढ़े लिखे आदमियों का यह हाल है । अगर गांव का अनपढ़ आदमी इस तरह से छुआछूत करता है तो उसके लिये तो हम कह सकते हैं कि उसके पुराने संस्कार हैं और वह पढ़ा लिखा नहीं है । लेकिन पढ़े लिखे आदमी जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिनको मालूम है कि यह गलत काम है, यह उचित काम नहीं है, वह भी इस तरह से व्यवहार करे और वह भी अपने बराबर के साथी के साथ जो भी उसी की तरह ऑडिटर है, उसके साथ भेदभाव करे, यह कहां तक ठीक है ? उस बेचारे ने आपको चिट्ठिया लिखी, निवेदन किया लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री रावतराम : तो मैं आपसे यह निवेदन, करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे पढ़े लिखे आदमी जो राज्य सरकार में हैं, वे जब भेद-भाव करते हैं तो उनके खिलाफ तो आपको ऐक्शन लेना ही चाहिये । जो आदमी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हैं और जानते हैं कि छुआछूत करना अपराध है, फिर भी करते हैं तो ऐसे आदमियों के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये । गांव वालों के लिये तो हम कह सकते हैं कि वे पुराने संस्कारों में पड़े हुए हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है ।

एक माननीय सदस्य : आदरणीय सभानेत्रीजी ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभानेत्री महोदया, जिस देश में कर वंचना दो सौ तीन सौ करोड़ की होती हो, उस मुल्क की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाती हो, वह कैसे कामयाब रह सकता है जहां 200 से 300 करोड़ रुपये की कर की चोरी होती हो । 526 करोड़ इन्कम टैक्स के बकाया हैं, और एक सौ से छः सौ करोड़ तक का हमारे यहां तस्कर का व्यापार होता है अफीम का, सोने का, और एक हजार से तीन हजार करोड़ तक का काला धन है । आज भी दस अरब से लेकर तीस अरब तक का काला धन है । जिस देश के अन्दर, 100 से 200 करोड़ की कर वंचना हो, जहां 500 से 600 करोड़ का तस्कर व्यापार होता हो, जहां दस अरब से लेकर 30 अरब तक का काला धन हो और जहां 500 करोड़ रुपये इन्कम टैक्स की बकाया हो, जहां इन्कम टैक्स देने वाले केवल 23 लाख आदमी हों, और जहां एक करोड़ आदमी विलासिता में पलते हों, ऐसे मुल्क के अन्दर कैसे हम अपनी लड़खड़ाती हुई आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, यह हमको सोचना पड़ेगा ।

Page No 100

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके बस की बात ही नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कोई ऐसी बात नहीं है जो बस की नहीं हो। हमने बंगाल में भी फेस किया है। हमारे हाथ में सब ताकत है, लेकिन हमारी उदारता को अगर आप दुर्बलता समझते हो तो यह आपकी भूल है।

सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, जो आंकड़े हमने देखे हैं, उनका मतलब होता है कि हमारी आमदनी 1951-52 में 17 करोड़ और 23 लाख थी और वह आज बढ़कर एक अरब और 88 करोड़ हो गई है। इतने सालों के अन्दर 1.88 अरब हो जाने के बाद भी हमारी आज हालत क्या है? हम अगर आंकड़े देखें तो मालूम पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबसे हमारी प्रगति कम हुई है। मैं वह आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् 1951 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 232) रु०, आज राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वह है 375) रु०। तो मैं यह समझ नहीं सका कि आज प्रति-व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। दूसरी स्टेट्स को लीजिये। हालांकि इतना समय नहीं है कि कितना रेवेन्यू एक्स्पेन्डीचर करने के बाद उनकी प्रति व्यक्ति कितनी आय बढ़ी है यह बता सकूं। फिर भी महाराष्ट्र को लीजिये पहले 267) रु० थी और आज आमदनी प्रति व्यक्ति 518) रु० है। 251) रु० ज्यादा बढ़ी है और हमारे यहां पर 109) रु० बढ़ा है। मद्रास को ले लीजिये। 485) रु० आज है औ 230) रु० पहले थी। 255) रु० प्रति व्यक्ति आय बढ़ गयी। मध्यप्रदेश को लीजिये 171) रुपया बढ़ी है। मैसूर को लीजिये 164) रु० बढ़ गयी है। बड़ी बड़ी स्टेट्स को ले रहा हूं। इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि जिस हिसाब से हमारे यहां रेवेन्यू एक्स्पेन्डीचर बढ़ा है उसके हिसाब से दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारी आमदनी घटी है। बढ़ी नहीं है। यह आंकड़े साबित करते हैं। कितना ही काम करलें तोप अच्छी हो, बन्दूक अच्छी हो लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ आदमी भी तो ठीक होना चाहिये। प्रशासन हमारी नीतियों के अनुसार नहीं चलता है तो वह बाधक ही है साधक नहीं। जो हमारी नीतियों के अनुकूल नहीं चलता है, समाजवाद की नीतियों के अनुकूल नहीं चलता हैं तो वह साधक नहीं हो सकता है। जो सेक्रटरीज के पद हैं उन पर पार्टीज के आदमी होने चाहिये। जब तक हमारी पार्टीज के आदमी शासन में नहीं बैठते हैं तब तक हमारी भावनायें और इच्छायें पूरी नहीं हो सकती। 22 साल के शासन-काल में हमारी आर्थिक स्थिति लड़खड़ाती हो, गरीब ज्यादा गरीब हो गया, धनवान ज्यादा धनवान हो गया। बातों से काम नहीं चलेगा जब तक नीतियों को अमली रूप नहीं दिया जावेगा यह सुधार नहीं हो सकता और जनता को उठाया नहीं जा सकता ऊपर।

आपकी सेवा में जो आंकड़े बताने की कोशिश की हम लोग देखेंगे कि वह कहां कैसे बढ़े हैं। हम लोगों में असंतोष ज्यादा है और इतना ज्यादा असंतोष है। मजदूरों की हालत को लीजिये। हमारे देश में मजदूरों की हालत कितनी सुधरी है

(श्री मूलचन्द डागा)

बोनस के माने में जो आंकड़े होते हैं, मिलों के जो आंकड़े होते हैं उनकी कौन जांच करता है ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जांच कर लेते हैं मिलें मुनाफा कमाती हैं । सेठों की दौलत बढ़ती जाती है और उनके आंकड़े की जांच यदि सरकार के व्यक्ति करते हों तो मजदूरों को बोनस ज्यादा मिल सकता है । लेकिन मजदूरों को बोनस नहीं मिलता है और इससे मजदूरों की हालत और गिरती जाती है । राजस्थान में जितनी मिलें हैं उनका बोनस देने का यह तरीका है कि उनके हिसाबात की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स करते हैं और आप उनकी रिपोर्ट को मान लेते हैं जो स्वयम् मिलों के नौकर हैं । यदि आप सही रूप में मजदूरों को बोनस देना चाहते हैं तो हिसाबात की जांच कराने में मजदूरों का प्रतिनिधि भी होना चाहिये । मजदूरों का नुमाइन्दा होना चाहिये और सरकारी कर्मचारी भी होना चाहिये । तो हम मजदूरों को सही बोनस प्राप्त करवा सकते हैं । पाली के महाराजा श्री उम्मेद मिल्स को ही ले लीजिये । मजदूरों के मकानात हैं उनकी क्या हालत है ? शादीशुदा व्यक्ति तो उन मकानात में रह ही नहीं सकता है । इतने गंदे मकान हैं । फ्लश की लेट्रिन्स नहीं हैं और सैकड़ों हजारों मजदूर उस जाली में रहते हैं । एक तरफ तो आप दावा करते हैं कि मजदूरों की हालत में सुधार के लिये हम यह कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहना चाहते हैं कि सन् 68 में मजदूरों ने 23 हड़तालें कीं और उसकी वजह से उन मजदूरों को ही 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ । मजदूर अपनी मांग करते हैं तो उल्टा मजदूरों को 2 लाख 68 हजार का नुकसान होता है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : हाउस में कोरम नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : मांग रखने के बाद भी उनको नुकसान होता है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कोरम नहीं है । 16 ही हैं और 18 होने चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : आप घंटी बजा दीजिये ।

(गणपूरक घंटी)

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं यह बता रहा था....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य । समय का ध्यान रख कर ही बोलें । आप कृपया 3॥ बजे समाप्त कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आज्ञा मानूंगा । दो चार मिनिट अधिक हो सकते हैं क्योंकि मजदूरों की बात है । समाजवाद में आप भी विश्वास करती हैं ।

आप कहते हैं कि टैक्स बढ़ायेंगे । विकासशील देशों में हिन्दुस्तान टैक्सों के माने में चरम सीमा तक पहुंच चुका है और दूसरे देशों के मुकाबले में यहां पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं । केपेसिटी के अनुसार सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ चुके हैं । विकासशील देशों में भारत की टैक्स की दरें काफी ऊंची हैं । दस साल के करारोपण वृद्धि में प्रति वर्ष 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता । 1960 की तुलना में

(श्री मूलचन्द डागा)

विकास कितना हुआ, प्रति व्यक्ति आय का अनुपात है उसके मुकाबले में कर-वृद्धि 7.4, जापान में 1.8, लंका में 2.2, फिलीपाइन में 2.4 और हमने वृद्धि कर दी है वह है 12.5 प्रतिशत। प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है वह 1.7 प्रतिशत। टैक्स बढ़ा दिये 12.5 प्रतिशत। जितने भी बाहरी देश हैं उनकी आमदनी के मुकाबले में टैक्स बहुत कम हैं। कहां गड़बड़ है? गड़बड़ है प्रशासन की। हजार रुपया पाने वाले को मेडीकल रिएम्बर्समेन्ट दिया जाता है। मत दो। कारखाना लगाने वाले को बिजली मुफ्त में देते हैं। घाटा खाकर बिजली देना समझ में नहीं आता है। आप तो घाटा खा रहे हैं। मालदार रोज मालदार बन रहे हैं। सब जगह की योजना बना ली और फिर भी बिजली का घाटा खा रहे हैं। जो टैक्स पेयर टैक्स देता है वह घाटा खा रहा है। आप गांवों में राज्य करना चाहते हैं। हजारों लाखों काश्तकारों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। और ऐसा हम लोग समझते हैं, गांवों में हमें वोट मिलते हैं इसलिये इन लोगों पर हमें टैक्स नहीं डालना चाहिये। जिन काश्तकारों की हालत सुधरी है, जिन्होंने सिचाई से फायदा उठाया है, उन पर हमने कोई टैक्स नहीं डाला है और फिर हम उनको बिजली भी मुफ्त देना चाहते हैं। यह हमारा तरीका है। एक हजार तनख्वाह पाने वाले हैं उनको भी आप कहते हैं कि तुम्हारा मेडिकल बिल बनाओ। कहां कहां हम देखें? अगर समाजवाद का तरीका अख्तियार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाजवाद आये, तो मिनिस्टरों को भी एक साधारण मोटर गाड़ी म घूमना चाहिये। लेकिन कौन करें? इस प्रकार के हम कदम नहीं उठाते हैं। एक एक मिनिस्टर मनमौजी के लिये लक्जरी कार में घूमते हैं, मुख्य मंत्री हो, उनको छोड़ दे किन्तु क्या हम चाहते हैं कि लक्जरी कारों में घूमना छोड़ दें? इस पर हम पाबन्दी लगावें और इनकी ऐसा जिन्दगी के लिये हमारे ऊपर 6 लाख का खर्चा डाला जाता है सिर्फ इनके टेलीफोन के बिलों का। तो समाजवाद के लिये जो लोग जागरूक हैं, किसान मजदूर वह इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक असन्तोष की चीज है। आंधी और तूफान कोई एकदम नहीं आ जाते हैं। वे कुछ बातों को लेकर आते हैं और जब आते हैं तो कइयों को ले जाते हैं....

एक माननीय सदस्य: आप और हम सब इस तरह से जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा: हम तो वही रहेंगे। हम तो धरती पर है इसलिये धरती पर ही रहेंगे। हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि जहां जहां भी अनाचार पनपता है उसको आप खतम करो। जहां मिल मालिक है वहां अनाचार पलता है। जब बोनस देने का सवाल आता है, पीछे रह जाते हैं। जो बड़े बड़े आफिसर हैं, 1,000 रुपये से ज्यादा जिनकी तनख्वाहें हैं उनका भी मेडिकल बिल आप रि-एम्बर्स करना चाहते हैं। जिन किसानों ने फायदा उठाया है, उनसे टैक्स आप वसूल नहीं करना चाहते हैं। तो ये प्रश्न है जिसका हल हमे ढूंढना है। एक बहुत बड़ा तबका हमने खो दिया। वह है मुनीम-गुमाश्तों का। क्या इन मुनीम-गुमाश्तों के लिये कोई सुधार हमने किया है? इसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स हैं उनका भी सवाल है। इन लोगों को कौन बोनस देगा? एक घरेलू नौकर है जो उम्र भर काम करता है, मुनीम

(श्री मूलचन्द डागा)

है जो उम्र भर तक सेठ की नौकरी करता है और सेठ लखपति हो जाता है लेकिन उस मुनीम को कोई बोनस नहीं दिया जाता है। एक बात है। आपका शॉप एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। वह लेबर डिपार्टमेंट के नीचे क्यों नहीं रखा गया है ? यह डिपार्टमेंट अलग से क्यों है ? यह लेबर डिपार्टमेंट में होना चाहिये। आज भी गुमाश्ते परेशान हो रहे हैं। दुकानों पर 12 बजे तक काम करते हैं। फिर आपका एक्ट किस बात का है ? इन गुमाश्तों और मुनीमों के लिये कौन प्लीड करेगा ? हमारे पास इन गुमाश्तों और मुनीमों के लिये कोई योजना नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जितना आपका बजट है, आंकड़े जो बने हैं वह एक जाल है। मुझ ऐसा मालूम पड़ता है बिलकुल घाटा ही इसमें है और बिलकुल दिवाला है। सिर्फ बजट को यह रखने का तरीका है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिये ज्यादा नहीं कह सकूंगा। लेकिन अब जो आपका बजट बने उसमें यह बताया जाये कि इतने तालाब बनेंगे, इतने मकान और इतने कुए बनाये जायेंगे इसके पूरे फिगर दीजिये और पूरा डेटा दीजिये, और यह भी बताइये कि इतने आदमियों को रोजगार मिलेगा और कुओं का पैसा होगा, वह कौन से गांवों को मिलेगा और किनको मिलेगा ? आप उन पर्टिक्यूलर गांवों और आदमियों के नाम दीजिये। इस गांव के इस आदमी को इस बात के लिये पैसा दिया जायेगा, इसको कर्जा दिया जायेगा। इस तरह से बजट के साथ आपकी पूरी प्लान आनी चाहिये तब हम मालूम होगा कि हमने इतना रुपया रख दिया है, खर्च कर दिया है। इस तरह से जो आप योजना रख रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं है। सारा प्लान खर्चे के साथ मालूम होना चाहिये कि हमारा पैसा इस काम के लिये रखा जा रहा है और फलां काम इस साल म हो जायेगा और काम के लिये इंजीनियर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिये और काम में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कुआं ढह जाता है तो उनके लिये उनसे पूछा जाय या उनको नौकरी से निकलवा दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी योजनाओं में हमारा धन खर्च कर दिया जाता है लेकिन इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? कोई नहीं है चाहे सड़क की सड़क गायब हो जाये, कुआं ढह जाये कोई जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती है। इसलिये जो धनराशि निर्माण पर खर्च हो उसके लिये इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया जाये तब हमारा काम आगे बढ़ सकेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानंद अग्रवाल। मैं यह निवेदन करूंगी कि समय का ध्यान रखेंगे।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : मैं समय का ध्यान रखूगां परन्तु मैं डिमाण्ड्स पर इसलिये नहीं बोला हूं कि मुझे एप्रोप्रियशन बिल पर काफी टाइम दिया जायेगा।

श्रीमती सभानेत्री : और भी सदस्यों ो भावनाओं की कद्र करनी होगी।

श्री रामानंद अग्रवाल : सभानेत्रीजी, एप्रोप्रियेशन बिल पर हम विचार कर रहे हैं। हमारा जो बजट बनाने का, विभिन्न मदों में रुपया खर्च करने का जो तरीका है, मैं समझता हूं कि यह भयंकर त्रुटियों से भरा हुआ है और वही बुनियादी गलती हम

(श्री रामानंद अग्रवाल)

पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें हम मौलिक परिवर्तन करें। यदि हम पिछले सारे प्लान पीरियड को देखें राजस्थान में तो तीन विशेष दिशाएं आपको अपने खर्चे की मिलेंगी। एक तो यह कि हमारा बजट, हमारा प्लान सिटीज पर ज्यादा रहा है और उसमें भी विशेष तौर पर जो पहले बड़ी स्टेट थी, बड़ी राजधानियां थी, जो डिविजनल हैड क्वार्टर्स थे उन सिटीज की ओर, उन सिटीज के सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट को हमने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। इसके साथ उन जिलों को या उन क्षेत्रों के जिनके कुछ नेचुरल साधन थे और विशेष तौर पर इस नेचुरल साधन होने के कारण भारी योजनाएं लाजमी तौर पर उस क्षेत्र में होनी चाहिये थीं, परन्तु हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन सिंचाई योजनाओं में, कुछ सीमित क्षेत्रों में खर्च होता है जिसने हमारे बजट के सन्तुलन को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है। तीसरा, जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं जिन इलाकों को हम प्रायोरिटी देकर उसको दूसरे इलाकों से कुछ सबस्टेंशियल और एड देकर जैसा कि केन्द्रीय सरकार का बजट होता है, केन्द्रीय सरकार के बजट के अंदर 175 करोड़ रुपया पिछड़ी हुई स्टेट को विशेष सहायता के रूप में रखा है। हम ठीक इसके विपरीत हैं। और राजस्थान में इन पिछड़े हुए इलाकों को विशेष सहायता देना तो दूर रहा उनको विशेष सहायता देने के बजाय उनको विशेष रूप से हम मेलाइन करते हैं। उन पर विशेष तौर से जो सामान्य पैसा उन पर खर्च होना चाहिये उससे भी कम हम करते हैं।

सभानेत्री जी, पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े जो हमारे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किये हैं जिलेवार उनको ग्रुप करके जो यह इम्बैलेंस क्रियेट हुआ है मैं इसको रीजनएवल इम्बैलेन्स नहीं कह सकता और न मैं ऐसा मानता हूं वह इस रूप में है। पहला है उदयपुर डिविजन इसके अलावा चार जिले जहां हमारी सिंचाई योजनाएं हैं। चम्बल, भाखरा या राजस्थान कैनाल-नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से इन जिलों में ये योजनाएं होना लाजिमी था लेकिन चार जिले गंगानगर, बीकानेर, कोटा और बूंदी वैसे जैसलमेर भी इसमें शामिल कर दिया गया है और जैसलमेर तक राजस्थान नहर पता नहीं पहुंचेगी भी या नहीं यह अभी विवादास्पद है लेकिन इस पर हमने अपने बजट का 38 प्रतिशत खर्चा किया है। इन वर्षों में 451 करोड़ और 84 लाख रुपया हम 38 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं जो सारे जिले की पॉपुलेशन है उस पर खर्च कर रहे हैं पॉपुलेशन 14 पर्सेन्ट है और इस पर खर्च 38 पर्सेन्ट कर रहे हैं।

दूसरा ग्रुप है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर ये सारे सिटीज इनके इर्द गिर्द बसे गांवों में जिनकी जनसंख्या 36 प्रतिशत है इन पर 31 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसमें वह खर्चा भी शामिल किया गया स्टेट हैडक्वार्टर का खर्चा है, क्योंकि तमाम आफिसेज जिले के हैडक्वार्टर पर ही मिलेंगे। 26 प्रतिशत पॉपुलेशन पर 31 पर्सेन्ट खर्च कर रहे हैं। इसका एरिया 18।। पर्सेन्ट है। इसके मुकाबले तीसरा ग्रुप है जो राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका है बाड़मेर, जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनू ये सारे आठ जिले हैं। इनकी जनसंख्या 27।। पर्सेन्ट है। इनका क्षेत्रफल 30।। पर्सेन्ट है। इस पर हम केवल बारह पर्सेन्ट खर्च कर रहे हैं। इन क्षेत्र की योजनाओं पर 52 से लेकर 69 तक केवल 12 पर्सेन्ट ही खर्च कर रहे हैं।

(श्री रामानंद अग्रवाल)

इसके अलावा बाकी 9 जिले हैं अलवर भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। यह 32।। प्रतिशत आबादी का क्षेत्र है और इस पर 19 पर्सेन्ट खर्च कर रहे हैं।

पहले ग्रुप का पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर 608.50 है। दूसरे ग्रुप का जिसमें बड़े शहर हैं पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर 270 रुपया आता है। तीसरा राजस्थान का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिस पर हम 100.50 खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से चौथे ग्रुप पर 128रु० पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर आता है।

सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया है। लोग इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि हमारा मरुप्रदेश नाम का अलग प्रान्त बनना चाहिये। मैं समझता हूं, यह अक्लमन्दी नहीं होगी। मैं इसका समर्थन करने वाला नहीं। अलग मरुप्रदेश वित्तीय साधनों से बिल्कुल अप्रर्याप्त होगा इसके कारण वह विकास भी नहीं कर पायेगा। यह हमारे सोचने का काम है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा में रहने वाले लोगों को इन भाइयों की फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिये। आज इन लोगों में इस प्रकार की भावनाओं के पैदा होने का क्या कारण है? मैं समझता हूं किसी भी वजह से उनकी यह भावना हुई है वह नावाजिब है। इसमें कौनसा जस्टिफिकेशन है जहां पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर 210 रु० होता है, 210 रुपया प्रति व्यक्ति एवरेज है। चाहिये तो यह था सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमारे मुख्य मंत्री लड़ते इस बात के लिये जैसे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, मैसूर के मुख्य मंत्री ने इस बात का विरोध किया कि जो 175 करोड़ रुपया स्पेशल एड का रखा गया है वह नहीं रखा जाना चाहिये। हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वे अपने इन्कम के जरिये अपने पिछड़ेपन को दूर करें। हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है इस आधार पर हमारे मुख्य मंत्री को सेन्टर से मदद के लिये प्रयत्न करना चाहिये। आज मदद मिलती है जालोर के नाम से। पिछड़ा हुआ बाड़मेर है लेकिन खर्च वह कहीं और जगह होता है। इस तरह से दूसरी जगह बड़े बड़े शहरों में इस तरीके से खर्च होते हैं इससे इम्बेलेन्स क्रिएट होता है और वहां के लोगों में असन्तोष की भावना पैदा होती है। इस तरह से जो यह अन-डेमोक्रेटिक प्लानिंग हो रहा है इसके भयंकर नतीजे निकल रहे हैं।

मैं समझता हूं इन शहरों को आप देखेंगे अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन जिलों के अंदर आप ब्रेक अप करें शहरों पर कितना खर्चा हुआ और गांवों पर कितना खर्चा हुआ, तो आपको पता चलेगा कि बल्क एक्सपेण्डीचर इन चारों शहरों में ही हुआ होगा। और जो इनके आसपास गांव हैं उन पर थोड़ा खर्च हुआ होगा। इस तरह से जो इम्बेलेन्स क्रिएट आप करते जा रहे हैं यही आपका बाईस वर्षों का प्लानिंग रहा है। इसी ने यह सीरियस सिच्युएशन क्रिएट की है।

इसके लिये हमें दो तीन कदम उठाने चाहियें लाजिमी तौर से। हमारा जो रेकरिंग डेफीसिट है रेवेन्यू का आखिर उसका इलाज क्या है। मकान बेचकर, खाली जमीन को नीलाम करके आप कब तक अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक रख पायेंगे। आखिरकार इसका नतीजा यह होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा।

यही स्थिति है हमारे लेन्स की

Page No 106

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और ब्याज की। आज जरूरत है इस बात की कि हमें सारे राजस्थान को एक दृष्टि से देखना चाहिये। पार्टीबाजी के आधार पर हमें सोचना छोड़ देना चाहिये। आज हमें राजस्थान कैनाल को हिन्दुस्तान की एक कैनाल मानकर चलना चाहिये यह नेशनल प्रोजेक्ट है। यह केवल राजस्थानियों के लिये ही आवश्यक नहीं सारे देश के लिये आवश्यक है। इसका फायदा सारे देश को मिलेगा यह डिफेन्स प्रोजेक्ट है। इसलिये हम सबको मिलकर केन्द्र से कहना चाहियें कि इसको केन्द्रीय सरकार मन्जूरी दे। आज के पोलिटिकल वातावरण के अन्दर यह मुमकिन हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया इस मत की है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट माना जाय, पी० एस० पी०, एस० एस० पी०, सी० पी० एम० इस बात के लिये कमिटेड हैं कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट माना जाय केवल कांग्रेस कमिटेड नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस बात के लिये तैयार हों, हमारी नेशनल पार्टीज हमारे प्रतिनिधि जो केन्द्र के अन्दर बैठते हैं इस बात को सपोर्ट करेंगे कि राजस्थान कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट माना जाना चाहिये। और इस पर जो भी खर्चा हुआ है वह सब केन्द्र बरदाश्त करे। इसके बिना हमारा बजट बेलेन्स नहीं हो सकता।

आज लोगों की यह धारणा बन गई है राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं होगा सबका विकास रुका रहेगा। राजस्थान कैनाल अन्य जिलों की कीमत पर बन रही है। मैं कहना चाहता हूं हमें इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। आसाम रिफाइनरी के लिये सारे मिल कर लड़ सकते हैं। मैसूर के अधिकारों के लिये वहां के सदस्य लड़ सकते हैं। तामिलनाडू सेलम में स्टील प्लान्ट के लिये असर डाल सकते हैं तो क्या राजस्थान के सभी लोग सभी पार्टीज के लोग यह प्रेस नहीं कर सकते कि राजस्थान कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाना चाहिये। इसका प्लान सीलिंग बढ़ाकर इसको नेशनल बजट के अन्दर शामिल किया जाना चाहिये।

इसके अलावा हमें अपने बजट के अन्दर भी जो असन्तुलन दिखाई देता है उसी के आधार पर ये नतीजा हमारे सामने आया है। यह हमारी सरकार की आज तक की नीतियों के कारण आया है। यही कारण है कि राजस्थान में ऐसे भी जिले हैं जिनकी पर केपिटा इनकम केवल 100 रुपया है। इन जिलों को प्राथमिकता देकर, इनको विशेष सहायता देकर बजट के अन्दर बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि जहां की इनकम 100 रुपया पर केपिटा आई है उसके अन्दर वह भी राशि शामिल है जो अकाल सहायता के नाम पर राजस्थान को मिलती है। अगर उसको निकाल दिया जाय तो क्या रहेगा? थोड़ी सी राशि रह जायगी। आज किसी के शरीर के एक अंग में पेरेलेसिस हो जाय तो उसके साथ सारा शरीर नहीं चल सकता उसको ठीक करने की आवश्यकता होगी। इसी दृष्टिकोण से चौथी योजना के बारे में विचार किया जाना चाहिये। इसी लाइट में हमें आगे के बजट्स को देखना चाहिये।

दूसरी बात, सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम इतने भारी डेफीसिट में चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी जो प्रशासनिक नीतियां हैं जिनके कारण बहुत सी ऐसी आमदनियां हो सकती हैं, या

Page No 107

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऐसे खर्चे जो नहीं होने चाहिये, उनको अपनी प्रशासनिक गलतियां, भूल या जान बूझकर किन्हीं को फायदा देने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिनसे राज्य को भारी नुकसान होता है।

जागीर एबोलिशन हुआ, बिस्वेदार एबोलिशन हुआ। यह आम बात है कि उनकी तहत प्रोविजन थे और जिनमें लूप होल्स थे, जमीन एक्वायर की गई और अगर वह किसी जागीरदार की खुदकाश्त में थी वह तो मान ली गई बाकी सरकार की हो गई। इसमें लोगों ने बेईमानी कर के रेकार्ड बदलवाये हैं। अपनी खुदकाश्त में लिखवाया है और फिर नीलाम करके पैसा बटोरा है।

सभानेत्रीजी, जयपुर के इर्द गिर्द ऐसे माफीदार थे, जागीरदार थे जिन्होंने रेकार्ड चेन्ज करवाकर उनके रेकार्ड को भी फेब्रीकेट करवा कर खुदकाश्त जमीन बनवाली और उमा वजा ले लिया और इस तरह सरकारी एक्सचेकर को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर, एक ही मिसाल रखना चाहूंगा यह जो गांधीनगर बसा है यह पहले भोजपुर गांव के नाम से जमीन थी। पुरानी जयपुर स्टेट में इस जमीन में कुछ माफीदार थे और कुछ लोगों को माफीदार की तरफ से स्टेट इन्तजाम करती थी और ठेके पर कुछ लोगों को जमीनें दी थीं। उन ठेकेदारों ने अपने कागजात में तब्दिली करवाकर ओरिजिनल पट्टे में कुछ और लिखा है, क्लेम कुछ और किया है, और वे खुद मालिक बन गये जबकि मालिक वे नहीं थे। वह जमीन एक्वायर करके सरकार ने अलाट कर दिया पर मालिक जो नहीं थे उन्होंने गलत तरीके से उस चीज को करके जमीनों की कीमत ले ली।

सभानेत्रीजी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : थोड़ा सा समय और रह गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रीमती पद्मावती देवी, धर्मपत्नी प्रद्युम्नजी के बारे में एक आर्डर सेक्रेटेरियट से श्री ब्रह्मदत्त जी ने जो रेवेन्यू विभाग के डिप्टी सेक्रेट्री होंगे, 19 नवम्बर, 51 को जारी किया गया था वह ऑर्डर इस प्रकार है :– "नम्बर एफ 5 (228) रेवेन्यू (2) 51

"As the claim of Shrimati Padmavati Devi to the amount of compensation for the land acquired by the Government does not relate to the land which is under her occupation or which was allotted to her, I am directed to say that the amount of Rs. 80,000 on account of compensation may be given to the grantee of thikana. As regards garden and 15 bighas of land I am further directed to ask you that Shrimati Padmavati Devi may continue to enjoy the income derived out of them as she has been doing hitherto."

यह जमीन जिसके केवल ये इजारेदार थे, मालिक की हैसियत से कम्पेन्सेशन क्लेम किया और मेरी जानकारी है यह सारा ब्रह्मदत्त जी ने ऑर्डर निकाल दिया एज डाइरेक्टेड बट ही वाज नेवर डाइरेक्टेड। फाइल में सरकार का कोई डिसीजन नहीं है। मिनिस्टर का कोई डिसीजन नहीं है, न सिग्नेचर है। वैसे ही सेक्रेट्री ने अपनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ से उस जमीन को जिनके ये मालिक नहीं थे उसको 80 हजार का मुआवजा कायम करके ठिकाने के नाम करवा दिया और उनके कब्जे में 15 बीघा जमीन छोड़ दी। इस पर सन् 64 में इस आर्डर के बेसिस पर वह 80 हजार रुपया उनको पेमेन्ट हो गया। तीन बार उस जमीन का पेमेन्ट दो लोगों ने और ले लिया। इस तरह से करीब 1॥ लाख का घोटाला इस जमीन के बारे में हुआ है। मैं चाहूंगा सरकार इसकी पूरी जांच करे। मेरी जानकारी के अनुसार, बहुत रिलायबिल सोर्स से कह सकता हूं कि यह जो ऑर्डर पढ़कर सुनाया है इसमें सरकार की कोई सेंक्शन नहीं है और जितना भी मनी का डिसबर्समेंट हुआ है या क्लेम किया है जिनके आज भी अदालतों में केस चल रहे हैं इस डाकूमेन्ट को बेस बनाकर चल रहे हैं। इस डाकुमेन्ट को बेसिक डाकुमेन्ट मान कर तमाम डिसीजन लिये जाते रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से कितनी ही जगह जमीनों का डिसबर्समेन्ट हुआ। सवाई माधोपुर में मैं गया। वहां पर 13 एकड़ जमीन साहू जैन को सीमेंट फैक्टरी की गुलाब बाड़ी के नाम से मुफ्त दे दी गई। सरकारी रेट 8 रुपया से 12 रुपया है। अगर दस रुपया एवरेज पर स्क्वायर यार्ड भी गिन लें तो 624 हजार की यह जमीन होती है। पहले मिर्जा इस्माइल रोड पर 1) रु० किराये पर चेम्बर आफ कामर्स को जमीन दे दी थी। इधर साहू जैन को 61 लाख की जमीन मुफ्त में दे दी। उसे अगर नीलाम करते तो मैं कहता हूं कि 150 रुपया गज का भाव आज है और इस हिसाब से तो चालीस पचास लाख की वह जमीन होती। पर अगर गवर्नमेंट रेट भी मानलें तो 61 लाख रुपया फी है। तो इस तरह से यह सरकार अपने रिसोर्सेज को फ्लेटर अवे कर रही है, इन पैसे वाले लोगों के लिये, इन पैसे वालों की पूंजीवादी संस्था चेम्बर आफ कामर्स के लिये। क्या यह ऐसा ही समाजवाद है इनका? क्या इसी तरह से यह सरकार अपनी आर्थिक स्थिरता को दुरुस्त करना चाहती है। राजस्थान की जनता के सामने अपने कारनामों को जस्टिफाई करना चाहती है। हमारे अलवर में, सभानेत्रीजी, एक फर्म है 'लोकोपकारक फार्मेसी' नाम से। वह अचार मुरब्बा बनाती है। स्टेशन के पास सरकार द्वारा यू० आई० टी० द्वारा एक्वायर की गई और अचार मुरब्बा के नाम पर मिस्त्री वाले कुवे पर की जमीन इसको रिलीज कर दी गई और उस जमीन को इस आदमी द्वारा प्लाट बना बना कर बेची गई। नाजायज तरीके से इस तरह से लोगों को फायदा देते हैं आप और इससे स्टेट के फाइनेन्स का नुकसान होता है।

सभानेत्रीजी, सरकार ने घोषणा की थी कुछ कनवर्शन के रूल्स बनाये उस बाबत, और रेट तै करने के बारे में। पर आज हालत यह है कि लोग नाजायज तरीके से अपने आप कनवर्ट कर रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। सरकार को इस बारे में फर्म होकर निर्णय लेना चाहिये। एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। कनवर्शन का पैसा उस नगरपालिका का हो, या यू० आई० टी० का हो, या सरकार का हो, किसी का हो उसका फायदा कोई इण्डिविजुअल नाजायज तरीके से न उठाए। यह प्रयास होना चाहिये था हमारा। पर आज तो वे सब सस्पेन्शन में पड़े हैं और कोई भी नीति हमारी तै नहीं हो रही है।

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

समानेत्रीजी, अभी जिस तरह से हमारी सरकार की कार्यवाही चलती है अभी एक मामला मेरे सामने राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर का आया। समानेत्रीजी, वहां की जो मैनेजिंग कमेटी में पहले मंत्री थे और अब अध्यक्ष हैं, श्री दुर्गाशंकरजी दुर्गावत और उस कॉलेज की जो प्रिन्सिपल हैं श्रीमती मैनन, उनके खिलाफ 420 और 166 के आई० पी० सी० के तहत केस यहां जयपुर में स्पेशल मजिस्ट्रेटी में चल रहे हैं। बावजूद इसके वहां के स्टूडेण्ट्स में भी इसके प्रति जबरदस्त असन्तोष है। उनके खिलाफ यह पैसा ही गबन करने की शिकायत नहीं थी, 25 हजार रुपया सेन्ट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री का, 150 हजार रुपया यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का गबन करने की शिकायत थी और भी इनके खिलाफ शिकायतें थीं। शिक्षा मन्त्री ने जांच करने का ऑर्डर दिया। ऑडिटर भेजे। जांच हो गई है। ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है। ऑडिट ने उनकी तरफ 21 हजार रुपया तो क्राफ्ट फीस का लड़कियों से वसूल किया हुआ पकड़ा जो उन्होंने महाविद्यालय को कॉलेज को नहीं दिया। प्राइवेट एकाउन्ट में जमा कर लिया था। यह लिखा हुआ पकड़ा गया। 211 हजार रुपया कॉलेज को दान दिया हुआ मिस मैनन के खाते में जमा मिला। यह उनके पर्सनल खाते में जमा मिला। और ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटरों ने साफ लिखा

(4 ब० प०)

है कि यह सीधा सादा गबन है। ये पैसे विद्यार्थियों से, छात्राओं से इकट्ठे किये गये हैं। 69 हजार का गबन उस राजस्थान महिला विद्यालय के अन्दर निकला है। जो क्राफ्ट होबीज के रूप में या और तरीके से छात्रों से वसूल किया गया है। वहां की यह मांग रही है कि जब ये लोग क्रिमिनल हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो इनको मैनेजिंग कमेटी में सर्वे सर्वा क्यों बना रखा है? डिप्टी डायरेक्टर, उदयपुर ने रिकमन्ड कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें और जो डाइरेक्टर हैं उन्होंने यह रिकमन्ड किया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को इस इन्स्टीट्यूशन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए लेकिन फिर पोलिटिकल रीजन्स से, क्योंकि वह उदयपुर है, हमारे मुख्य मंत्रीजी के खास हो सकते हैं, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। तमाम टीचर्स की, तमाम स्टूडेन्ट्स की लाइफ डेन्जर में है। वहां दो बार हड़ताल हो चुकी है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अब भी हमारा एज्युकेशन डिपार्टमेंट अपनी एेड उनको देता है। 90 पर्सेन्ट तनख्वाहें राजस्थान गवर्नमेंट के एज्युकेशन डिपार्टमेंट से मिलती हैं, इस तरह उनके फन्ड से तो 10 पर्सेन्ट भी नहीं मिली हैं। अभी मजबूर होकर मई में हड़ताल पर जाना पड़ा। सितम्बर में भी हड़ताल पर गये। लड़कों ने रिप्रेजेनटेशन दिया, टीचर्स ने रिप्रेजेनटेशन दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आखिर यह क्या एक पवित्र विद्यालय की स्थिति बन गई है। इसी तरह वहां एक सराय है पी० डब्ल्यू० डी० से उसमें सफेदी वगैरह करवा कर दुर्गाशंकर दुर्गावत ने उसको नया मकान का रूप देकर होस्टल दिखा दिया और गवर्नमेंट से डेढ़ लाख रुपया ले लिया। पी० डब्ल्यू० डी० का किराया बाकी है, पी० डी० आर० के तहत नोटिस जारी हो गये हैं। गवर्नमेंट किराये पर और बिल्डिंग ले रही है और वह खाली पड़ी है। उसमें कोई छात्र, छात्रायें रहते नहीं हैं। यह स्थिति आखिर महाविद्यालय की क्यों बनी? अगर आप फाइनेन्स के बारे में सीरियस हैं तो इस तरफ ध्यान दीजिये। उस रिपोर्ट में कहा गया है प्राइमरी की फीस,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हायर सेकण्डरी की फीस जितने स्टूडेन्ट्स हैं उनके हिसाब से फीस में गड़बड़ हुई है—ज्यादा वसूल हुई है और कम दिखाई गई है। इसी तरह टीचर्स के बारे में हो रहा है। मंहगाई भत्ता दे दिया, टिकिट लगाकर रसीद लिखवा ली और एक पैसा नहीं दिया। टीचर्स से स्पेशल क्लासेज लगवाते हैं और कहते हैं टुटोरियल क्लासेज की तनख्वाह दी गई जबकि एक्चुअली टीचर्स को एक पैसा नहीं दिया गया। तमाम झूठे अकाउन्ट बने हुए हैं। सभानेत्रीजी, जो ये मुकदमे चल रहे हैं 420 के और 160 के इस सारे का खर्च इन्स्टीट्यूशन से चल रहा है। इन महानुभाव ने जिस पैसे पर कब्जा किया हुआ है उसमें से खर्च होता है। इस ऑडिट के अन्दर कहा गया है मिस मैनन के नाम जो विद्यालय में पैसे जमा हैं उनका प्राईवेट तरीके से इस्तेमाल होता है, इस ऑडिट नोट में कहा है। मिस मैनन का जो पैसा है वह किसी न किसी रूप में छात्र-छात्राओं का पैसा है और पैसे का पूरा गबन किया है। अगर दूसरे लोग होते इन मिस मैनन और दुर्गाशंकर दुर्गावत के स्थान पर तो उनको हथकड़ियां डाल कर जेल ले जाते, लेकिन आज उसी इन्स्टीट्यूशन में आचार्य बनकर आप कहते हैं डिसिप्लिन नहीं रहता है। स्टुडेन्ट्स और महिलाओं को शिकायत है और आप चाहते हैं कि स्टूडेन्ट्स आपको नमस्कार करें, स्टूडेन्ट्स आपके हाथ जोड़ें और आपके प्रति श्रद्धा रखें उनके प्रति जिनको वे जानते हैं कि इन लोगों ने हम लोगों की फीसें हड़प ली हैं, जिनको वे जानते हैं कि 420 हैं—क्या आप उनसे इज्जत चाहते हैं ? मैं समझता हूं इस तरह की पॉलिसी है अन-डिसिप्लिन क्रियेट करने का कारण है, आपकी पॉलिसी ही प्रोत्साहन देने की है। इनकी वजूहात हैं जिसकी वजह से यह चीज बन रही है।

सभानेत्रीजी, अन्त में श्रम मंत्रालय के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि वे डिसकस नहीं हुई थीं, उसके संबंध में कहना चाहता हूं पहली बात मुख्य मंत्री-जी ने टैक्सटाइल मजदूरों में समझौता और वेज बोर्ड में 3.75 पैसे हर साल बढ़ोतरी मिलेगी यह कहा था, पिछले साल मिल गई अब एक जनवरी से फिर ड्यू हो गई है, वह नहीं मिल रही है। यहां पर मजदूरों ने लड़ झगड़ कर पोद्दार मिल और स्पिनिंग मिल में लिया है लेकिन अभी राज-स्थान में 3.75 पैसे और किसी ने नहीं दिये हैं। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी की जिम्मे-दारी है—हमारे श्रम मंत्रालय ने भी कुछ नहीं किया है। टैक्सटाइल के मजदूरों की जो बढ़ोतरी थी वह फौरन दिलवाई जानी चाहिये।

दूसरी बात म यह निवेदन करना चाहता हूं जो मिनिमम वेज बोर्ड है वह बहुत पुराना हो गया है। मजदूरों की मांग है मिनिमम वेज 125 रुपया होनी चाहिये। उनकी रिवाइज्ड रेट्स ड्यू हो गई हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रिपार्टटाइट कान्फ्रेन्स में रिवाइज्ड रेट की घोषणा करने वाले हैं लेकिन अभी तक घोषित नहीं है। सभानेत्रीजी, आप यह चाहती हैं कि मजदूर हड़ताल करें, आन्दोलन करें और तब आप करेंगे। पुरानी रेट हो गई है, आपको रिवाइज्ड रेट 125 रुपया घोषित करनी चाहिये।

तीसरी बात माथुर कमेटी में डीयर-नैस अलाउन्स किया था वह अभी छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज ने नहीं किया है। श्रम मंत्रालय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार का सोया हुआ है, कान में तेल डाला हुआ है। जो माथुर कमेटी ने सिफारिश की उसको लागू नहीं कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा वह श्रम मंत्रालय को फौरन लागू कराना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ब्यावर में एडवर्ड मिल वन्द पड़ी है। माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने इस बारे में ध्यान आकर्षित किया था। आपने कहा था टैक्सटाइल कारपोरेशन से बात करेंगे, उस सम्बन्ध में क्या हुआ है--यह सूचना मिलनी चाहिये। 1,500 मजदूर बेकार बैठे हैं। इसी प्रकार कृष्णा मिल, ब्यावर में जबरदस्त विक्टिमाईजेशन हो रहा है। वर्क लोड लादा जा रहा है और मजदूरों की छटनी हो रही है। 30 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है जो पुराने नौकर हैं, उनको निकाल दिया है अगर यही स्थिति रही तो असन्तोष बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे इसलिये श्रम मंत्रालय को इस डिसक्रिमनेटरी व्यवहार को खतम करके इसके बारे में कदम उठाना चाहिये। बोनस के बारे में यह कहूंगा प्राइवेट लोग दें या न दें लेकिन हमारा रोडवेज कारपोरेशन जिसके चयरमैन की हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत तारीफ की थी, वे खुद बोनस नहीं दे रहे हैं। खुद सरकार मालिक है और वही सरकार बोनस नहीं दे रही है। रोडवेज के कर्मचारियों को 4 पर्सेन्ट बोनस जो बोनस ऑडिट अवार्ड के तहत लाजमी है वह खुद सरकार नहीं दे रही है। बिजली बोर्ड दे सकता है लेकिन राजस्थान सरकार का रोडवेज उस बोनस को नहीं दे रहा ह। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह बोनस रोड़वेज को दिलवाना चाहिये वरना उसके भयंकर नतीजे होंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बोनस दे देंगे तो मुनाफा कैसे दिखायेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहूंगा कि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी में पिछला अधिवेशन था उस समय हड़ताल हुई। वह 40 दिन की हड़ताल हुई। मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस भेजकर अपने ही तिरंगे झण्डे के मजदूरों पर लकड़ियां चलवाईं और 40 दिन के बाद वह हड़ताल समाप्त हुई। एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेन्ट में यह था कि जल्दी से जल्दी बात करके उसको निपटाया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग तो बोलते नहीं हैं कोई भी। मजदूर आते हैं और कहते हैं कि तिरंगे वालों को क्या सांप सूंघ गया है या सारे जैन कोई जीभ बन्द कर रहे हैं। वह तो बोलेंगे नहीं लेकिन वह कहते हैं कि मैनेजमेन्ट कहता है कि हम बात करने को तैयार ही नहीं हैं, कभी कहते हैं दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहते हैं जयपुर जा रहे हैं। आज कितने दिन हो गए हड़ताल हुए अभी तक कोई नेगोसियेशन चालू नहीं हुए। मैनेजमेन्ट का सीधा सवाल है कि जब तक उनके गुर्गे यूनियन के अध्यक्ष और मंत्री नहीं बन जायेंगे तब तक वह कोई नेगोसियेशन नहीं करेंगे। इसलिए वह सुखाड़ियाजी के जरिये उनकी इच्छा के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी बनें इस बात की इन्तजार वह कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो खुद एग्रीमेन्ट करवाया जिसके वरिष्ठ नेता श्री गुलजारी-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लालजी नन्दा थे जहां पांच हजार मजदूर काम कर रहे हैं वहां आपके एग्रीमेन्ट का यह हाल हैं उसपर कोई अमल नहीं है। मैं समझता हूं आपकी सरकार और आपका श्रम मंत्रालय का जो गठबंधन है साहू जैन से वह साफ साफ प्रकट होता है। अगर सरकार दम्भ भरती है कि हम मजदूरों के हिमायती हैं तो कम से कम सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्टरी के मामले को तुरन्त लेना चाहिए। दो जरनेलिस्ट हमारे जो 'नव ज्योति' में काम करते थे अनूसूया प्रसाद और गुरु याज्ञवल्कय उनको नौकरी से निकाल दिया। उनका मसला 1ा।-2 सा ः से चल रहा है, अभी तक उसे सरकार ट्रिब्यूनल में रेफर नहीं कर सकी। न उसका फैसला किया। मुख्य मंत्रीजी ने टाल दिया। जव पत्रकारों का डेपुटेशन मिला था तो श्रम मंत्री ने कहा था कि वह 15 दिन में तो निपट जाये नहीं तो उसको ट्रिब्यूनल को पेश कर दिया जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं 15 दिन के बजाय उसको 20 दिन हो गये हैं अगर समझौता नहीं हुआ तो उसको फौरन ट्रिब्यूनल में पेश कर देना चाहिए ताकि उनका समझौता हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

नियम 273 के अन्तर्गत अध्यक्षीय व्यवस्था का और स्पष्टीकरण

श्रीमता सभानेत्री : सुबह इस सदन में अध्यक्ष महोदय ने नियम 273 पर अपनी व्यवस्था देने के ि ा कहा था वह व्यवस्था इन्होंने दे दी है जो कि मैं सदन के समक्ष रख देती हूं:–

"नियम 273 के संबंध में आज व्यवस्था का जो प्रश्न श्री यशवन्तसिंह नाहर ने उठाया था उसको स्वीकार करते हुए मैंने अपना आरम्भिक निर्णय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मैंने उस समय यह कहा था कि मैं इस प्रश्न पर अपनी अध्ययनशील व्यवस्था बाद में दूंगा।

मैंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और नियम 273 के अन्तर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए उसका भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। नियम 273 एक साधारण प्रकार का नियम है जो वाद-विवाद की स्पिरिट, उसकी सीमाओं और संयम को कायम रखने की दृष्टि से सदन द्वारा बनाया गया है। इसकी मंशा केवल यही है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक अथवा अपराधारोप स्वरूप आरोप लगाने का विचार रखते हों तो वे उसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी दें जिससे कि मंत्री, उत्तर के प्रयोजन के लिये, विषय की जांच कर सकें।

इस नियम में यह भी प्रावधान दिया गया है कि अध्यक्ष किसी भी समय किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकता है यदि उनकी यह राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है अथवा ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होगा।

इस संबंध में नियम 272 का उल्लेख भी आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि बोलते समय कोई सदस्य किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा और यह कि उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर भी आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित

(श्रीमती सभानेत्री)

रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। इस संदर्भ में यानि नियम 273 को पढ़ा जाये तो यह नियम केवल 272 में वर्णित पालनीय शर्तों की प्रक्रिया तथा वाद-विवाद पर नियन्त्रण तथा उसके स्तर को विनियमित करने की ओर संकेत करता है। और इस प्रकार यह नियम अनुषांगिक स्वरूप (Consequential nature) का कहा जा सकता है।

नियम 273 में शब्द 'व्यक्ति' का जो प्रयोग किया गया है उसके संबंध में मैं पहले ही सदन को यह बता चुका हूं कि शब्द 'व्यक्ति' एक प्रजाति (जीनस) है और सदस्य अथवा मिनिस्टर 'जाति' (इसपेशीज) की परिधि में आते हैं और इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते समय यही समझा जायेगा कि ऐसा संकेत सदस्य अथवा मंत्री के लिए भी है।

यह प्रथम अवसर नहीं है कि आसन द्वारा इस नियम के अनुपालन के लिए कहा जा रहा है। समय समय पर इस सदन में इस पर कई व्यवस्थायें दी गई हैं और विधान सभा सचिवालय द्वारा इस आशय का परिपत्र भी जारी किया गया है कि जब भी व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जायें उनकी अग्रिम सूचना नियमानुसार दी जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थायें संसदीय प्रणाली में स्वस्थ और अनिवार्य मानी गई हैं जिसकी पुष्टि में लोकसभा तथा अन्य विधान सभाओं में दिये गये निर्णयों से मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा चुका हूं।

मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय सदस्यों को सदन में अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वे अपने ढंग से प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं। परन्तु चर्चा एवं आलोचना की कुछ सीमायें नियमों के अन्तर्गत निर्धारित करनी पड़ती हैं और बहस का संचालन करने वाले व्यक्ति को यह देखना होता है कि माननीय सदस्य इन निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। यह बात तो माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे कि अचानक, बिना पूर्व सूचना के, सदन में किसी मंत्री, सदस्य अथवा व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के गम्भीर आरोप या आक्षेप लगा दिये जायें और संबंधित मंत्री उनका निराकरण करने की स्थिति में न हों तो स्वाभाविक है कि समाचार पत्रों में उनके प्रकाशन से बाहर से लोगों में एक गलत धारणा उत्पन्न होगी। यह तो माननीय सदस्य भी पसन्द नहीं करेंगे कि अप्रमाणित तथा असत्य आरोप जिनको वे सिद्ध करने की स्थिति में न हों विधान सभा की कार्यवाही का अंग बनाये जायें।

इस प्रश्न पर हाल ही में गोआ में हुई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेन्स में भी विस्तार से विचार किया गया था और सम्मेलन का अभिमत यही था कि इस विषेयक नियम एवं व्यवस्थाओं का पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए और यदि इनकी अवहेलना होती है तो आसन पर इस पद्धति को रोकने का दायित्व आता है।

देखा यह गया है कि कभी कभी माननीय सदस्य, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं का नाम लेकर आक्षेप करना प्रारम्भ कर देते हैं परन्तु वे अपने भावावेश में यह भूल जाते हैं कि नियमों के अन्तर्गत उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसी स्थिति में तथ्यों के अभाव और पूर्व सूचना के न मिलने पर, ऐसे आक्षेपों का निराकरण ही कठिन नहीं हो जाता बल्कि आसन की स्थिति, तुरन्त ही यह निश्चय

(श्रीमती सभानेत्री)

करने में, बड़ी नाज़ुक हो जाती है कि प्राईमा फेसी इस पर चर्चा करने की स्वीकृति दी जाये अथवा नहीं और इस प्रकार के आरोप लगाने से कौनसा लोकहित सिद्ध हो सकता है।

माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत धारणा किसी के लिए कुछ भी हो उस पर आसन को कुछ नहीं कहना है। आसन को तो इस बात का बराबर ध्यान रखना पड़ता है कि नियमों के अन्तर्गत चर्चा के जो अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं, उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसीलिए समय समय पर इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सदन में जो कुछ कहा जाये वह तथ्यपूर्ण हो, प्रक्रिया के अनुकूल हो और अत्यन्त ही संयम व जिम्मेदारी से कहा जाये। इससे हमारे सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढ़ती है और सामान्य नागरिक की प्रतिक्रिया भी इसी के अनुरूप होती है।

बहस के आवेश में आकर किसी एक बात को केवल एक वातावरण बनाने की दृष्टि से कह देना मेरी राय में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इससे न केवल यह कि हमारे नियमों की अवहेलना ही होती बल्कि ऐसा आक्षेप यदि सिद्ध न हो सके तो सदन की मर्यादा तथा विशेषाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न भी इससे जुड़ सकता है। . .

श्री रामचन्द्र आर्य : ईमानदारी का सर्टीफिकेट जारी कर देना चाहिए जो कि बेईमानी करते हैं उनको और यह व्यवस्था अध्यक्ष को खुद को यहां आकर देनी चाहिए थी। हमें इस पर खास आपत्ति है और हमारे अधिकारों का हनन होता है। हम नहीं चाहते इस तरह से सदन में आरोप लगाये जायें। हमारा अधिकार है इसको नहीं छीना जा सकता। इस तरह से हम पूर्व सूचना दें और उसके बाद सदन में उठायें। यह बिलकुल अनुचित बात है। हमें जो भी उचित बात है उसको सदन में कहने का अधिकार है। मैं इस प्रकार की व्यवस्था पर विरोध करते हुए वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती सभानेत्री :"..... यह सदन कोई जांच कमीशन नहीं है कि जिसमें बहस के सम्पूर्ण तथ्य आने ही चाहिएं, क्योंकि एक चीज जब आरम्भ हो जाती है तो आरोप प्रत्यारोप का एक लम्बा सिलसिला छिड़ जाता है और उनकी कोई अन्त नहीं होता। इससे यदि किसी की हानि होती हैं तो वह सदन की गरिमा और सम्मान की हानि होती है। मैं यहां इस बात को माननीय सदस्यों के गुड सेन्स पर छोड़ता हूं और मुझे विश्वास है कि अगर माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे तो हम इस अशोभनीय स्थिति में जो कमी कमी उत्पन्न हो जाती हैं, बच सकते हैं। इस अवसर पर माननीय सदस्यों से मेरा यही निवेदन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभानेत्री जी, एक व्यवस्था का सवाल है और मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आज इस प्रकार की व्यवस्था देने की आवश्यकत क्यों उत्पन्न हो गई ?

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दूसरा कैसे आयेगा ? डागाजी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आपको इतना भी ज्ञान नहीं है इतने पुराने मेम्बर हो तब भी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूंगा, सभानेत्रीजी अध्यक्षजी आसन पर आजायें तभी....

(4.21 म० प०)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं सभानेत्रीजी के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आपको यह पता नहीं है कि व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। उस वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि इसका और स्पष्टीकरण करके दूसरी व्यवस्था इन्हीं पॉइन्ट्स को विस्तृत करके दे दूंगा।

श्री मदनसिंह : यह अच्छा हुआ कि आप पधार गये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पहले दी जा चुकी है।

श्री मदनसिंह : सभानेत्रीजी....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसका मतलब यह माना जाय कि इस आदेश के अन्दर जिस तरह का आक्षेप किया है उसमें इस तरह भ्रान्ति आती है कि यहां पर सदस्य गैरजिम्मेदार तरीके से बातें लाते हैं। मैं इस बात को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस आसन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस आसन के प्रति पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए निहायत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ... मैं

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ...इस प्रकार की व्यवस्था मैं समझता हूं × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। भाषण अंकित न हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × ×

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल द्वारा बहिर्गमन)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य ने वाक आउट किया है और आपने आदेश दिये हैं कि अंकित नहीं किया जाय, लेकिन जिन माननीय सदस्य ने वाक आउट किया है ये शब्द भी अंकित होंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आना-जाना तो चलता रहता है। बहिर्गमन अंकित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जिस तरह की परम्परा रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस संबंध में कोई बात नहीं होगी व्यवस्था के संबंध में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमको इस बारे में अपने विचार कहने का मौका नहीं मिले तो....

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के बाद नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं तो जिस समय आपने यह व्यवस्था दी है उस समय चर्चा करने का मौका दिया जाता या अब कहने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पर चर्चा नहीं होती, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर यह जो व्यवस्था आपने दी है तो इस पर अमल करायें और हम लोग अमल करायें तो उसके बारे में सभी सदस्य समझें तभी तो अमल हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर कोई चैलेन्ज नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसमें कोई चर्चा नहीं होती है, माननीय सदस्य यही परम्परा इस सदन की रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आखिर उस पर अमल करना है तो उसको समझना तो है। आखिर क्या मतलब है उसका ?

श्री अध्यक्ष : आपने समझ लिया है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था इस संबंध में पहले दी जा चुकी है। अब सभी पॉइंट्स पर व्यवस्था विस्तृत रूप से दे दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समझें तो....

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : नहीं कह सकते इस संबंध में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्पष्टीकरण तो नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। संविधान के अन्तर्गत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट सदस्यों को दिया गया है, मैं समझता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब कैसे हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे संविधान में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्हाट इज दिस एटीट्यूड ऑफ दी चैयर ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिबन्ध नहीं है, कतई नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय जिस तरह से आपने इस इश्यू को उठाया है हमें देख रहे थे यह इश्यू अपने आप नहीं उठा है XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। (श्री रामानन्द के बोलते रहने पर) अंकित न हो।

(श्री रामानन्द बोलते रहे)

ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 117

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य । अंकित न हो ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष......

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कोई तरीका नहीं है । .....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कुछ भी अंकित न हो ।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बोलते रहे लेकिन अध्यक्षीय आदेश से अंकित नहीं किया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : कत्तई नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा लगता है कि उग्र वातावरण तैयार किया जाय और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित कर दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय तो हमेशा निर्धारित होता है उसका विश्वास क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं विश्वास दिलाता हूं कि समय निर्धारित हो गया है । 10 तारीख तक का तो है ही 13 तारीख तक और चलने की सम्भावना है । साजिश का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके द्वारा विश्वास दिया गया है उसमें विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल विश्वास हैं । नियमों के अन्तर्गत दी गई है । (श्री मुकुट-बिहारी लाल गोयल के बोलने पर) माननीय श्री मुकुट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि उपाध्यक्ष की रूलिंग से असन्तुष्ट होकर यह प्रश्चन उठाया है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष......
(कोलाहल में, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री मदनसिंह : जहां तक आपके आदेश का संबंध हैं सदन के सदस्य आपके आदेश

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द. कार्यवाही से निकाले गये व भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदनसिंह)

का पालन करना चाहते हैं। अभी, सभामंत्रीजी ने उसके एक्सप्लेनेशन और उसके संबंध म कुछ और बातें कही थीं उनके संबंध में पूछना चाहता हूं कि कुछ समझ में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग से एक निश्चित परम्परा कायम हो गई तो यह परम्परा चलती रहे....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के बाद माननीय सदस्यों को किसी प्रकार के रूलिंग के विपरीत अपने विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे) कुछ भी अंकित न हो।

(फिर भी कई माननीय सदस्य बोलते रहे) वह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है....

श्री आलम अली : माननीय अध्यक्ष महोदय×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो !

(अध्यक्ष महोदय के आदेश से माननीय आलम अली का भाषण अंकित नहीं किया गया)

ऑर्डर प्लीज ! सिर्फ इसमें 272 और 273-इनका विश्लेषण मात्र है। कहां प्रतिबन्ध है ? मैंने कतई कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। मैंने निवेदन किया है आप नोटिस दे दीजिये, शोर्ट नोटिस दे दीजिये, लेकिन मंत्री महोदय को अवगत करा दीजिये ताकि वह उत्तर दे सकें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हम इसलिये समझ रहे हैं प्रतिबन्ध कि परसों×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! अंकित नहीं हो !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री रोशनलाल शर्मा : फैसला कर लेंगे बाद में।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, बार बार आप कह रहे हैं, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो-ऐसी कौनसी बात है जो अंकित नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि चैलेंज नहीं होगा।

श्री रामकिशन : हम बहुत ही मर्यादित ढंग से, बहुत ही संतुलित ढंग से बोलते

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये व भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशन)

हैं। उस पर भी आप कहते है कि अंकित नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया है कि कोई नई बात नहीं है। जो मैंने रूलिंग पहले दी है उस वक्त मैंने निवेदन किया था, मैं विस्तृत रूप से विश्लेषण देऊंगा। वह मैंने दिया है। कोई नई बात नहीं कही है। माननीय सदस्य, न यह ध्येय है कि माननीय सदस्यों की बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध हो।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचारों पर अपना विश्लेषण करते समय, व्यवस्था करते समय, यह आवश्यक नहीं समझते कि उनकी भावनाओं...

श्री अध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है।

श्री रामकिशन: उनके विचारों को आप सुनते....

श्री अध्यक्ष: आवश्यक नहीं था।

श्री रामकिशन: ताकि इस सदन की मर्यादा कायम रहं सके।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। श्री शंकरलाल।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है...

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य! ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, यह विशेषधिकार का प्रश्न है। जब अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: क्या विशेषधिकारी का प्रश्न है ?

श्री मूलचन्द डागा: तब चेअर को पॉइन्ट आउट करके यह कहें कि कॉन्सप्रेसी करने की कोशिश की गई है। यह विशेषाधिकार का हनन है।

श्री अध्यक्ष: मैं विचार कर लूंगा श्री शंकरलाल !

(शोरगुल : व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता XXX

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! अंकित नहीं हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज! कुछ भी अंकित नहीं हो।

(शोरगुल : व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज! श्री शंकरलाल आरम्भ रखें।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री शंकरलाल। आरम्भ रखें।

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है...

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 120

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : विनम्रता नहीं। स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल : व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया ! ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार खड़ा होता चला आ रहा हूं। यह एक गम्भीर प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है, जिस संदर्भ में व्यवस्था दी है, जो पिछले संदर्भों को आपने बताया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सही बात है, आपने स्पष्टीकरण किया है इससे इस सदन के माननीय सदस्यों के बोलने की स्वतंत्रता पर निश्चित रूप से आघात पहुंचता है। हम इस सदन में इस प्रकार से बहस चलाना चाहते हैं जिससे सदन की मर्यादा रहे, मर्यादित व्यवहार रहे और परम्परा रहे और कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : कोई भी आरोप ऐसा नहीं लगाया है....

श्री अध्यक्ष : कहां है, माननीय सदस्य, वाणी की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध ! मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध नहीं है। बिल्कुल बोलने की स्वतंत्रता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बोलने की स्वतंत्रता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप इसके अंदर की गई व्याख्या को पढ़कर देखेंगे तो ज्ञात होगा, कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता एक प्रार्थना रख रहे है, एक निवेदन कर रहे हैं उनको बोलने की आज्ञा नहीं है XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! श्री शंकरलाल !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर मैं इजाजत नहीं दूंगा।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामकिशन : हम भी इसी तरह चलाते रहेंगे। आप देखिये कि कितने गम्भीर स्वभाव का व्यक्ति इस बात को कह रहा है...

श्री अध्यक्ष : आप गम्भीर हैं। इसके ऊपर मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामकिशन : इस सदन में यह स्थिति है कि आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन जो रूलिंग सुनाई गई है उसमें प्रतिबन्ध लगा दिया है, तो क्या समझकर हम चलें। एक तरफ आपने हमारे बोलने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया है और दूसरी तरफ आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं है प्रतिबन्ध..

श्री अध्यक्ष : मैंने सिर्फ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट। जो रूलिंग दी गई है उसमें लिखा है, किसी दीगर व्यक्ति के खिलाफ भी इस हाउस में बोलें तो उसके बारे में नोटिस दें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी डाकू के खिलाफ भी बोलना चाहें तो उसके लिए पहले माननीय गृह मंत्रीजी को नोटिस दें।

श्री अध्यक्ष : इसमें इस तरह की विशेष स्थिति नहीं है। मैंने इस प्रश्न की व्याख्या इसमें की है। कहीं प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय सदस्यों की वाणी की स्वतंत्रता पर कहीं प्रतिबन्ध नहीं है। जो परम्परायें यहां पर अब तक चलती आई हैं, जो व्यवस्थायें इस सदन में अब तक रही हैं...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस सदन में जो सभानेत्री ने व्यवस्था दी है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

उनकी ओर मैंने संकेत किया है। उसको माननीय सदस्य सारा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रीवियस नोटिस का, जो 273, और 272 के संदर्भ में आवश्यक है, वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है। और कुछ नहीं...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसका मतलब यह है कि मैंने जो परसों के रोज कहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष ने जो परसों के रोज निर्णय दिया था, जब मैंने होम मिनिस्टर के बारे में कुछ कहा था...

श्री अध्यक्ष : वह मैंने, माननीय सदस्य..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या वह आदेश पूर्ण रूप से टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था मैंने पहले दी है उसमें मैंने निवेदन कर दिया और माननीय उपाध्यक्ष के प्रति आदर प्रकट करते हुए मैंने कहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह कोई रिवीजन किया है या अपील सुनी है, या निगरानी की है। हमें भी सुनने का मौका दें XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 122

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! अंकित न किया जाय !

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल का भाषण अंकित नहीं किया गया)

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल के अनवरत बोलते रहने पर) माननीय सदस्य ! अंकित न किया जाय ।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बोलते रहे)

माननीय सदस्य ! मैंने व्यवस्था दी है, इसके बाद कोई विवेचन नहीं होगा। माननीय सदस्य ! श्री शंकरलाल !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो राजस्थान विनियोग विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है और इस विधेयक के द्वारा राजस्थान की संघनित निधि में से 4,18,00,90,000 रुपये के लिए स्वीकृति देने की इस राजस्थान विनियोग विधेयक में बात कही गई है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमें इस सदन में जो बोलने का अधिकार है, उस अधिकार के अन्तर्गत में जानना चाहूंगा।

श्री शंकरलाल : जो इस एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राशि चाही गई है....

श्री अध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया के अनवरत बोलते रहने पर) माननीय सदस्य, काफी हो चुका। अब स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि अंकित न किया जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह हमारे अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। अगर कोई सदस्य ऐसी बात कहें, कोई गलत बात कहें....

श्री अध्यक्ष : माननीय गाडिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। यस ! ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि हमारे यह शब्द.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गाड़िया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय।

भाषण अंकित नहीं करने संबंधी आदेश पर आपत्ति

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दोनों में विशेष अन्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इन नियमों के नियम 297 की ओर दिलाना चाहता हूं और 298 की ओर भी (विराम)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आफ प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस है इसके लिए है :

"**Report of proceedings of House**:—The Secretary shall cause to be prepared a full report of the proceedings of the House at each of its sittings and shall, as soon as, practicable publish it in such form and manner as the Speaker may, from time to time, direct."

"298. **Expunction of words from debates**.--If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

यह इंडिकेशन, रूल 299 में है :

"**Indication in printed debates of expunged proceedings.**—The portion of the proceedings of the House so expunged shall be marked by asterisks and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows:—

"Expunged as ordered by the Chair."

फिर उसके बाद प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिकेशन ऑफ असेम्बली पेपर है।

अध्यक्ष महोदय, इन नियमों के पढ़ने के बाद यह निश्चित बात लगती है जिसके संबंध में, अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि असेम्बली प्रोसीडिंग्स के बारे में इन तीन नियमों के अतिरिक्त कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी हाउस होंगी उसमें जो माननीय सदस्यों को संविधान के अंतर्गत अधिकार बोलने का दिया गया है और बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है That is freedom of expression freedom of speech.

श्री रामनारायण चौधरी : That is not declared.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अन्तर्गत जो विचार रखते हैं, जो भी विचार इस सदन में आयें वह प्रोसीडिंग्स में आने चाहिएं और प्रोसीडिंग्स पब्लिश करनी होगी सेक्रेटरी को। उसमें केवल चार एक्सेप्शन दिये हैं, अगर बाद में अध्यक्ष महोदय यह समझें कि यह डिफेमेट्री है, इन्डिसेन्ट है, अनपार्लियामेन्ट्री है या अनडिगनीफाइड है–और इस प्रकार के कोई शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उन शब्दों को एक्सपंज करने का अधिकार और उस संबंध में एक्सपंज करने का आदेश देने का अधिकार नियम 298 के अंतर्गत अध्यक्ष को दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 299 में यह व्यवस्था की गई है कि ये आदेश आप देंगे कि अमुक अमुक शब्द अनपार्लियामेन्ट्री हैं, अनडिगनिफाइड हैं, डिफेमेट्री हैं, उनको सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश आप दे सकते हैं। आपने इस तरह के आदेश दिये हैं, नीचे अंकित किया जायगा प्रोसीडिंग में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि अध्यक्ष महोदय के आदेश से ये शब्द कार्यवाही से निकाले गये। नियमों के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स को सक्टिटी दी गई हैं। हमारे नियम हैं वे जो हमारा संविधान है, उसके अन्तर्गत बने हुए हैं। संविधान के अंतर्गत बने हुए जो हमारे हाउस के नियम हैं, जिनके तहत कोई माननीय सदस्य बोलें, वह अनडिगनिफाइड, अनपार्लियामेंट्री, इन्डिसेंट, डिफेमेट्री नहीं है, कोई दृष्टिकोण अपना सदन में रखे तो कौनसा नियम है जिसमें अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया गया है कि माननीय सदस्य संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अपने विचार रखना चाहें, उनको अंकित न होने दें कार्यवाही में। इस प्रकार के अधिकार अध्यक्ष महोदय को नियमों में कहीं नहीं दिये गये हैं, ऐसे आदेश नहीं दिये गये है कि माननीय सदस्य बोलें वह अंकित नहीं हो, इस प्रकार के अधिकार अध्यक्ष महोदय को नियमों में नहीं हैं। आपको वही अधिकार है जो संविधान ने नियमों के तहत दिये हैं। जो संविधान द्वारा अधिकार आपको नहीं दिये गये हैं, उस अधिकार को आप अगर लेंगे तो यह अनधिकार चेष्टा होगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 'अंकित नहीं करने के आदेश' कौनसे नियम के अंतर्गत दिये जा सकते हैं ?

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: डिबेट का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सतीशचन्द्रजी ने प्रश्न उठाया वह 297-298 और इसके साथ 307 और जोड़ दिया जाय, रेजिडयुअरी पॉवर्स ऑफ दी स्पीकर, इसमें...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौनसे रूल का ?

श्री अध्यक्ष : इसी का।

मैं अभी कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं इस पर यह सदन की परम्परा है और नियमों के अंतर्गत भी यह है कि व्यवस्था के बाद कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। यह एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल है। कभी कभी जब परम्पराएं सुदृढ हो जाती हैं तो वह नियमों का स्थान ले लेती हैं। प्रश्न जो उठाया गया है वह महत्वपूर्ण अवश्य है। इस सदन की परम्पराएं भी महत्वपूर्ण हैं और यहां व्यवस्थाएं भी जो दी जाती हैं, व न केन्वेस की जाती हैं और न चैलेंज की जाती हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल: कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ होंगी तो चैलेंज करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जब व्यवस्था चैलेंज की गई हो, केन्वेस की गई हो तो उस स्थिति में जो भाषण उसके बाद होते हैं, उनका क्या स्थान होता है, यह भी विचारणीय प्रश्न है।

चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मैं अपना मत, व्यवस्था डेफर करता हूं, इस समय।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): इसके संबंध में आपने व्यवस्था रिजर्व रख ली है, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है.....

श्री अध्यक्ष : डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, रिजर्व रखा है।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी-सु०): एक्सपंज करने के आदेश दे दिये हैं, उनको वापिस लें।

श्री दौलतराम सारण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस आसन को संविधान के विरुद्ध व्यवस्था देने का अधिकार है? संविधान के विरुद्ध व्यवस्था दे दें और माननीय सदस्य महसूस करें तो उसे चैलेंज करने का, स्पष्टीकरण कराने का माननीय सदस्यों को अधिकार है या नहीं?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सतीशचन्द्रजी ने जो आपत्ति उठाई है, उसके संबंध में जो आपका आदेश है, आपने अपनी रूलिंग डेफर की है। माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, उन्होंने जो निवेदन किया, उसके संबंध में, उन्होंने जो कहा उसके सपोर्ट में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। 297 और 298 को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट है कि कोई माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर अगर कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें तो वह उसी समय एक्सपंज नहीं किये जायेंगे, प्रोसीडिंग्स को आप मुलाहिजा करेंगे और आप अगर उन आपत्तिजनक शब्दों के संबंध में यह महसूस करेंगे कि ये एक्सपंज किये जायं तो देखने के बाद आप एक्सपंज करेंगे। 307 ऐसा एम्बिग्युअस प्रोविजन है, उसे स्ट्रेच कर के एप्लाई किया जाय तो उसका स्पेसिफिक इन्टेन्शन है, इसलिये उनको प्राथमिकता दी जाय। हर एक माननीय सदस्य सदन में खड़े हो कर आरोप लगायें, उनको आरोप लगाने का अधिकार है। डिबेट के समय अगर आरोप नहीं लगायेंगे तो डिबेट कैसे चल सकती है? तो उदारतापूर्वक इसका इन्टरप्रिटेशन लिया जाय और माननीय सदस्यों की इस संबंध में उग्रता है, उसके साथ मेरी सहानुभूति है। आपके आदेश सर्वमान्य होंगे, उसके बाद कोई डिबेट नहीं हो सकती, पर 297-298 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है वह ऐसा मसला है कि उस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री शंकरलाल (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न पर हालांकि आपने अपना निर्णय रिजर्व रखा है, पर आपके निर्णय देने के अंदर उसके सन्दर्भ में मैं अपने सुझाव रखूंगा। इसके संबंध में आप रूल 270 पर भी गौर फरमायें:

"When a member rises to speak, his name shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so-called shall be entitled to speak."

अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि कोई आपत्तिजनक शब्द कहे जायं उनको एक्स्पंज करने के संबंध में आदेश और दूसरा है अंकित नहीं किये जाने के आदेश। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार कब है? जब अध्यक्ष आदेश देंगे तभी बोल सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा।

श्री शंकरलाल : अगर कोई माननीय सदस्य आपके आदेश के बिना बोलने के लिये

(श्री शंकरलाल)

खड़े होते हैं और आपके द्वारा उनको न बोलने के आदेश दिये जाने पर भी वे बोलते हैं तो उन माननीय सदस्य का वह बोलना अनपार्लियामेंट्री है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझा हुआ हूं।

श्री शंकरलाल : एक्सपंज करने के आदेश देना दूसरी बात है और आपके द्वारा न बोलने के आदेश देने....

श्री अध्यक्ष : मैं उसको समझ गया हूं।

श्री शंकरलाल : फिर भी बोलें तो अंकित नहीं करने के आदेश दे सकते हैं। एक्सपंज की तो दूसरी बात है....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार ही तब है जब कि आप बोलने के लिए आदेश दें। आपके आदेश के बिना उनको बोलने का अधिकार नहीं है। आपके आदेश के बिना बोलते हैं तो वह अनपार्लियामेंट्री है और उसको अंकित न करने के आप आदेश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह सारी मिसअंडरस्टेंडिंग ऐसे हुई है कि अगर 4 मिनिट पहले आप आ जाते और सभानेत्रीजी एक्स्प्लेनेशन दे रही थीं, उससे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम बोल ही नहीं सकते....

श्री शंकरलाल : नियमों के माफिक बोल सकते हैं, नियमों के विपरीत नहीं बोल सकते

श्री मदनसिंह : मुझे अपनी बात तो कहने दो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बोलिये।

श्री मदनसिंह : सदन में आपके जरिये एक्स्प्लेनेशन हो जाय, सदन यह समझ रहा है कि मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि नियमों के माफिक बोल सकते हैं। नियमों में है कि किसी पर आरोप लगायें तो विधिवत्, विथ फैक्ट्स, विथ प्रूफ्स लगायें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस मिसअंडरस्टेंडिंग को दूर कर दीजिये। सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है वे बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया न कि मैं बाद में व्यवस्था दूंगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : इसके अन्दर अब वाद-विवाद नहीं होगा। माननीय सदस्य और माननीय सदस्या दोनों स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रान्ति है कि मेरी तरफ से सभा का नेतृत्व करते समय आपके द्वारा दी गई व्यवस्था में मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं निवेदन करूं कि मैंने Verbatim जो निर्णय आपके द्वारा दिया गया था उसी को पढ़ा है व मैंने मेरी तरफ से कोई Explanation नहीं दी है। यह गलतफहमी

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

दूर हो जानी चाहिए । सभानेत्री ने कोई बात अपनी तरफ से कही हो ऐसा नहीं है । विरोधी दल के माननीय सदस्य किसी को गाली दिये बगैर बोल ही नहीं सकते । किसी को भला बुरा कहे बगैर भाषण चटपटा नहीं बनता । गाली देने और बुरा भला कहने की आदत सी हो गई है । सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिए इस प्रकार नहीं बोलने दिया जा सकता । जो माननीय सदस्य सुबह मौजूद नहीं थे, उनको पता नहीं कि यह व्यवस्था किस संदर्भ में क्यों दी गई । यदि वे सुबह हाजिर होते तो शायद इस तरह नहीं बोलते ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री मदनसिंह : मैं तो उस समय मौजूद था ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उनका तरीका हो गया है, झगड़ा करने का, गाली देने का, दूसरों को भला बूरा कह कर बोलने का, क्या इस तरह बोलने का संविधान में लिखा हुआ है ? संविधान के अलावा हम बोल नहीं सकते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब किसके लिये है ?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उन माननीय सदस्यों से जो इस पक्ष में बात कहते हैं कि किसी भी मंत्री अथवा सदस्य अथवा व्यक्ति को गाली दी जा सकती है बिना नोटिस दिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप यह समझती हैं कि यहां पर जो माननीय सदस्य बोलते हैं, केवल गाली देते हैं, तो आपका यह बड़ा भारी अहंकार है । आपको अपने पर अहंकार है । हम कभी आपके बारे में गाली देते हैं ? आपके किसी संबंधों के बारे में चर्चा की है ? आप यहां खड़े होकर इस तरह कहती हैं, आपको शर्म नहीं आती है ? आपकी नादानी पर मुझे रहम आता है । (श्रीमती कान्ता कथूरिया के बैठे बैठे बोलने पर) खड़े होकर बोलिए, इतने बड़े नेताओं ने कुछ तो सिखाया होगा । यह कोई तरीका नहीं है कि बैठे बैठे बोलती जाओ । घर की रसोई नहीं है कि बैठे बैठे हाथ मटकाती जाती हो ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता था कि आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी सोसाइटी में रहती हैं....

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष जी, जो कुछ सदन में चर्चा चल रही है, उसमें मैं अपनी राय भी शामिल करना उचित समझता हूं । इस संबंध में दो विवाद खड़े हुए । एक तो कुछ शासक पक्ष के....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में लीगल पोइन्ट्स रख दी जायं । कौनसा रूल साइट करना चाहते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अध्यक्षीय आसन पर बैठने वाले व्यक्ति जो माननीय पीठासन के अधिकारी हैं, उनका दायित्व शांति कायम करना ही नहीं है या तो नार्थ पोल वाले बोलें या साउथ पोल वाले बोलें । अध्यक्षीय आसन अपने आपको असमर्थ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पाता है समय समय पर। अभी अभी माननीय सदस्या ने एक बार नहीं, कितने ही बार बड़े ताव में, जोश में जिस प्रकार की बातें कही हैं केवल छिछोरापन है। इस प्रकार का आचरण असंसदीय है। जो प्रश्न चला उस बारे में आपने एक बात कही। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान रूल 307 रेसीड्युअरी पावर्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह डिटेल्ड वर्किंग के बारे में है कि कोई बात पैदा हो, तब जाकर कुछ रेसीड्युअरी पावर्स हैं। मैं मानकर चलता हूं कि इस आसन के लिए इस बात का अधिकार है कि वह सदन को प्रोरोग कर दे....

श्री अध्यक्ष : एडजर्न कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एड्जर्न कर दें, सिटिंग प्रोरोग होती है, सेशन एडजर्न होता है, हाउस डिजाल्व होता है, डिजाल्व करने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोरोग का भी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : परन्तु आप करते हैं और बाद में राज्यपाल महोदय का फरमान आता है। आप अभी अभी अपने परों पर खड़े होकर कह सकते हैं कि आज की कार्यवाही समाप्त, सिनाडाइ एडजर्न्ड। परन्तु यह नहीं कह सकते कि सदन के प्रांगण में चलने वाली अमुक कार्यवाही का अमुक फिकरा अंकित हो और अमुक फिकरा अंकित न हो, आप बिल्कुल सदन की कार्यवाही बन्द कर दें...

श्री अध्यक्ष : मैंने डेफर कर दिया। एडीशनल पाइंट हो तो....

(शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : (अश्रव्य)।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जो सदन चल रहा है, आपके आदेश से या इधर से?

श्री अध्यक्ष : मेरी तरफ देखिए, आरम्भ रखिये (श्री रामनारायण चौधरी द्वारा बोलने पर) एक संविधान हुआ करता था। एक राज्य हुआ करता था, राजा दो हुआ करते थे या बहुराजा बैठा करते थे, यह अच्छी परम्परा होगी कि माननीय सदस्य को एक कुर्सी इधर बैठने के लिए दी जाय। एक इधर से एक उधर से, दोनों आदेश भेजें तब मान्य..

श्री अध्यक्ष : दोनों ही खड़े हो गए। एक ओर माननीय सदस्य....

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसी परम्परा चल पड़े। एक सदस्य इधर से बोलें, एक उधर से ताकि हम बैठने के लिये बाध्य हों। रूल 360 रसिड्युअरी पावर्स के बारे में है डिटेल्ड वर्किंग के बारे में कोई चीज है....

श्री अध्यक्ष : समझ में आ गया!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कार्यवाही को आपकी इच्छा अनिच्छा के अनुसार नहीं...

(शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों सेंसिटिव होते हैं?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने पढ़ा है, समझा है, आसन खड़े होकर कहते

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

हैं, बैठ के भी कहते हैं लेकिन माननीय सदस्य केवल खड़े होकर ही कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपका बड़प्पन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक विषम स्थिति है जिसके अन्तर्गत हमको देखना पड़ रहा है ताकि इस सदन की मर्यादा कायम रहे। ऐसी प्रार्थना है। इसलिये रूलिंग देने से पहले निवेदन है। मैं खास तौर से क्यों कहना चाहता हूं? मेरे अंदर एक वेदना है। अगर कोई वकील गल्ती करता है तो आगे जाकर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अपनी पाइंट रेज की थी....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर जज गल्ती करता है तो वह रूलिंग ऑफ दी नेशन बन जाती है, वकील गल्ती करता है तो केवल क्लाइंट का नाश करता है। कितना बड़ा अंतर है?

श्री अध्यक्ष : कहां से कहां चले गए प्रश्न को लेकर?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जज अगर गलत आर्डर दे देते हैं तो रूलिंग ऑफ द्री नेशन बन जाती है इसलिए आप रूलिंग्स इस तरह से मत बनायें कि एक दूसरे की टकराहट में आकर पता नहीं लगे कि उपाध्यक्ष कहते हैं वह अच्छा या अध्यक्ष कहते हैं वह अच्छा....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्षण में कुछ क्षण में कुछ, ऐसी चीज न हो......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : एक पाइंट है मेरी बहुत आवश्यक....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरी पाइंट से अध्यक्ष को सहायता मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे सहायता नहीं चाहिए। स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरलाल।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री वृद्धिचन्द जैन : सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समय देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सिर्फ एक मिनट।

श्री आलम अलीखां : अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री आलम अलीखां : हमारे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए टाइम नहीं। मेरी एक सही बात सुन लें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था का सवाल है । अभी 5 बज कर एक मिनिट हो गया है, 5 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती है; 5 बजे के बाद, समय नहीं बढ़ा सकते । दिस इज जीरो आवर !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं हुआ । जब तक विनियोग विधेयक पारित न हो जाय, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

(व्यवधान)

सदन का समय बढ़ाने पर आपत्ति

श्री देवीदत्त गाड़िया : 5 बज कर दो मिनट के बाद आपने कहा है । 5 बजने के बाद समय बढ़ाने का आपको अधिकार नहीं है । नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में फ्रेन्च कोन्स्टिचुशन की परम्परा का उदाहरण देता हूं। इस प्रकार यदि समय ऊपर निकल जाय तो ओटोमेटिकली सदन का समय समाप्त हो जाता है। इसलिये मैं सदस्य महानुभावों से कहना चाहूंगा कि सदन का समय निकल जाने के बाद ओटोमेटिकली सदन स्थगित हो जाना चाहिये।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अपनी घड़ी बताते हुए) पांच बज कर पांच मिनिट हो गये हैं।

कई माननीय सदस्य : नहीं हुए हैं।

(शोरगुल) (लगातार व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : सोच समझ कर निर्णय देना चाहिये। जीरो टाइम निकल चुका है। आपको बदलने का अधिकार नहीं है।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बाधा डालते हैं । इसलिये इनको बाहर निकाला जाय।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,......

श्री मदनसिंह : आज के चार रोज पहले राजस्थान विधान सभा की बहुत बड़ी तारीफ हो रही थी कि और प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान विधान सभा में विधिवत कितनी ही लड़ाई होने के बावजूद भी, ठीक ढंग से कार्यवाही होती है। उस राजस्थान विधान सभा का आज जो दृश्य देख रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नाटक देख रहे हैं।

(व्यवधान: शोरगुल)

श्री मदनसिंह : वह माननीय सदस्य मैं समझ रहा हूं।

वह अपना खेल-कूद ही देख सकते हैं। आगे नाहर को कर लो और पीछे हाका कर दो। हाथी पर चलते जाओ। कौनसी ऐसी चीज कानून के खिलाफ अध्यक्ष महोदय ने कह दी, कौनसा मुंह बन्द कर दिया ? इस ही किताब में लिखा है उसको एक्सप्लेन किया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ठाकुर साहब ! मैं भी बोल रहा था तो आप बीच में बोल रहे थे ।

श्री मदनसिंह : आपकी मरजी है और भी आरोप लगाओ ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक चीज जो हो चुकी है उस पर कहना नहीं चाहिये ।

श्री मदनसिंह : उस पर नहीं जा रहा हूं । समय के संबंध में सतीशचंद्रजी ने व्यवस्था का सवाल उठाया थोड़ा सा । किसी व्यवस्था पर इक्वली स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं और नियमों का पूरा पालन करना चाहते हैं तो जरा सारे माननीय सदस्य अपने हृदयों को टटोलें । उन नियमों पर चल सकेंगे । जैसा सोशलिज्म वैसा हृदय । पांच मिनिट भी कभी कभी चले गये हैं । आज हाउस इस मूड में न हो तो आप भी इक्वली स्ट्रिक्ट हो जायं कल से कदम कदम पर पूरे नियमों को मानें । एक दफा एक चीज कही जाय और दूसरी दफा दूसरी चीज पेश की जाय....

श्री विजयसिंह : लाल किताब में लिखा यों तेली ने बैल लड़ाया क्यों ।

श्री मदनसिंह : विधान की हरी किताब के कानून और नियमों के अनुसार जो किया है वह ठीक किया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल आरम्भ करें ।

श्री मदनसिंह : आपने कोई बात कही ।

श्री शंकरलाल : राजस्थान विनियोग विधेयक, 1970-71 पर बहस चल रही है ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष ने कोई चीज कानून के विपरीत कही हो तो आपको कौन रोकता है, एक्स्पन्ज हो जावेगी । किसने रोका है ? ये लोग कोई नहीं रोक सकते ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

आरम्भ करिये ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । नियम 11 से लेकर 13 के अन्तर्गत । अध्यक्ष महोदय, इसमें सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक का है.....

(शोरगुल)

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : बढ़ा दिया गया है ।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : गलत कार्यवाही की गई तो जनता का आसन के प्रति विश्वास समाप्त हो जावेगा ।

श्री शंकरलाल : आपने समय बढ़ाया है । जब तक यह बहस समाप्त न हो जाय तब तक आपने समय बढ़ा दिया है ।

श्री अध्यक्ष : सदन नहीं मूड में हो । वह गलत बात है, बिल्कुल पांच बजे सदन का समय बढ़ाया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो इतना बड़ा, माननीय अध्यक्ष, अनर्थ होगा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रतिष्ठा का और नियत का सवाल है कोई मान कर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चलेगा कि सदन में क्या कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सदन का समय यों पांच मिनिट आगे कभी कभी निकल गया है तो भी बढ़ाया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'सदन की अनुमति से' आप पहले अनुमति तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आसन से वाक्य बोले जाते हैं। उस पर हां और ना कभी नहीं हुआ है और आसन से समय बढ़ाया गया है। एक वाक्य है "सदन की सहमति से समय बढ़ाया जाता है।" इस वाक्य का उपयोग हुआ है।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतलध्वनी)

इन्हीं मान्यताओं के अनुसार सदन के समय के लिये सदन की सहमति मान ली जाती है। कभी इस प्रश्न पर विवाद सदन में नहीं हुआ है। बिल्कुल 5 बजे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 5 बज कर 1 मिनिट।

श्री अध्यक्ष : अगर प्रोसिडिंग्स में यह न हो तो मैं दूसरा निर्णय कर लूंगा। मैं यह समझूंगा हाउस मूड में नहीं, एड्जोर्न कर दिया जावेगा। मैंने जो कुछ कहा है वह सदन की प्रोसिडिंग्स में होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ कहा मेरे कहने से पहले तो कहा नहीं। मेरे कहने के बाद कहा है।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाने के लिये खड़ा हुआ और आपने यह प्रश्न उठाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे और आपके बीच में है। 'सत्यमेव जयते' दोनों के बीच में है एक तरफ नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सिर पर है और मेरे से दूर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके सिर पर है......

श्री अध्यक्ष : और आपकी आंखों के सामने है...

(भारी जोर से मेजें थपथपाई गईं-कांग्रेस सदस्यों द्वारा)

इसलिये यह सत्य है, आप पर ज्यादा छ हुआ है। मैं तो घड़ी को देखा करता हूं सत्य को सामने रखते हुए। (शोरगुल) इसको छोड़ दीजिये माननीय सदस्य अब। (शोरगुल) माननीय सदस्य.....सदन के समक्ष प्रोसिडिंग्स रख देता हूं क्या प्रोसिडिंग्स हैं रख दी जायें सदन के सामने? मैं सदन के सामने प्रोसिडिंग्स रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रख दीजिये प्रोसिडिंग्स। देख लें क्या है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस तरह से..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाईयों और बहिनों! यह आम सभा होगी। अब यह विधान सभा नहीं रही। हम आदर करते हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा ही।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर हाउस का समय बढ़ाया जाय तो हाउस की सहमति से बढ़ाया जाता रहा है, प्रश्न रखे जाते रहे हैं और अब प्रश्न यह है कि (शोरगुल) कभी कभी यह परम्परा रही है कि कभी कभी पीठासन अधिकारी यह कह देते हैं कि सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है। परन्तु माननीय सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने जो आपत्ति की है.....उस पर आप और कोई बात कहते हैं यह आपकी मर्जी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक बात है। कांग्रेस के कई माननीय सदस्य और नियमों का उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने लग जाते हैं, व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर के। कई माननीय सदस्य नियमों का उदाहरण देने लग जाते हैं परन्तु यह मोटी बात है, स्पष्ट बात है.....

श्री मूलचन्द डागा : आप क्यों भाषण दे रहे हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : 5 बज कर 1 मिनिट पर भी सदन को सूचना नहीं दी गई है और माननीय सदस्य ने आपत्ति खड़ी कर दी है तो उसके बाद कौनसी आपत्ति रह जाती है और उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं तो यह अफसोस की बात है और आप लोगों की बुद्धि पर तरस आता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने जो ऐतराज किया कि आपने 5 बज कर 1 मिनिट पर ऐतराज किया। मैं सिर्फ सदन का ध्यान रूल वन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और हमारे यहां का एक निर्णय भी है-वह है.....

श्री अध्यक्ष : वह निर्णय सभी माननीय सदस्य जानते हैं परन्तु अब आगे यह विशेष स्थिति का प्रश्न हो गया है..... (शोरगुल) माननीय सदस्य सब जानते हैं.....

श्री भगवानदास शास्त्री : सदन का नाम नहीं है प्रोसिडिंग्स में।

श्री अध्यक्ष : प्रोसिडिंग्स में है-जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाये ....शोरगुल..........जब तक विनियोग विधेयक पारित न हो जाये तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। इसमें समय सूचना है इसमें वह शब्द 'सदन की अनुमति से' नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या कहा सदन की अनुमति......

श्री अध्यक्ष : यह तो इसमें नहीं है। (व्यवधान) ऑर्डर! ऑर्डर! माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला आवश्यक है। इस हाउस को सैंस में नहीं लिया गया है और हाउस को.....

श्री अध्यक्ष : यह तर्क-वितर्क का विषय नहीं है। यह नियमों को पढ़ने का विषय नहीं रहा है। यह विगत परम्पराओं का विषय नहीं रहा है, जहां 15 मिनिट तक हाउस की कार्यवाही चलती रही और रिट्रॉस्पेक्टिव इफैक्ट इसको चलाने के लिये दिया जाये, परन्तु यह भी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को मालूम है यहां आसन से कभी कभी समय बढ़ाया जाता है और कभी कभी सभापति महोदय, जो यहां बैठते हैं, यह समझते हैं सदन की अनुमति है और समय बढ़ाया जाता है। यह प्रश्न अब बदाबदी का प्रश्न है इसलिये वह आगे है, मैं समय.......(विराम) ....अब मैं इसको आप कहें एड्जोर्न करने का प्रश्न कहूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 9,10,11 कोई भी समय कर दीजिये......

श्री अध्यक्ष : इस सदन की सहमति से कल प्रातः 8 बजे इस सदन की कार्यवाही रखता हूं.....

(सदस्यों द्वारा सदन छोड़ने की व्यग्रता पर).........स्थगित किया तो शब्द नहीं कहा गया है । देख लीजिये कल आठ बजे कहा है ....

स्थगित करने के पूर्व यह निवेदन करूं कि यह कार्यवाही यह विनियोग विधेयक पहले लिया जायेगा इसलिये कल प्रातः 8 बजे तक स्थगित किया जाता है ।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजकर 15 मिनिट पर दिनांक 31-3-70 की प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट I

(तारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची)

वन विभाग के बीहड़ों की सारिणी

नाम जिला		संख्या बीहड़
1.	चित्तौड़गढ	47
2.	भीलवाड़ा	75
3.	जयपुर	11
4.	झुन्झुनू	1
5.	सीकर	40
6.	टोंक	1
7.	सिरोही	26
8.	जोधपुर	3
9.	पाली	14
10.	जालोर	5
11.	नागौर	1
12.	जैसलमेर	1
13.	बीकानेर	2
14.	चूरू	5
15.	बूंदी	36
16.	कोटा	60
17.	झालावाड़	97
18.	भरतपुर	1
19.	अजमेर	6

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 388 की सूची)

सूची (क)

मार्ग श्रेणी	नये परमिट	परमिट नवीनीकरण करने पर
ए श्रेणी मार्ग	5 वर्ष से पुराना न हो।	गाड़ी का मोडल 1957 से पहले का न हो।
बी श्रेणी मार्ग	10 वर्ष से पुराना न हो।	गाड़ी का मोडल 1953 से पहले का न हो।
सी श्रेणी मार्ग	10 वर्ष से पुराना न हो।	गाड़ी का मोडल 1948 से पहले का न हो।

सूची (ख)

पंजीयांक		मोडल
आर० जे० बी०	373	1948
आर० जे० बी०	194	1951
आर० जे० ए०	771	1952
आर० जे० एल०	6092	1955
आर० जे० बी०	443	1956
आर० जे० बी०	524	1955
आर० जे० बी०	610	1953
आर० जे० पी०	1574	1965
आर० जे० एल०	2841	1966

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 389 की सूची),

सूची

निम्नलिखित रेंजों में अतिक्रमण किये गये:—

नाम रेन्ज	अतिक्रमण की गई भूमि का क्षेत्रफल
1. झालावाड़	128 बीघा
2. अकलेरा	900 बीघा
3. असनावर	700 बीघा
4. मनोहरथाना	477 बीघा
5. बकानी	829 बीघा
6. पिड़ावा	701 बीघा
7. खानपुर	715 बीघा
	4,450 बीघा

Page No 138

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 400 की सूची)

सरपंच चन्द्राई की पंचायत समिति, लाडनू से निर्माण कार्यार्थ दी गई राशि की सूची ।

क्रम संख्या	नाम कार्य	दी गई राशि	दिनांक	उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण
1.	सार्वजनिक कप कुण्डसार	5000)	23-3-63	कार्य हो गया है
		4000)	28-12-68	उपयोगिता-प्रमाण पत्र
		1000)	9-7-69	अब जारी किया जायेगा
2.	मूदड़ा सड़क पर होज	1500)	23-3-66	सम्पूर्ण-प्रमाण जारी
		1500)	25-6-66	हो चुका है।
3.	भांभियों का होज ओडिट	1500)	23-3-66	,, ,,
		1500)	25-6-66	,, ,,
4.	होज स्कूल, ओडिट	1000)	5-5-56	,, ,,
		1000)	25-6-66	,, ,,
5.	होज स्कूल, लुकास	1000)	5-5-66	,, ,,
		1000)	25-6-66	,, ,,
6.	होज स्कूल, कुण्डासरिया	1000)	5-5-66	,, ,,
		1000)	7-10-66	,, ,,
7.	चन्द्राई रास्ते पर होज	1500)	6-7-66	,, ,,
8.	कुण्डासरिया सार्वजनिक होज	1500)	6-7-66	,, ,,
		1500)	7-10-66	,, ,,
9.	सांडशाला चन्द्राई	250)	20-4-66	,, ,,
10.	सांडशाला लुकास	250)	20-4-66	,, ,,
11.	सार्वजनिक होज, चन्द्राई	1500)	6-7-66	,, ,,
		1500)	6-10-66	,, ,,
12.	सांडशाला ओडिट	500)	7-10-68	,, ,,

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सवाई माधोपुर जिले की शिक्षा योजनाएं

402. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना में जिला सवाई माधोपुर में शिक्षा प्रसार के लिये क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं?

(2) उन योजनाओं में से सन् 1970-71 में कितना कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं 1970-71 का जिलेवार विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत सहरोद के सरपंच को दिया गया गल्ला

403. **श्री देवीदत्त गाड़िगा** (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि अटरु पंचायत समिति ने सन् 65-66 के आस पास ग्राम पंचायत सहरोद के सरपंच श्री विश्वनाथ शर्मा को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार करीब 28 हजार रुपयों का गल्ला गेहूं व चना कर्ज के रूप में दिया गया था?

(2) यदि हां, तो किस तारीख को किस एग्रीमेंट के आधार पर कितने कितने रुपयों की लागत से कितना कितना गेहूं व चना किस प्रयोजन के लिये दिया गया? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने उक्त सरपंच को उक्त गल्ले की रकम मय ब्याज के जमा कराने का नोटिस दिया था? यदि हां, तो किस तारीख को नोटिस दिया? नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के नोटिस देने पर भी सरपंच द्वारा रकम जमा नहीं कराने पर छबड़ा एस० डी० एम० से उक्त सरपंच पर करीब पेंतीस हजार रुपयों की डिग्री प्राप्त की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(5) क्या यह सही है कि वह गल्ला जो पंचायत समिति से लिया था वह ग्राम पंचायत के पास नहीं है? यदि हां, तो वह गल्ला कहां गया?

(6) क्या इस संबंध की शिकायत ग्रामवासियों ने जिलाधीश कोटा को की थी? यदि हां, तो जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) श्री विश्वनाथ शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सहरोद को सन् 1965-66 में 25518.40 पै० का गेहूं चना आदि वितरण करने हेतु दिया गया।

(2) गेहूं चना आदि काश्तकारों को वितरण करने हेतु दिया गया। विवरण सूची में अंकित किया गया है जो सदन की

(पंचायत मंत्री)

मेज पर रखदी गई है। पंचायत से कोई एग्रीमेंट नहीं लिखवाया।

(3) नोटिस दिनांक 10-11-66 को दिया गया। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) सरपंच द्वारा रकम जमा नहीं कराने पर दिनांक 10-3-67 को परगना अधिकारी छबड़ा को पी० डी० आर० के अन्तर्गत वसूली करने के लिये लिखा गया।

(5) गल्ला काश्तकारों को वितरण कर दिया गया जिसका विवरण अप्रेल सन् 1968 में पंचायत समिति में प्रस्तुत किया गया है।

(6) जी नहीं।

सूची श्री विश्वनाथ सरपंच, सहरोद को गेहूं चना आदि दिया गया

क्र० सं०	दिनांक	नाम वस्तु	मात्रा	कीमत
1.	21-7-65	गेहूं मालवी	200 क्विन्टल	11560 रु०
2.	22-7-65	चना	150 ,,	10950 रु०
3.	3-7-66	धान बासमती	15 ,,	1922 रु० 25 पैसे
4.	30-5-66	ज्वार सुल्तानपुरी	15 बोरी प्रति बोरी 90 किलो	606 रु० 15 पैसे
5.	6-6-66	मूंगफली	10 बोरी भरती बोरी 38 किलो	480 रु०
			योग –	25518 रु० 40 पैसे

रजिस्टर्ड

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अटरू (कोटा)

क्रमांक 8686 दिनांक 10-11-66

श्री विश्वनाथ,

सरपंच, ग्राम पंचायत, सहरोद ।

विषय:—कार्यालय द्वारा दिये गये खाद बीज की रकम जमा कराने बाबत।

इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार का खाद बीज आपकी सहकारी समिति में दिया गया था:—

क्र० सं०	नाम खाद अथवा बीज	मात्रा	कीमत	ब्याज 10 प्रति० के हिसाब से दि० 5-11-66 तक	कुल कीमत जमा	बकाया
1.	गेहूं मालवी	200 क्वि०	11560.00	1488.44	12048.54	
2.	चना	150 „	10950.00	1410.00	12360.00	28537.60
3.	धान बासमती	15 „	1922.25	65.25	1987.47	
4.	ज्वार सुल्तानपुरी	15 बोरी प्रति 90 किलो	606.15	30.88	637.03	
5.	मूंगफली	10 बोरी प्रति 34 किलो	480.00	24.56	504.56	
			25518.40		28537.60	

अतः आपको लिखा जाता है कि आप अन्दर तीन योम कीमत पंचायत समिति कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवादें अन्यथा आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही करदी जावेगी ।

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी, पं० स०,
अटरू ।

लोअर घोड़ी बांध

404. श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लोअर घोड़ी बांध कब बना था तथा इसमें डूंगरपुर जिले की कितनी कितनी भूमि जलमग्न हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि लोअर घोड़ी बांध की डूब में जिन व्यक्तियों की जमीनें आई हैं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या?

(3) क्या यह भी सत्य है कि लोअर घोड़ी योजना में डूंगरपुर जिले के रोहनवाड़ा व डएकी क्षेत्र को पानी देने का प्रावधान था? यदि हां, तो क्या व अब तक कितना पानी दिया गया और कहां कहां? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सत्य है कि राइट कैनाल के निर्माण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले को मिलने वाला पानी निचाई पर चला गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो राइट कनाल को बीच में जहां से नीचे गिराई है उस जगह से एप्रोच नहर कितनी ऊंची रह जाती है?

(5) घोड़ी बांध से डूंगरपुर व उदयपुर जिले के कितने कितने क्षेत्र सिंचित होते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) यह तालाब 1963-64 में बना था तथा डूंगरपुर जिले को 110 एकड़ भूमि जलमग्न हुई।

(2) जी नहीं। अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है।

(3) लोअर घोड़ी योजना से डूंगरपुर के रोहनवाडा व क्षेत्र नहर के टेल वाटर ब्रोड़ से सिंचित होंगे। उबकी गांव इसके अन्दर में नहीं है।

(4) जी नहीं। दांई नहर को क्षेत्र 312 के पास जहां नीचे गिराया गया है, वहां पर एप्रोच नहर 10 फीट ऊंची है।

(5) घोड़ी बांध के डूंगरपुर जिले की 80 एकड़ व उदयपुर जिले की 500 एकड़ भूमि सिंचित होती है।

डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में विभिन्न विषय खोलने का विचार

405. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में विधि में एलएल० एम० की और विज्ञान में जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की एम० एससी० की कक्षायें अभी तक न खोलने का क्या कारण है?

(2) क्या सरकार उपरोक्त महाविद्यालय में एम० एससी० व एल एल० एम० की कक्षायें आयन्दा माह जुलाई में खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अर्थाभाव के कारण इन विषयों में कक्षायें खोलने पर विचार नहीं किया जा सका।

(2) डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में सत्र 1970-71 के माह जुलाई से विज्ञान

Page No 143

(शिक्षामंत्री)

में जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की एम० एससी० की कक्षायें चालू करने का निर्णय ले लिया गया है। और इन संकायों में कक्षायें माह जुलाई से चालू करदी जावेगी। जहां तक एलएल० एम० की कक्षायें खोलने का प्रश्न है आर्थिक कठिनाई के कारण यह संकाय आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची

406. **श्री गंगासहाय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के मुख्य लिपिकों की नियुक्तियों में *वरिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा गया* है और कुछ वरिष्ठ मुख्य लिपिकों को बिना कारण पदावनत करके जूनियर वरिष्ठ लिपिकों को मुख्य लिपिकों के पदों पर उन्नत किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1966 के संशोधित वेतन शृंखला नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत कार्यालय सहायकों की नियुक्तियों में भी सिंचाई विभाग ने कोई वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग ने वरिष्ठ लिपिकों की कोई वरिष्ठता सूची बना रखी है ? यदि हां, तो उसके अनुसार प्रोमोशन्स सहायकों के पदों पर क्यों नहीं दिये गये ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सिंचाई विभाग में मुख्य लिपिकों की नियुक्तियों में वरिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मुख्य लिपिक के पद के लिये अलग से कोई वेतन शृंखला निर्धारित नहीं की गई है एवं वरिष्ठ लिपिक को मुख्य लिपिक के पद पर नियुक्त होने पर उसके वेतन के अतिरिक्त केवल 15) रु० माहवार विशेष वेतन दिया जाता है। मुख्य लिपिकों के पद पर वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति, वृतीय वरिष्ठता सूची के अनुसार वृतीय अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(2) यह सही नहीं है कि सन् 1966 के संशोधित वेतन शृंखलाओं के नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत कार्यालय सहायकों की नियुक्ति में भी इस विभाग में कोई वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है।

(3) हां इस विभाग ने *वरिष्ठ लिपिकों* की वरिष्ठता सूची बना रखी है एवं उसी के अनुसार पदोन्नति दी गई है।

ग्राम पंचायत नाणा को दी गई धन राशि

407. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत नाणा, जिला पाली को गत पंचायत चुनाव के पश्चात् आज दिन तक किन किन कार्यों को करने के लिए कितना कितना रुपया पंचायत समिति एवं अन्य स्त्रोतों से स्वीकृत किया गया ?

(2) उक्त कार्यों में से कौन कौनसे कार्य संपूर्ण करवा दिये गये हैं और कौन कौनसे कार्य अपूर्ण पड़े हैं ?

(3) कार्य अपूर्ण रहने के क्या क्या कारण रहे और उन्हें पूरा करवाने की आगे क्या व्यवस्था है ? कार्य पूर्ण नहीं किये जाने

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)

के लिए कौन दोषी है ? और इससे संबंधित किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

—उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में कार्य पूर्ण।अपूर्ण का उल्लेख भी कर दिया है ।

(3) कार्य अपूर्ण रहने का कारण मजदूरों के मिलने में कठिनाई व सरपंच का बीमार होना बताया गया है व अपूर्ण कार्य अब शुरू करा दिये गए हैं । कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी सरपंच की है जो अब शुरु करा दिये गये हैं ।

पंचायत समिति बाली द्वारा ग्राम पंचायत नाणा को गत पंचायत चुनाव के पश्चात् आज तक विकास कार्यों के लिए दी गई अनुदान की धनराशि का विवरण ।

क्रमांक	कार्य	स्वीकृत राशि	दी गई राशि	राशि देने का दिनांक	कार्य विवरण
1.	मोडर्न तालाब की मरम्मत हेतु	1,488.00	744-69	13-6-69	अपूर्ण
			600-00	20-9-69	
2.	नाणा स्टेशन से नाणा ग्राम की सड़क पर मरम्मत हेतु	800.00	400-00	12-2-68	अपूर्ण
			300-00	26-3-69	
			100-00	12-5-69	
3.	नाणा ग्राम में स्कूल के पास पुलिया हेतु	800.00	400-00	13-5-69	अपूर्ण
			300-00	22-9-69	
4.	नाणा ग्राम में पंचायत के पास पीचगें को गहरा कराने हेतु	250.00	200-00	17-6-66	अपूर्ण
6.	नाणा स्टेशन से नाणा ग्राम तक की सड़क मरम्मत हेतु	615.00	300-00	17-6-66	अपूर्ण
			245-00	6-8-67	
			70-00	9-9-67	

नोट :—ग्राम पंचायत को पंचायत समिति के अलावा अन्य श्रोत से कोई रकम नहीं मिली ।

बिड़दवाल से वाया लूनकरणसर तक लाई जाने वाली लिफ्ट कैनाल

408. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिड़दवाल से वाया लूनकरणसर बीकानेर तक लाई जाने वाली लिफ्ट कैनाल को क्या राज्य सरकार तहसील नोखा व जिला नागौर तक पहुंचाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इसे नागौर तक कब तक पहुंच दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस कैनाल को नोखा व नागौर तक पहुंचाने से जनता को पीने के पानी की समस्या व छोटे उद्योग धन्धे आदि को काफी प्रोत्साहन मिलेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य सरकार का अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है ।

(2) ऐसा होना स्वाभाविक ही है ।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम कातर से राजेड़ लिखमीसर सड़क निर्माण कार्य

409. श्री **रावतराम** (छापर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत साल अकाल-सहायता कार्यों के अन्तर्गत ग्राम कातर से राजेड-लिखमीसर (जिला चूरू) में सड़क निर्माण कार्य चालू किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में इस साल भी अकाल है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य पुन: कब चालू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त सड़क पर राहत कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । सड़क का कार्य दिनांक 12-2-70 से चालू किया जा चुका है ।

(3) दिनांक 12-2-70 से प्रारम्भ किया जा चुका है ।

भरतपुर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई कुए

410. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में बाढ़ के कारण सिंचाई के कुए खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस तहसील के कितने-कितने ग्रामों में कितने-कितने ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ के कारण खराब हुए सिंचाई के कुओं की मरम्मत के लिये तकावी दी गई है ? यदि हां, कितनी कितनी और कुल जिले के लिये कितनी धनराशि अलाट की गई ?

(स्थगित किया गया)

Page No 146

परिशिष्ट 6

(अ० ता० प्र० सं० 446 की सूची)

Grant of Budget to Hospital, Dispensaries and P. H. C. Distt. Sawai Madhopur.

S. No.	Name of Institution		Grant in Rs.
1.	Govt. Hosp. S. Madhopur		3,410/-
2.	—do—	Isarda	955/-
3.	—do—	Mahuwa	675/-
4.	—do—	Sapotra	765/-
5.	—do—	Malarnadoongar	875/-
6.	—do—	Karauli	19,870/-
7.	Govt. Dispensary Mandrial		806/-
8.	—do—	Toda Bhim	965/-
9.	—do—	City Karauli	645/-
10.	—do—	Klyani	540/-
11.	—do—	Narauli	470/-
12.	—do—	Sri Mahaveerji	625/-
13.	—do—	Bamanwas	915/-
14.	—do—	Baler	490/-
15.	—do—	Khirni	580/-
16.	—do—	Chauth-ka-Barvara	955/-
17.	—do—	Paota	500/-
18.	—do—	Police Lines	390/-
19.	—do—	Man Town	640/-
20.	Primary Health Centre, Mindaum		15,550/-
21.	—do—	Gangapur	15,550/-
22.	—do—	Mandawar	11,350/-
23.	—do—	Gudha Chanderji	8,750/-
24.	—do—	Kushalpur	8,350/-
25.	—do—	Bal Ghat	8,850/-
26.	—do—	Bhagwat Garh	8,650/-
27.	—do—	Nadauati	6,400/-
28.	—do—	Bonli	6,400/-
29.	—do—	Khandar	2,550/-

Budget Head:—27—CDP—NES. LDW.

1. P. H. C. Khandar Rs. 10,100/-

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची)

लिस्ट कर्मचारियान मंदिरान आत्मनिर्भर देवस्थान विभाग, झालावाड़

बजट सन् 68-69 मंदिर श्री द्वारिकानाथजी, एवं नवनीतप्रियाजी, झालावाड़

क्र०सं० नाम मंदिर	नाम सेवगान	पद	वेतन	महंगाई	योग
1. मंदिर श्री नवनीतप्रियाजी	1. श्री रतनलाल	मुखिया	23)	25)	58)
	2. श्री गनपतलाल	बालभोगिया	17)	25)	42)
	3. श्रीमान कुंवर (पार्ट टाईम)	सेवागरानी	5)	..	5)
	4. श्री शिवनारायण	जलगरिया	15)	25)	40)
2. श्री द्वारकानाथजी	1. श्री मदनगोपाल	मुखिया	23)	25)	48)
	2. श्री चिन्तामणि	बालभोगिया	16)	25)	41)
	3. श्री रामप्रताप	जलगरिया	15)	25)	40)
	4. श्री नन्दलाल	किर्तनिया	21)	25)	46)
	5. श्री नन्दकिशोर	पखावची	16)	25)	41)
	6. श्री सूरजप्रकाश	छड़ीदार	15)	25)	40)
	7. श्री मदनलाल कहर नकारची	कथाभट्ट	2)	..	2)
	8. सुश्री भंवरीबाई (पार्ट टाईम)	भेदागरनी	5)	..	5)
	9. श्री चुन्नीलाल नाई		6)	..	6)
	10. सुश्री बसन्तीलाल	तम्बोली	7) 50	..	7) 50
	11. सुश्री गुलाब बाई	मालन	4) 50	..	4) 50
	12. श्री कस्तूरा	हरिजन	2)	..	2)
3. सुरक्षा स्टाफ	1. श्री देवीलाल	दरोगा	23)	25)	48)
	2. श्री मदनलाल	सिपाही	20)	25)	45)
	3. श्री हरिसिंह	"	20)	25)	45)
	4. श्री रामनारायण	"	20)	25)	45)
	5. श्री कन्हैयालाल	"	20)	25)	45)
	6. श्री उदा	"	20)	25)	45)
		योग ..	322)	375)	697)

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न सं० 387 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

Copy of letter No. F. 4 (41) / MSH/61, dated 18th Oct., 1962 from the Asstt. Secty. to the Govt., Medical and Pub. Health Deptt. Rajasthan, Jaipur to the Director of Medical & Health Services Raj., Jaipur.

Sub:—**Creation of post for the College of Nursing—Qualification of staff required for the purpose.**

Ref:—Your D. O. letter No. FMC/Plan/52/589, dt. 22-6-1962.

I am directed to convey sanction of the Governor to the creation of the following posts for the Rajasthan College of Nursing, Jaipur in the pay scales and qualifications noted against each with effect the date these are filled in till 28-2-1966 or continuance of the scheme whichever is earlier.

Post 1	Scale of Pay 2	Qualification 4	Remarks 4
1. Principal (One)	550-30-320-EB-30-850-50-950.	1. Registered 'A' Gr. Nurse. 2. M. A. or M. N. (Master of Nursing) 3. 8 Years' experience, out of which 4 yrs. in teaching.	Experience relaxable by 2 years at the discretion of commission provided it is not less than 3 yrs. in teaching.
2. Senior Lecturer (Two)	285-25-510-EB-25-560-30-800.	1. Registered 'A' Grade Nurse. 2. M. A. or M. N. (Master of Nursing) 3. 6 years' experience, out of which 3 yrs. in teaching.	Qualification and experience relaxation at the discretion of commission provided the candidate has minimum qualification B. Sc. or in nursing and 4 years' total experience out of which 2 yrs. should be in teaching.

1	2	3	4
3. Junior Lecturer or Demonstrator (One)	225-10-275-EB-10-285-15-435-25-485.	1. Registered 'A' Grade. Nurse. 2. B. Sc. Nursing 3. 3 Yrs'. experience, out of which one yr. in teaching.	Experience relexable at the discretion of the commission provided the candidates have 2 yrs. experience.
4. Librarian (One)	130-5-155-10-235-250.	1. Graduate and Diploma in Library science.	
5. Hostel Matron (One) (In the cadre of Comp. Nurse Gr. III	105-5-200.	(Female) Matriculate experience in Hostel management.	Any Nurse Comp. Gr. II fulfilling the qualification the existing staff may be appointed against this post.

The expenditure is chargeable to the budget head "29-Medical-b Hospitals and Dispensaries (1) General Hospital Plan (Expenditure).

This issues with the concurrence of Finance Deptt. (E) vide their No. 4550 dated 10-9-1962.

———

( )

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		6	प्रश्नोत	प्रश्नोत्तर
3		5	वर्लसिह	बालसिंह
5	अन्तिम से	1	झुंझुन	झुंझुनू
6	,,	21	र	पर
7	,,	5	फलस्वरुप	फलस्वरूप
11	,,	12	स्वीकार	अस्वीकार
12	,,	17	जिसन	जिसने
15		1	सम्भावन	सम्भावना
16		18	एग्जक्यूशन	एग्जीक्यूशन
16		7	लड्ढा	लड्ढा
18	अन्तिम से	6	करग	करेंगे
20	,,	5	मुझ	मुझे
22		2	वास	घास
22	अन्तिम से	11	ह	है
26		1	पंचायतों	पंचायतों
27	अन्तिम से	13	पिछड़ा	पिछड़े
33		15	ह	है
35		16	कौनस	कौन से
36		11	करन	करने
37	अन्तिम से	12	उप-मत्री	उप मंत्री
38	,,	4	भटी	माटी
38	,,	2	य	या
39		6	गाड	गाडी
40		6	ह	है
42		16	ह	है
46		9	सरस्वी	सरस्वती
46		13	आपन	आपने

1	2		3	4
46		21	।	—
49	अन्तिम से	6	विचा	विचारा
53	,,	9	बरडक	बुरडक
53	,,	7	म	में
58	,,	1	क	का
63-64	शीर्षक		प्रश्नोर	प्रश्नोत्तर
67	अन्तिम से	6	देवीलल	देवीलाल
67	,,	2	कितने	कितनी
69	,,	1	ह	है
70	,,	1	विधान	विधान सभा
73		5	ह	है
73		6	शिक्ष	शिक्षा
75	अन्तिम से	4	क	के
76		11	खच	खर्च
77	अन्तिम से	10	क	के
77	,,	4	रपया	रुपया
78	,,	5	कृपय	कृपया
86	,,	6	क	कर
87	,,	1	वचार	विचार
90	,,	6	गड़बड़िया	गड़बड़ियों
96	,,	12	कह	कहा
101	,,	3	य	यह
101	,,	1	अग-बिजली	अणु-बिजली
115	,,	14	बढगीं	बढ़ेंगी
124	,,	1	इनकम	इन्कम
127		5	लगायगे	लगायेंगे
128		4	ने	न
128	अन्तिम से	3	असुविधा	असुविधा
132		9	किय	किये
132		12	गय	गये
141		16	ह	है
141	अन्तिम से	14	न	ने
142		1	सलिये	इसलिये
144	अन्तिम से	3	भाष	भा

1	2	3	4
152		11 शवन्तसिह्र	यशवन्तसिह्
154		1 सकत	सकता
159		3 हमार	हमारा
165	अन्तिम से	8 ह	है
167	,,	9 ह	हैं
171	,,	14 म	में
172	,,	13 ह	हैं।
175	,,	6,7 व 16 ह	है
176	,,	19 होन संभव	होना संभव
182	,,	13 गरीबों	गरीब
187	,,	1 जर्ट	डेजर्ट
189		11 रह	तरह
192		16 में	—
199		5 कि ा	किया
199		16 मालम	मालूम
200	अन्तिम से	4 ल गों	लोगों
202		2 —	है
212		1 सेलम	सलेम
213		5 बिस्वेदार	बिस्वेदारी
213		18 उमावजा	मुआवजा
214	अन्तिम से	41 डाइरेक्क्टेड	डाइरेक्टेड
215	,,	5 चैन	जैन
215	,,	3 में	मैं
216		2 फी	ही
219	अन्तिम से	3 सझता	समझता
221	,,	12 लो	लोग
221	,	10 चयरमैन	चेयरमैन
222		9 तिरंग	तिरंगे
223	अन्तिम से	16 य	या
223	,,	6 श्रीमता	श्रीमती
223	,,	4 लि	लिए
228	,,	6 आवश्यकत	आवश्यकता
229	,,	6 भकी न्ति	की भान्ति
232	,,	8 हमे	हम

1	2	3	4
238	2	विशेषधिकारी	विशेषाधिकारी
242	8	सदंर्भ	संदर्भ
251	13	मानीय	माननीय
251	8	श्रा	श्री
253	अन्तिम से 13	बूरा	बुरा
256	13	—	(विराम)
256	14	श्री अध्यक्ष	—
263	14	करतलघ्वनी	करतलध्वनि)
264	8 व 9	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके सिर पर है··	—
266	अन्तिम से 8	—	वे
273	,, 11	गाड़िगा	गाड़िया
273	,, 10	मत्री	मंत्री
280	,, 12	सिंशोधित	संशोधित
281	2	श्रंखला	श्रृंखला